

पत्र संख्या 5प/यो० 1-06/2012/पं०रा०/ ०२...../

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक—सह—संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
बीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक ०५.०७.२०१२।

विषय : त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच को नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ते एवं यात्रा भत्ता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुष तथा महिला तथा अन्य वर्ग की महिला, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं, को विशेष मानदेय के लिए वर्ष 2012-13 में 9200.00 लाख (वेरानवे करोड़) रुपये अनुदान की स्वीकृति।

महाशय,

बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पंचायत निर्वाचन मई, जून, 2011 में कराये गये हैं। संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियों एवं दायित्व सौंपे गये हैं। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधि/जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उपप्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच के दायित्वों में अत्याधिक वृद्धि हुई है। सदस्यों को नियमित रूप से बैठक में भाग लेने एवं उनके द्वारा सम्पादित कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए नियत (प्रतिमाह) भत्ता, दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता एवं अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की महिला, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को विशेष मानदेय की स्वीकृति संकल्प संख्या 6159 दिनांक 04.12.2008 द्वारा दी गयी है।

2. राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता/अन्य भत्ता भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में 9200.00 लाख (बानवे करोड़) रुपये की स्वीकृति दी जाती है। सम्प्रति इस मद में उपलब्ध 5000.00 लाख रुपये के योजना उदव्यय एवं बजट उपबंध से पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता हेतु राशि आवंटित की जायेगी एवं शेष 4200.00 लाख रुपये योजना उदव्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध होने के पश्चात राशि आवंटित की जा सकेगी।

3. त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु राशि का आवंटन संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को की जायेगी, जो राशि की निकासी कर जिला परिषद् के लिए आवंटित राशि संबंधित जिला परिषद् के खाते में जमा करेंगे। पंचायत समिति के लिए आवंटित राशि पंचायत समिति के खाते में जमा की जायेगी। ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित राशि का उपावंटन संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति को की जायेगी, जो ग्राम पंचायतों को उसके खाते में राशि जमा करेंगे।

4. ग्राम कचहरी के सरपंचों, उप सरपंचों एवं पंचों हेतु राशि का आवंटन संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को किया जायेगा, जो ग्राम कचहरी से संबंधित राशि को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति को उपावंटित करेंगे। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति द्वारा राशि संबंधित ग्राम कचहरी के खाते में जमा की जायेगी।

5. इस स्वीकृत राशि का उपयोग वर्ष 2012-13 में दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 तक के मानदेय/भत्ता भुगतान के लिए किया जायेगा। वर्ष 2011-12 में स्वीकृत अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् द्वारा विहित प्रपत्र (एनेक्सचर बी) में महालेखाकार को प्रस्तुत करने एवं उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध कराने के पश्चात ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में भत्ता भुगतान हेतु आवंटित राशि को त्रिस्तरीय पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों को उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी विहित प्रपत्र में महालेखाकार को प्रस्तुत किया जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

modan *sefand* *QIL*

6. वर्ष 2012-13 के लिए स्वीकृत की जा राशि की निकासी योजना बजट में उपबंधित राशि से निम्नांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत की जायेगी :-

जिला परिषद् के लिए :

(क) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ।

इसका विपत्र कोड पी० 2515001960106 एवं योजना कोड पी०एन०आर० 5321 है।

(ख) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ।

इसका विपत्र कोड पी० 2515007890106 एवं योजना कोड पी०एन०आर० 5321 है।

पंचायत समिति के लिए :

(क) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0103-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ।

इसका विपत्र कोड पी० 2515001970103 एवं योजना कोड पी०एन०आर० 5322 है।

(ख) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना-उपशीर्ष-0105-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ।

इसका विपत्र कोड पी० 2515007890105 एवं योजना कोड पी०एन०आर० 5322 है।

ग्राम पंचायत के लिए :

(क) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0105-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ।

इसका विपत्र कोड पी० 2515001980105 एवं योजना कोड पी०एन०आर० 5323 है।

Signature

✓

Signature

(ख) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना-उपशीर्ष-0103-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ।

इसका विपत्र कोड पी. 2515007890103 एवं योजना कोड पी एन. आर. 5323 है।

ग्राम कचहरी के लिए :

(क) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ।

इसका विपत्र कोड पी० 2515001980106 एवं योजना कोड पी०एन०आर० 5324 है।

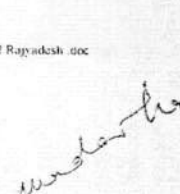
(ख) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना-उपशीर्ष-0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ।

इसका विपत्र कोड पी० 2515007890104 एवं योजना कोड पी०एन०आर० 5324 है।

7. इसकी मांग संख्या 16 है, जिसका उपयोग कोषागार में भेजे जानेवाले विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदनों में किया जायेगा।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 270 के आलोक में की जायेगी।
9. योजना एवं राशि की स्वीकृति में सक्षम प्राधिकार (मंत्रिपरिषद) का अनुमोदन दिनांक 25.06.2012 को संचिका संख्या 5प/यो० 1-06/2012 के पृ० 14/टि० पर प्राप्त है।
10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृष्ठ16./टि० पर प्राप्त है।
11. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। राशि की निकासी के लिए इस विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा, जिसके आलोक में राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

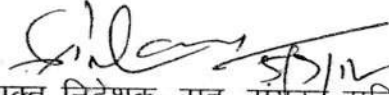
विश्वासभाजन


संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।



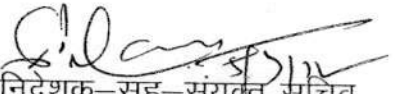

ज्ञापांक:-5प/यो01-06/2012/02...../पं०रा०, पटना, दिनांक ०५-०७-.....2012

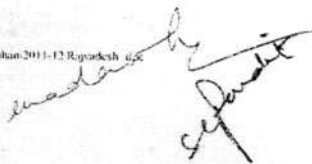
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना /मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-5प/यो01-06/2012/02...../पं०रा०, पटना, दिनांक ०५-०७-.....2012

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।


मदन मोहन

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

संख्या:- 5प/वि-1-10/2013-79(अ)/पं0रा0, पटना,

दिनांक 09/01/2014

प्रेषक,

रमाशंकर प्रसाद दफतुआर,
संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय- ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/पदधारकों के भत्ता हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभागीय राज्यादेश संख्या 42 दिनांक 02/01/2014 द्वारा पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत (प्रतिमाह) भत्ता, दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता एवं विशेष भत्ता की स्वीकृति के आलोक में ग्राम कचहरी को मांग संख्या-16 में निम्नलिखित बजट शीर्षों के अन्तर्गत राशि आवंटित की जाती है :-

ग्राम कचहरी के लिए :-

"योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं" एवं

"योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं" अन्तर्गत ₹1020839360.00 (एक अरब दो करोड़ आठ लाख उनचालीस हजार तीन सौ साठ रु०) की राशि की स्वीकृति विवरणी-4 के स्तम्भ-5 के अनुसार की जाती है।

2 राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 42 दिनांक 02/01/2014 में निहित अनुदेश के आलोक में नियमों के अन्तर्गत वास्तविक भुगतान हेतु समीक्षा कर करेंगे तथा सभी स्तरों के पदधारकों के नियत भत्ते का भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के द्वारा संबंधित पदधारकों के खातों में करेंगे।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-एम-4-05/98-2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998 में निहित निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

31/1/14

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर विषयांकित बजट शीर्ष इकाईयों का कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय से लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
5. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये।
6. वित्तीय नियमावली, बजट, मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- 5प/योजना-1-11/2012-79(आ०)/पं०रा०, पटना, दिनांक ०१/०१/2014
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/ संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- 5प/योजना-1-11/2012-79(आ०)/पं०रा०, पटना, दिनांक ०१/०१/2014
प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायती राज, प्रमण्डल/आंतरिक वित्तीय सल्लाहकार /बी० आर० जी० एफ० कोषांग तथा आई० टी० मैनेजर पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई० टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग को निदेश दिया जाता है कि वे इसे विभाग के वेबसाईट पर डालेंगे एवं संबंधित सभी जिला पदाधिकारी को ई०मेल करेंगे।

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला पदाधिकारी को जिलों के ग्राम कचहरी के लिए आवंटित राशि की विवरणी ।

क्र. सं.	जिला	“योजना मुख्य शीर्ष-2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- लघुशीर्ष- 198-ग्राम पंचायतों को सहायता- उपशीर्ष-0106- ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं”	“योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- उपशीर्ष- 0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु- 2801- व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं”	कुल
1	2	3	4	5
1.	बक्सर	14481506	2924150	17405656 (एक करोड़ चौहत्तर लाख पाँच हजार छः सौ छपपन रु) ✓
2.	रोहतास	23286666	4702115	27988781 (दो करोड़ उनसी लाख अठ्ठासी हजार सात सौ एकासी रु) ✓
3.	मोजपुर	24510121	4949159	29459280 (दो करोड़ चौरानवे लाख उनसठ हजार दो सौ अस्सी रु) ✓
4.	नालन्दा	24732950	4994153	29727103 (दो करोड़ सन्तानवे लाख सत्ताईस हजार एक सौ तीन रु) ✓
5.	पटना	32946186	6652595	39598781 (तीन करोड़ पनचानवे लाख अनठानवे हजार सात सौ एकासी रु) ✓
6.	कैमूर	14120440	2851243	16971683 (एक करोड़ उनहत्तर लाख इकहत्तर हजार छः सौ तेरासी रु) ✓
7.	गया	33537459	6771987	40309446 (चार करोड़ तीन लाख नौ हजार चार सौ छियालीस रु) ✓
8.	नवादा	18612318	3758256	22370574 (दो करोड़ तेईस लाख सत्तर हजार पाँच सौ चौहत्तर रु) ✓
9.	औरंगाबाद	20761650	4192256	24953906 (दो करोड़ उनचास लाख तिरपन हजार नौ सौ छः रु) ✓
10.	जहानाबाद	9354702	1888930	11243632 (एक करोड़ बारह लाख तैतालीस हजार छः सौ बत्तीस रु) ✓
11.	अरवल	6775051	1368039	8143090 (एकासी लाख तैतालीस हजार नब्बे रु) ✓
12.	सारण	33966887	6858698	40825585 (चार करोड़ आठ लाख पच्चीस हजार पाँच सौ पचासी रु) ✓
13.	सिवान	29883742	6034217	35917959 (तीन करोड़ उनसठ लाख सत्रह हजार नौ सौ उनसठ रु) ✓
14.	गोपालगंज	23375002	4719952	28094954 (दो करोड़ अस्सी लाख चौरानवे हजार नौ सौ चौवन रु) ✓
15.	मुजफ्फरपुर	38904730	7778750	46683480 (चार करोड़ छियासठ लाख तिरासी हजार चार सौ अस्सी रु) ✓
16.	वैशाली	29366048	5929683	35295731 (तीन करोड़ बावन लाख पनचानवे हजार सात सौ इकतीस रु) ✓
17.	पू. चम्पारण	41524021	8384658	49908679 (चार करोड़ निनानवे लाख आठ हजार छः सौ उनसी रु) ✓
18.	प. चम्पारण	31012133	6262065	37274198 (तीन करोड़ बहत्तर लाख चौहत्तर हजार एक सौ अनठानवे रु) ✓
19.	सीतामढ़ी	28008580	5655579	33664159 (तीन करोड़ छत्तीस लाख चौंसठ हजार एक सौ उनसठ रु) ✓
20.	शिवहर	5450564	1100595	6551159 (सैसठ लाख एकावन हजार एक सौ उनसठ रु) ✓
21.	भागलपुर	23264839	4697708	27962547 (दो करोड़ उनसी लाख बासठ हजार पाँच सौ सैतालीस रु) ✓
22.	बांका	18299471	3695085	21994556 (दो करोड़ उन्नीस लाख चौरानवे हजार पाँच सौ छपपन रु) ✓
23.	मधुबनी	40465845	8170988	48636833 (चार करोड़ छियासी लाख छत्तीस हजार आठ सौ तैतीस रु) ✓
24.	समस्तीपुर	38282572	7730135	46012707 (चार करोड़ साठ लाख बारह हजार सात सौ सात रु) ✓
25.	दरभंगा	33339991	6732113	40072104 (चार करोड़ बहत्तर हजार एक सौ चार रु) ✓
26.	सहरसा	15435937	3116872	18552809 (एक करोड़ पचासी लाख बावन हजार आठ सौ नौ रु) ✓
27.	मधेपुरा	16605407	3353015	19958422 (एक करोड़ निनानवे लाख अनठानवन हजार चार सौ बाईस रु) ✓
28.	सुपौल	18488428	3733240	22221668 (दो करोड़ बाईस लाख एकसीस हजार छः सौ अड़सठ रु) ✓
29.	पू. धिया	25052825	5072282	30125107 (तीन करोड़ एक लाख पचीस हजार एक सौ सात रु) ✓
30.	अररिया	21960326	4434297	26394623 (दो करोड़ तिरसठ लाख चौरानवे हजार एक सौ तेईस रु) ✓
31.	किशनगंज	12918711	2608586	15527297 (एक करोड़ पचपन लाख सत्ताईस हजार दो सौ सन्तानवे रु) ✓
32.	कटिहार	24029181	4852045	28881227 (दो करोड़ अठ्ठासी लाख एकासी हजार दो सौ सत्ताईस रु) ✓
33.	मुंगेर	10059192	2031183	12090375 (एक करोड़ बीस लाख नब्बे हजार तीन सौ पचहत्तर रु) ✓
34.	जमुई	14632680	2954674	17587354 (एक करोड़ पचहत्तर लाख सत्तासी हजार तीन सौ बीवन रु) ✓
35.	बेगूसराय	25016422	5051393	30067815 (तीन करोड़ सड़सठ हजार आठ सौ पन्द्रह रु) ✓
36.	खगड़िया	13499071	2725774	16224845 (एक करोड़ बासठ लाख चौबीस हजार आठ सौ पैतालीस रु) ✓
37.	लखीसराय	8155786	1646842	9802628 (अनठानवे लाख दो हजार छः सौ अठ्ठाईस रु) ✓
38.	शेखपुरा	5273721	1064886	6338607 (तिरसठ लाख अड़तीस हजार छः सौ सात रु) ✓
कुल		849391161	171448199	1020839360 (एक अरब दो करोड़ आठ लाख उनचासीस हजार तीन सौ साठ रु)

संयुक्त निदेशक—सह—संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

संख्या:- 5प/वि-1-10/2013-80(आ)/पं0रा0, पटना,

दिनांक 09/01/2014

प्रेषक,

रमाशंकर प्रसाद दफतुआर,
संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद,।

विषय- जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों/पदधारकों के भत्ता हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभागीय राज्यादेश संख्या 42 दिनांक 02/01/2014 द्वारा पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत (प्रतिमाह) भत्ता, दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता एवं विशेष भत्ता की स्वीकृति के आलोक में जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों को मांग संख्या- 16 में निम्नलिखित बजट शीर्षों के अन्तर्गत राशि आवंटित की जाती है :-
जिला परिषद के लिए :-

“योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं” एवं

“योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं” ₹21441840.00 (दो करोड़ चौदह लाख इकतालीस हजार आठ सौ चालीस रुपये मात्र विवरणी-1 के स्तम्भ-5 द्वारा आवंटित की जाती है।

पंचायत समिति के लिए :-

“योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष -197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0103-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801- व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं” एवं

“योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0105 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं” अन्तर्गत ₹164976000.00 रु0 (सोलह करोड़ उनचास लाख छिहत्तर हजार रुपये) विवरणी-2 के स्तम्भ-5 द्वारा आवंटित की जाती है।

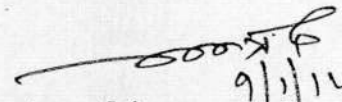
3/1/14

(108)

ग्राम पंचायतों के लिए :-

- “योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0105 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं” एवं
- “योजना मुख्य शीर्ष-2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0103-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं” अन्तर्गत ₹741565000.00 (चौहत्तर करोड़ पन्द्रह लाख पैंसठ हजार रुपये मात्र) विवरणी-3 के स्तम्भ-5 द्वारा आवंटित की जाती है।
2. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, होंगे जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 42 दिनांक 02/01/2014 में निहित अनुदेश के आलोक में नियमों के अन्तर्गत वास्तविक भुगतान हेतु समीक्षा कर करेंगे तथा सभी स्तरों के पदधारकों के नियत भत्ते का भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के द्वारा संबंधित पदधारकों के खातों में करेंगे।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-एम-4-05/98-2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998 में निहित निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर विषयांकित बजट शीर्ष इकाईयों का कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय से लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
5. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये।
6. वित्तीय नियमावली, बजट, मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,


9/1/14
संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- 5प/वि-1-10/2013-80(आ०)/पं0रा0, पटना, दिनांक 09/01/2014
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


3/1/14
संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

ज्ञापाक:-5प/वि-1-10/2013-.....(आ०)/पं०रा०, पटना,

दिनांक०९.../०१.../2014

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायती राज, प्रमण्डल/आंतरिक
वित्तीय सलाहकार /बी० आर० जी० एफ० कोषांग तथा आई० टी० मैनेजर पंचायती राज विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई० टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग को निदेश दिया जाता है कि वे इसे विभाग के
वेबसाईट पर डालेंगे एवं संबंधित उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को e-mail
करेंगे।

W.L. N. *du*
3/1/14

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।
9/1/14

वित्तीय वर्ष 2013-14 में उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् को जिले की विस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के अन्तर्गत जिला परिषद् को आवंटित राशि की विवरणी ।

क्र. सं०	जिला	“योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं”	“योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं”	कुल
1	2	3	4	5
1.	बक्सर	367524	75276	442800 (चार लाख बयालीस हजार आठ सौ रु०)
2.	रोहतास	521705	106855	628560 (छ: लाख अठाइस हजार पाँच सौ साठ रु०)
3.	मोजपुर	471706	96614	568320 (पाँच लाख अड़सठ हजार तीन सौ बीस रु०)
4.	नालन्दा	536246	109834	646080 (छ: लाख छियालीस हजार अस्सी रु०)
5.	पटना	647998	132722	780720 (सात लाख अस्सी हजार सात सौ बीस रु०)
6.	कैमूर	359954	73726	433680 (चार लाख तैतीस हजार छ: सौ अस्सी रु०)
7.	गया	654970	134150	789120 (सात लाख नवासी हजार एक सौ बीस रु०)
8.	नवादा	426288	87312	513600 (पाँच लाख तेरह हजार छ: सौ रु०)
9.	औरंगाबाद	428081	87679	515760 (पाँच लाख पन्द्रह हजार सात सौ साठ रु०)
10.	जहानाबाद	286649	58711	345360 (तीन लाख पैतालीस हजार तीन सौ साठ रु०)
11.	अरवल	242426	49654	292080 (दो लाख येरानवे हजार अस्सी रु०)
12.	सारन	634651	129989	764640 (सात लाख चौसठ हजार छ: सौ चालीस रु०)
13.	सिवान	561346	114974	676320 (छ: लाख छिहत्तर हजार तीन सौ बीस रु०)
14.	गोपालगंज	479275	98165	577440 (पाँच लाख सहत्तर हजार चार सौ चालीस रु०)
15.	मुजफ्फरपुर	659750	135130	794880 (सात लाख चौरानवे हजार आठ सौ अस्सी रु०)
16.	वैशाली	561346	114974	676320 (छ: लाख छिहत्तर हजार तीन सौ बीस रु०)
17.	पू० चम्पारण	759151	155489	914640 (नौ लाख चौदह हजार छ: सौ चालीस रु०)
18.	प० चम्पारण	582859	119381	702240 (सात लाख दो हजार दो सौ चालीस रु०)
19.	सीतामढ़ी	545609	111751	657360 (छ: लाख संतानन हजार तीन सौ साठ रु०)
20.	शिवहर	227287	46553	273840 (दो लाख तिहत्तर हजार आठ सौ चालीस रु०)
21.	भागलपुर	485650	99470	585120 (पाँच लाख पचासी हजार एक सौ बीस रु०)
22.	बाँका	405372	83028	488400 (चार लाख अठासी हजार चार सौ रु०)
23.	मधुबनी	709750	145370	855120 (आठ लाख पचपन हजार एक सौ बीस रु०)
24.	समस्तीपुर	664930	136190	801120 (आठ लाख एक हजार एक सौ बीस रु०)
25.	दरभंगा	620707	127133	747840 (सात लाख सैंतालीस हजार आठ सौ चालीस रु०)
26.	सहरसा	368122	75398	443520 (चार लाख तैतालीस हजार पाँच सौ बीस रु०)
27.	मधेपुरा	404177	82783	486960 (चार लाख छियासी हजार नौ सौ साठ रु०)
28.	सुपौल	405372	83028	488400 (चार लाख अठासी हजार चार सौ रु०)
29.	पूर्णिमा	494414	101266	595680 (पाँच लाख पंचानवे हजार छ: सौ अस्सी रु०)
30.	अररिया	429276	87924	517200 (पाँच लाख सतरह हजार दो सौ रु०)
31.	किसनगंज	324497	66463	390960 (तीन लाख नब्बे हजार नौ सौ साठ रु०)
32.	कटिहार	500789	102571	603360 (छ: लाख तीन हजार तीन सौ साठ रु०)
33.	मुँगेर	308162	63118	371280 (तीन लाख एकहत्तर हजार दो सौ अस्सी रु०)
34.	जमुई	360552	73848	434400 (चार लाख चौतीस हजार चार सौ रु०)
35.	बेगूसराय	529872	108528	638400 (छ: लाख अड़तीस हजार चार सौ रु०)
36.	खगड़िया	324497	66463	390960 (तीन लाख नब्बे हजार नौ सौ साठ रु०)
37.	लखीसराय	271510	55610	327120 (तीन लाख सत्ताईस हजार एक सौ बीस रु०)
38.	शेखपुरा	234259	47981	282240 (दो लाख तेरासी हजार दो सौ चालीस रु०)
कुल		17796727	3645113	21441840 (दो करोड़ चौदह लाख एकतालीस हजार आठ सौ चालीस रु०)

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना



संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव, 1/1/14

विवरणी-3

वित्तीय वर्ष 2013-14 में उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद को जिले की त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित राशि की विवरणी।

क्र. सं.	जिला	"योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0105 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं"	"योजना मुख्य शीर्ष-2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0103-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं"	कुल
1	2	3	4	5
1.	बक्सर	10509374	2121250	12630624 (एक करोड़ छब्बीस लाख तीस हजार छः सौ चौबीस रु०)
2.	रोहतास	17015095	3434388	20449483 (दो करोड़ चार लाख उनचास हजार चार सौ तेरासी रु०) ✓
3.	मोजपुर	17706397	3573923	21280320 (दो करोड़ बारह लाख अस्सी हजार तीन सौ बीस रु०)
4.	नालन्दा	17991403	3631450	21622853 (दो करोड़ सोलह लाख बाईस हजार आठ सौ तिरपन रु०) ✓
5.	पटना	23935213	4831170	28766383 (दो करोड़ सत्तासी लाख छियासठ हजार तीन सौ तेरासी रु०)
6.	कैमूर	10329524	2084949	12414473 (एक करोड़ चौबीस लाख चौदह हजार चार सौ तिहत्तर रु०) ✓
7.	गया	24359078	4916725	29275803 (दो करोड़ बेरानवे लाख पचहत्तर हजार आठ सौ तीन रु०)
8.	नवादा	13536601	2732277	16268878 (एक करोड़ बासठ लाख अड़सठ हजार आठ सौ अठहत्तर रु०) ✓
9.	औरंगाबाद	15069686	3041720	18111406 (एक करोड़ एकासी लाख ग्यारह हजार चार सौ छः रु०)
10.	जहानाबाद	6797133	1371958	8169091 (एकासी लाख उनहत्तर हजार एकानवे रु०) ✓
11.	अरवल	4907329	990513	5897842 (अनठावन लाख सनतानवे हजार आठ सौ बयालीस रु०)
12.	सारण	24584146	4962153	29546299 (दो करोड़ पनचानवे लाख छियालीस हजार दो सौ निनानवे रु०) ✓
13.	सिवान	21686745	4377331	26064076 (दो करोड़ साठ लाख चौसठ हजार छिहत्तर रु०)
14.	गोपालगंज	16994888	3430310	20425198 (दो करोड़ चार लाख पच्चीस हजार एक सौ अनठानवे रु०) ✓
15.	मुजफ्फरपुर	28428498	5738111	34166609 (तीन करोड़ इकतालीस लाख छियासठ हजार छः सौ नौ रु०)
16.	वैशाली	21324656	4304246	25628902 (दो करोड़ छप्पन लाख अट्ठाईस हजार नौ सौ दो रु०) ✓
17.	पू. चम्पारण	30120189	6079568	36199757 (तीन करोड़ इकसठ लाख निनानवे हजार सात सौ सनतानवे रु०)
18.	प. चम्पारण	22577291	4557082	27134373 (दो लाख इकहत्तर लाख चौतीस हजार तीन सौ तिहत्तर रु०) इरि. ✓
19.	सीतामढ़ी	20315352	4100524	24415876 (दो लाख चौवालीस लाख पन्द्रह हजार आठ सौ छिहत्तर रु०) इरि. ✓
20.	शिवहर	3953739	796675	4750414 (सैंतालीस लाख पचास हजार चार सौ चौदह रु०) ✓
21.	भागलपुर	16974445	3426184	20400629 (दो करोड़ चार लाख छः सौ उनतीस रु०)
22.	बांका	13316561	2687863	16004424 (एक करोड़ साठ लाख चार हजार चार सौ चौबीस रु०) ✓
23.	मधुबनी	29380936	5930355	35311291 (तीन करोड़ तिरपन लाख ग्यारह हजार दो सौ एकानवे रु०)
24.	समस्तीपुर	27818848	5615057	33433905 (तीन करोड़ चौतीस लाख तैंतीस हजार नौ सौ पाँच रु०) ✓..
25.	दरभंगा	24101960	4864827	28966787 (दो करोड़ नवासी लाख छियासठ हजार सात सौ सत्तासी रु०)
26.	सहरसा	11212769	2263226	13475995 (एक करोड़ चौतीस लाख पचहत्तर हजार नौ सौ पनचानवे रु०) ✓
27.	मधेपुरा	12097722	2441848	14539570 (एक करोड़ पैतालीस लाख उनचालीस हजार पाँच सौ सत्तर रु०)
28.	सुपौल	13415335	2707800	16123135 (एक करोड़ इकसठ लाख तेईस हजार एक सौ पैंतीस रु०) ✓
29.	पूर्णिमा	18190776	3671692	21862468 (दो करोड़ अठारह लाख बासठ हजार चार सौ अड़सठ रु०)
30.	अररिया	15954297	3220273	19174570 (एक करोड़ एकानवे लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ सत्तर रु०) ✓
31.	किसनगंज	9370809	1891438	11262247 (एक करोड़ बारह लाख बासठ हजार दो सौ सैंतालीस रु०)
32.	कटिहार	17453809	3522940	20976749 (दो करोड़ नौ लाख छिहत्तर हजार सात सौ उनचास रु०) ✓
33.	मुंगेर	7315545	1476596	8792141 (सत्तासी लाख बेरानवे हजार एक सौ इकतालीस रु०)
34.	जमुई	10681451	2155983	12837434 (एक करोड़ अट्ठाईस लाख सैंतीस हजार चार सौ चौतीस रु०)
35.	बेगूसराय	18060950	3645488	21706438 (दो करोड़ सत्रह लाख छः हजार चार सौ अड़तीस रु०)
36.	खगड़िया	9774349	1972890	11747239 (एक करोड़ सत्रह लाख सैंतालीस हजार दो सौ उनचासी रु०)
37.	लखीसराय	5918916	1194696	7113612 (इकहत्तर लाख तेरह हजार छः सौ बारह रु०)
38.	शेखपुरा	3842185	775521	4617706 (छियालीस लाख सत्रह हजार सात सौ छः रु०)
	कुल	617024000	124541000	741565000 (चौहत्तर करोड़ पन्द्रह लाख पैसठ हजार रुपये मात्र)

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

सं० संख्या:- 5प/वि-1-10/2014-33(आ०)/पं०रा०, पटना,

दिनांक 04/09/2014

प्रेषक,

रमाशंकर प्रसाद दफतुआर,
संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद।

विषय- जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों/पदधारकों से भत्ता हेतु राशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभागीय राज्यादेश संख्या 03 दिनांक 12/06/2014 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/पदधारकों को निम्न (प्रतिमाह) भत्ता, दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता एवं विशेष भत्ता की स्वीकृति के आलोक में जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों को मांग संख्या- 16 में निम्नलिखित बजट शीर्षों के अन्तर्गत राशि आवंटित की जाती है :-
जिला परिषद के लिए :-

"योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं" विपत्र कोड-P2515001960106 एवं
"योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं" विपत्र कोड- P2515007890106 के अन्तर्गत ₹16346000.00 (एक करोड़ तिरसठ लाख छियालीस हजार रुपये मात्र) विवरणी-1 के स्तम्भ-5 द्वारा आवंटित की जाती है।

पंचायत समिति के लिए :-

"योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0103-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं" विपत्र कोड-P2515001970103 एवं
"योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0105-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं" विपत्र कोड- P2515007890105 के अन्तर्गत ₹123733000.00 रु० (बारह करोड़ सैंतीस लाख तैंतीस हजार रुपये) विवरणी-2 के स्तम्भ-5 द्वारा आवंटित की जाती है।

ग्राम पंचायतों के लिए :-

"योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0105-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं" विपत्र कोड P2515001980105 एवं
"योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0103-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं" विपत्र कोड-P2515007890103 के अन्तर्गत



2. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, होंगे जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 03 दिनांक 12/06/2014 में निहित अनुदेश के आलोक में नियमों के अन्तर्गत वास्तविक भुगतान हेतु समीक्षा कर करेंगे तथा सभी स्तरों के पदधारकों के नियत भत्ते का भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के द्वारा संबंधित पदधारकों के खातों में करेंगे। हस्तान्तरण राशि आवंटन के पंद्रह दिनों के अन्दर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को करना सुनिश्चित किया जाये।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-एम-4-05/98-2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998, 310 दिनांक 28.03.2014, 353 दिनांक 15.04.2014 एवं 6720 दिनांक 25.07.2014 में निहित निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर विषयांकित बजट शीर्ष इकाईयों का कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय से लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
5. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये।
6. वित्तीय नियमावली, बजट, मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रख जा सके।
7. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

आई० टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग को निदेश दिया जाता है कि वे इसे विभाग के वेबसाइट पर डालेंगे एवं संबंधित पदाधिकारियों को e-mail करेंगे।

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव ।

क्र० सं०	जिला	“योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-98-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0105 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं” विपत्र कोड-पी2515001980-35	“योजना मुख्य शीर्ष-2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0103-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं” विपत्र कोड-पी2515007890103	कुल	
1	2	3	4	5	
21.	भागलपुर	12730834	2569638	15300472	(एक करोड़ तिरपन लाख चार सौ बहत्तर रु० मात्र)
22.	बांक	9987421	2055897	12003318	(एक करोड़ बीस लाख तीन हजार तीन सौ अठारह रु० मात्र)
23.	मधुबनी	22035702	4447766	26483468	(दो करोड़ चौसठ लाख तिरसी हजार चार सौ अड़सठ रु० मात्र)
24.	समस्तीपुर	20864136	4211293	25075429	(दो करोड़ पचास लाख पचहत्तर हजार चार सौ उन्तीस रु० मात्र)
25.	दरभंगा	18076470	3648620	21725090	(दो करोड़ सत्रह लाख पच्चीस हजार नब्बे रु० मात्र)
26.	सहरसा	8409577	1697419	10106996	(एक करोड़ एक लाख छः हजार नौ सौ छियानवे रु० मात्र)
27.	नयेपुर	9073292	1831386	10904678	(एक करोड़ नौ लाख चार हजार छः सौ अठहत्तर रु० मात्र)
28.	सुपौल	10061501	2030850	12092351	(एक करोड़ बीस लाख बेशानवे हजार तीन सौ एकावन रु० मात्र)
29.	पूर्वार्ध	13643082	2753769	16396851	(एक करोड़ तिरसठ लाख छियानवे हजार आठ सौ एकावन रु० मात्र)
30.	अररिया	11965723	2415205	14380928	(एक करोड़ तैतालीस लाख अस्सी हजार नौ सौ अड़ईस रु० मात्र)
31.	किशनगंज	7028107	1418578	8446685	(चौरासी लाख छियालीस हजार छः सौ पचासी रु० मात्र)
32.	कटिहार	13090357	2642205	15732562	(एक करोड़ सनतावन लाख बत्तीस हजार पाँच सौ बासठ रु० मात्र)
33.	मुंगेर	5486659	1107447	6594106	(पैंसठ लाख चौरानवे हजार एक सौ छः रु० मात्र)
34.	जमुई	8011088	1616987	9628075	(छियानवे लाख अड़ईस हजार पचहत्तर रु० मात्र)
35.	बेगुसराय	13545713	2734116	16279829	(एक करोड़ बासठ लाख उनासी हजार आठ सौ उन्तीस रु० मात्र)
36.	खगड़िया	7330762	1479667	8810429	(अठ्ठासी लाख दस हजार चार सौ उन्तीस रु० मात्र)
37.	लखीसराय	4439187	896022	5335209	(तिरपन लाख पैंतीस हजार दो सौ नौ रु० मात्र)
38.	शेखपुरा	2881633	581641	3463274	(चौतीस लाख तिरसठ हजार दो सौ चौहत्तर रु० मात्र)
	कुल	462768006	93405000	556173000	(पचपन करोड़ इकसठ लाख तिहत्तर हजार रु० मात्र)

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

विवरणी-3

वित्तीय वर्ष 2014-15 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को जिलों के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के लिए आवंटित राशि की विवरणी ।

क्र० सं०	जिला	"योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0105 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं" विपत्र कोड-पी2515001980105	"योजना मुख्य शीर्ष-2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0103-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं" विपत्र कोड-पी2515007890103	कुल
1	2	3	4	5
1.	बक्सर	7882031	1590937	9472968 (दौरानवे लाख बहतर हजार नौ सौ अड़सठ रु० मात्र)
2.	रोहतास	12761321	2575791	15337112 (एक करोड़ तिरपन लाख सैंतीस हजार एक सौ बारह रु० मात्र)
3.	मोजपुर	13279798	2680442	15960240 (एक करोड़ उनसठ लाख साठ हजार दो सौ चालीस रु० मात्र)
4.	नालन्दा	13493552	2723587	16217139 (एक करोड़ बासठ लाख सत्रह हजार एक सौ उनचालीस रु० मात्र)
5.	पटना	17951410	3623377	21574787 (दो करोड़ पन्नाह लाख चौहत्तर हजार सात सौ सत्तासी रु० मात्र)
6.	कैमूर	7747143	1563712	9310855 (तिरानवे लाख दस हजार अठ सौ पचपन रु० मात्र)
7.	गया	18269309	3687544	21956853 (दो करोड़ उन्नीस लाख छप्पन हजार आठ सौ तिरपन रु० मात्र)
8.	नवादा	10152451	2049208	12201659 (एक करोड़ बाईस लाख एक हजार छः सौ उनसठ रु० मात्र)
9.	औरंगाबाद	11302265	2281290	13583555 (एक करोड़ पैंतास लाख तेरासी हजार पाँच सौ पचपन रु० मात्र)
10.	जहानाबाद	5097850	1028968	6126818 (एकसठ लाख छब्बीस हजार आठ सौ अठारह रु० मात्र)
11.	अरवल	3680497	742885	4423382 (चौवालीस लाख तेईस हजार तीन सौ बेरासी रु० मात्र)
12.	सारण	18438110	3721615	22159725 (दो करोड़ इक्कोस लाख उनसठ हजार सात सौ पच्चीस रु० मात्र)
13.	सिवान	16265059	3282998	19548057 (एक करोड़ पनचानवे लाख अड़तालीस हजार सनतावन रु० मात्र)
14.	गोपालगंज	12746166	2572733	15318899 (एक करोड़ तिपन लाख अठारह हजार आठ सौ निनानवे रु० मात्र)
15.	मुजफ्फरपुर	21321374	4303583	25624957 (दो करोड़ छप्पन लाख चौबीस हजार नौ सौ सनतावन रु० मात्र)
16.	वैशाली	15993492	3228185	19221677 (एक करोड़ बेरानवे लाख इक्कीस हजार छः सौ सतहत्तर रु० मात्र)
17.	पू० चम्पारण	22590142	4559676	27149818 (दो करोड़ इकहत्तर लाख उनचास हजार आठ सौ अठारह रु० मात्र)
18.	प० चम्पारण	16932968	3417811	20350779 (दो करोड़ तीन लाख पचास हजार सात सौ उनासी रु० मात्र)
19.	सीतामढ़ी	15236514	3075393	18311907 (एक करोड़ तेरासी लाख ग्यारह हजार नौ सौ सात रु० मात्र)
20.	शिवहर	2965304	596759	3562063 (तीन लाख बसठ हजार तिरसठ रु० मात्र)

महोदय

क्र.सं.	जिला	"योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0103-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-280- व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं" विपत्र कोड-पी2515001970103	"योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0105 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं" विपत्र कोड- पी2515007890105	कुल	
22.	बाँका	2203868	445282	2649150	(छब्बीस लाख उनचास हजार एक सौ पचास रु० मात्र)
23.	मधुबनी	4621832	933823	5555655	(पचपन लाख पचपन हजार छः सौ पचपन रु० मात्र)
24.	समस्तीपुर	4383491	885667	5269158	(बावन लाख उनहत्तर हजार एक सौ अठ्ठावन रु० मात्र)
25.	दरभंगा	3847690	777410	4625100	(छियालीस लाख पच्चीस हजार एक सौ रु० मात्र)
26.	सहरसा	1890893	382050	2272943	(बाईस लाख बहत्तर हजार नौ सौ तैंतीस रु० मात्र)
27.	मधेपुरा	2204429	445396	2649825	(छब्बीस लाख उनचास हजार आठ सौ पच्चीस रु० मात्र)
28.	सुपौल	2206601	445834	2652435	(छब्बीस लाख बावन हजार चार सौ पैंतीस रु० मात्र)
29.	पूर्णिया	2933094	592620	3525714	(पैंतीस लाख पच्चीस हजार सात सौ चौदह रु० मात्र)
30.	अररिया	2357753	476374	2834127	(अट्ठाईस लाख चौतीस हजार एक सौ सत्ताईस रु० मात्र)
31.	किशनगंज	1486785	300399	1787184	(सत्रह लाख सत्तासी हजार एक सौ चौरासी रु० मात्र)
32.	कटेहार	2980877	602275	3583152	(पैंतीस लाख तेरासी हजार एक सौ बावन रु० मात्र)
33.	मुंगेर	1403378	283546	1686924	(सोलह लाख छियासी हजार नौ सौ चौबीस रु० मात्र)
34.	जमुई	1838063	371374	2209437	(बाईस लाख नौ हजार चार सौ सैंतीस रु० मात्र)
35.	बेगुसराय	3154274	637309	3791583	(सैंतीस लाख एकानवे हजार पाँच सौ तेरासी रु० मात्र)
36.	खगड़िया	1526834	308491	1835325	(अठारह लाख पैंतीस हजार तीन सौ पच्चीस रु० मात्र)
37.	लखीसराय	1120337	226360	1346697	(तेरह लाख छियालीस हजार छः सौ सनतानवे रु० मात्र)
38.	शेखपुरा	820930	166710	987640	(नौ लाख सत्तासी हजार छः सौ चालीस रु० मात्र)
	कुल	102934000	20799000	123733000	(बारह करोड़ सैंतीस लाख तैंतीस हजार रु० मात्र)

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त/सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

विवरणी-2

वित्तीय वर्ष 2014-15 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को जिलों के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत पंचायत समिति के लिए आवंटित राशि की विवरणी।

क्र० सं०	जिला	"योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0103-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801- व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं" विपत्र कोड-पी2515001970103	"योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0105 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं" विपत्र कोड- पी2515007890105	कुल
1	2	3	4	5
1.	बक्सर	1890677	382003	2272680 (बाईस लाख बहत्तर हजार छः सौ अस्सी रु० मात्र)
2.	रोहतास	3220490	650687	3871177 (अड़तीस लाख इकहत्तर हजार एक सौ सत्तहत्तर रु० मात्र)
3.	भोजपुर	2752232	556078	3308310 (तैंतीस लाख आठ हजार तीन सौ दस रु० मात्र)
4.	नालन्दा	3334529	673729	4008258 (चालीस लाख आठ हजार दो सौ अनठावन रु० मात्र)
5.	पटना	4155325	840317	4995642 (उनचास लाख पनचानवे हजार छः सौ बयालीस रु० मात्र)
6.	कैमूर	1888654	381596	2270250 (बाईस लाख सत्तर हजार दो सौ पचास रु० मात्र)
7.	गया	4276252	863999	5140251 (एकान्न लाख चालीस हजार दो सौ एकावन रु० मात्र)
8.	नवादा	2426119	490187	2916306 (उन्तीस लाख सोलह हजार तीन सौ छः रु० मात्र)
9.	औरंगाबाद	2384871	481854	2866725 (अष्टाईस लाख छियासठ हजार सात सौ पच्चीस रु० मात्र)
10.	जहानाबाद	1214639	245413	1460052 (चौदह लाख साठ हजार बावन रु० मात्र)
11.	अरवल	871170	176016	1047186 (दस लाख सैंनालीस हजार एक सौ छियासी रु० मात्र)
12.	सारण	4008733	809948	4818681 (अड़तालीस लाख अठारह हजार छः सौ एकासी रु० मात्र)
13.	सिवान	3444360	695919	4140279 (इकतालीस लाख चालीस हजार दो सौ उनासी रु० मात्र)
14.	गोपालगंज	2805916	566924	3372840 (तैंतीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ चालीस रु० मात्र)
15.	मुजफ्फरपुर	4170652	842663	5013315 (पचास लाख तेरह हजार तीन सौ पन्द्रह रु० मात्र)
16.	वैशाली	3394405	685826	4080231 (चालीस लाख अस्सी हजार दो सौ एकतीस रु० मात्र)
17.	पू० चम्पारण	4964260	1003010	5967270 (उनसठ लाख सड़सठ हजार दो सौ सत्तर रु० मात्र)
18.	प० चम्पारण	3678014	743128	4421142 (चौवालीस लाख इक्कीस हजार एक सौ बयालीस रु० मात्र)
19.	सीतामढ़ी	3353712	677604	4031316 (चालीस लाख इकतीस हजार तीन सौ सोलह रु० मात्र)
20.	शिवहर	769433	155461	924894 (नौ लाख चौबीस हजार आठ सौ चौरानवे रु० मात्र)
21.	भागलपुर	2943428	595718	3544146 (तैंतीस लाख चौदह हजार एक सौ छियालीस रु० मात्र)

Madan

क्र० सं०	जिला	"योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं" विपत्र कोड-पी2515001960106	"योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं" विपत्र कोड-पी2515007890106	कुल
1	2	3	4	5
24.	समस्तीपुर	504706	103084	607790 (छ: लाख सात हजार सात सौ नब्बे रु० मात्र)
25.	दरभंगा	471140	96691	567831 (पाँच लाख सड़सठ हजार आठ सौ एकतीस रु० मात्र)
26.	सहरसा	279418	60172	339590 (तीन लाख उनचालीस हजार पाँच सौ नब्बे रु० मात्र)
27.	मधेपुरा	306784	65386	372170 (तीन लाख बहत्तर हजार एक सौ सत्तर रु० मात्र)
28.	सुपौल	307692	65558	373250 (तीन लाख तिहत्तर हजार दो सौ पचास रु० मात्र)
29.	पूर्णिमा	375278	78432	453710 (चार लाख तिरपन हजार सात सौ दस रु० मात्र)
30.	अररिया	325836	69014	394850 (तीन लाख चौरानवे हजार आठ सौ पचास रु० मात्र)
31.	किशनगंज	246304	53866	300170 (तीन लाख एक सौ सत्तर रु० मात्र)
32.	कटिहार	380116	79354	459470 (चार लाख उनसठ हजार चार सौ सत्तर रु० मात्र)
33.	मुंगेर	233906	51504	285410 (दो लाख पचासी हजार चार सौ दस रु० मात्र)
34.	जमुई	273672	59078	332750 (तीन लाख बत्तीस हजार सात सौ पचास रु० मात्र)
35.	बेगुसराय	402192	83558	485750 (चार लाख पचासी हजार सात सौ पचास रु० मात्र)
36.	खगड़िया	246304	53866	300170 (तीन लाख एक सौ सत्तर रु० मात्र)
37.	लखीसराय	206086	46215	252301 (दो लाख बावन हजार तीन सौ एक रु० मात्र)
38.	शेखपुरा	178062	40819	218881 (दो लाख अठारह हजार आठ सौ एकासी रु० मात्र)
	कुल	13516000	2830000	16346000 (एक करोड़ तिरसठ लाख छियालीस हजार रु० मात्र)

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

विवरणी-1

वित्तीय वर्ष 2014-15 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को जिलों के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत जिला परिषद के लिए आवंटित राशि की विवरणी ।

क्र० सं०	जिला	"योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ" विपत्र कोड-पी2515001960106	"योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ" विपत्र कोड-पी2515007890106	कुल
2	3	4	5	
1.	बक्सर	278964	60086	339050 (तीन लाख उन्नाईस हजार पचास रु० मात्र)
2.	रोहतास	395992	82378	478370 (चार लाख अठहत्तर हजार तीन सौ सत्तर रु० मात्र)
3.	मोजपुर	358042	75148	433190 (चार लाख तैंतीस हजार एक सौ नब्बे रु० मात्र)
4.	नालन्दा	407030	84480	491510 (चार लाख एकानवे हजार पाँच सौ दस रु० मात्र)
5.	पटना	491854	100636	592490 (पाँच लाख बरानवे हजार चार सौ नब्बे रु० मात्र)
6.	कैमूर	273218	58992	332210 (तीन लाख बत्तीस हजार दो सौ दस रु० मात्र)
7.	गया	497146	101897	599043 (पाँच लाख निनानवे हजार तैंतालीस रु० मात्र)
8.	बनारस	323568	68582	392150 (तीन लाख बरानवे हजार एक सौ दस रु० मात्र)
9.	औरंगाबाद	324928	68842	393770 (तीन लाख तिरानवे हजार सात सौ सत्तर रु० मात्र)
10.	जहानाबाद	217576	48394	265970 (दो लाख पैसठ हजार नौ सौ सत्तर रु० मात्र)
11.	अरवल	184010	42000	226010 (दो लाख छब्बीस हजार दस रु० मात्र)
12.	सारण	481724	98707	580431 (पाँच लाख अस्सी हजार चार सौ एकतीस रु० मात्र)
13.	सिवान	426082	88108	514190 (पाँच लाख चौदह हजार एक सौ नब्बे रु० मात्र)
14.	गोपालगंज	363788	76243	440031 (चार लाख चालीस हजार एकतीस रु० मात्र)
15.	मुजफ्फरपुर	500774	102336	603110 (छः लाख तीन हजार एक सौ दस रु० मात्र)
16.	वैशाली	426082	88108	514190 (पाँच लाख चौदह हजार एक सौ नब्बे रु० मात्र)
17.	पू० चम्पारण	576224	116707	692931 (छः लाख बरानवे हजार नौ सौ एकतीस रु० मात्र)
18.	प० चम्पारण	442412	91219	533631 (पाँच लाख तैंतीस हजार छः सौ एकतीस रु० मात्र)
19.	सीतामढ़ी	420136	79834	499970 (चार लाख निनानवे हजार नौ सौ सत्तर रु० मात्र)
20.	शिवहर	173910	38420	212330 (दो लाख बारह हजार तीन सौ तीस रु० मात्र)
21.	भागलपुर	368626	77164	445790 (चार लाख पैतालीस हजार सात सौ नब्बे रु० मात्र)
22.	बाँका	307692	65558	373250 (तीन लाख तिरहत्तर हजार दो सौ पचास रु० मात्र)
23.	मुन्शी	338726	69564	408290 (छः लाख अठानतीस हजार दो सौ नब्बे रु० मात्र)

modar JW (S) JF

**बिहार सरकार :-
पंचायती राज विभाग**

पत्र संख्या- 84/प्र0म0-07/2015/पं०रा०/ 04/

पटना, दिनांक 7/8/2015

प्रेषक,

राम प्रकाश सिंह,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

विषय: त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच को वित्तीय वर्ष 2015-16 में नियत (मासिक) भत्ता हेतु ₹2,28,91,10,400.00 (दो अरब अट्ठाईस करोड़ इक्यानवे लाख दस हजार चार सौ रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 2517 दिनांक 05.05.2015 द्वारा दिनांक 01.04.2015 के प्रभाव से जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, पंचायत समिति सदस्य/प्रमुख/उप-प्रमुख, ग्राम पंचायत मुखिया/उप-मुखिया/सदस्य एवं ग्राम कचहरी सरपंच/उप-सरपंच/सदस्य (पंच) को निम्नांकित सारणी के स्तम्भ-4 में उल्लिखित दर से समेकित नियत (मासिक) भत्ता की स्वीकृति दी गयी है -

सारणी

क्र०	नाम.	सदस्य संख्या	नियत (मासिक) भत्ता (रु० में)	वार्षिक राशि (रु० में)
1	2	3	4	5
1	जिला परिषद अध्यक्ष	38	₹12000 मात्र	₹12000×38×12= ₹5472000
2	जिला परिषद उपाध्यक्ष	38	₹10000 मात्र	₹10000×38×12= ₹4560000
3	पंचायत समिति प्रमुख	531	₹10000 मात्र	₹10000×531×12= ₹63720000
4	पंचायत समिति उप-प्रमुख	531	₹5000 मात्र	₹5000×531×12= ₹31860000
5	ग्राम पंचायत मुखिया	8398	₹2500 मात्र	₹2500×8398×12= ₹251940000
6	ग्राम पंचायत उप-मुखिया	8398	₹1200 मात्र	₹1200×8398×12= ₹120931200
7	ग्राम कचहरी सरपंच	8398	₹2500 मात्र	₹2500×8398×12= ₹251940000
8	ग्राम कचहरी उप-सरपंच	8398	₹1200 मात्र	₹1200×8398×12= ₹120931200
9	जिला परिषद सदस्य	1162-76 = 1086	₹2500 मात्र	₹2500×1086×12= ₹32580000
10	पंचायत समिति सदस्य	11501-531×2 = 10439	₹1000 मात्र	₹1000×10439×12= ₹125268000
11	ग्राम पंचायत सदस्य	115057-8398 = 106659	₹500 मात्र	₹500×106659×12= ₹639954000
12	ग्राम कचहरी सदस्य (पंच)	115057-8398 = 106659	₹500 मात्र	₹500×106659×12= ₹639954000
कुल :-				₹2289110400
कुल :- (दो अरब अट्ठाईस करोड़ इक्यानवे लाख दस हजार चार सौ रुपये) मात्र				

2. राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में समेकित नियत (मासिक) भत्ता भुगतान हेतु संलग्न जिलावार विवरणी-1 के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को ₹42612000.00 (चार करोड़ छब्बीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र की राशि, संलग्न विवरणी-2 के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख तथा सदस्यों को ₹220848000.00 (बाईस करोड़ आठ लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र की राशि, संलग्न विवरणी-3 के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया तथा सदस्यों को ₹1012825200.00 (एक अरब एक करोड़ अट्ठाईस लाख पच्चीस हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि, तथा संलग्न विवरणी-4 के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच, तथा सदस्यों (पंचों) को ₹1012825200.00 (एक अरब एक करोड़ अट्ठाईस लाख पच्चीस हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि, अर्थात् कुल मिलाकर ₹2,28,91,10,400.00 (दो अरब अट्ठाईस करोड़ इक्यानवे लाख दस हजार चार सौ रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति इस आधार पर दी जा रही है कि योजना उद्ध्य एवं बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही राशि आवंटित की जायेगी।

3. त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद होंगे तथा विभाग द्वारा राशि का आवंटन उन्हें दी जायेगी, जो राशि की निकासी कर राशि को जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के खातों में जमा करेंगे। सभी स्तरों से नियत भत्ते का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के द्वारा संबंधित पदधारकों के खातों में किया जायेगा।

4. ग्राम कचहरी के सरपंचों, उप-सरपंचों एवं पंचों हेतु राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे तथा विभाग द्वारा राशि का आवंटन संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी को किया जायेगा, जो राशि की निकासी कर राशि को ग्राम कचहरी के सरपंचों, उपसरपंचों एवं पंचों (सदस्यों) के खातों में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा जमा करेंगे।

5. आवंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ही की जायेगी। यदि राशि शेष रह जाती है तो उसका उपयोग विगत वर्षों के बकाया भुगतान के लिए पूर्व निर्धारित दर से ही किया जायेगा।

6. वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस स्वीकृत राशि ₹2,28,91,10,400.00 (दो अरब अट्ठाईस करोड़ इक्यानवे लाख दस हजार चार सौ रुपये) मात्र की राशि की निकासी मांग संख्या 16 के योजना बजट में उपबंधित राशि से निम्नांकित बजट शीर्षों के अन्तर्गत की जायेगी :-

1. जिला परिषदों के लिए -

(क) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-P-2515001960106

(ख) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-P-2515007890106

2. पंचायत समितियों के लिए -

(क) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0103-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-P-2515001970103

(ख) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0105-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-P-2515007890105

3. ग्राम पंचायतों के लिए -

(क) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0105-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-P-2515001980105

(ख) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0103-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-P-2515007890103

4. ग्राम कचहरियों के लिए -

(क) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-P-2515001980106

(ख) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-P-2515007890104

7 राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियमों के आलोक में इस विभाग द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर की जायेगी। राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा जिसके आलोक में ही राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 8प/प्र0म0-07/2015/पं०रा० के पृष्ठ संख्या-32/टि0 पर दिनांक-28.07.2015 को प्राप्त है।

9. प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या 8प/प्र0म0-07/2015/पं०रा० के पृष्ठ संख्या-34/टि0 पर दिनांक-06.08.2015 को प्राप्त है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. इस स्वीकृत्यादेश तथा संलग्न विवरणी के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्वनाथ झा

6.8.15
(राम प्रकाश सिंह)

अनुश्रवण पदाधिकारी

पटना, दिनांक 7/8/2015

ज्ञापांक-8प/प्र0म0-07/2015/पं०रा०/.....04...../

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वनाथ झा

6.8.15
(राम प्रकाश सिंह)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक-8प/प्र0म0-07/2015/पं०रा०/.....04...../

पटना, दिनांक 7/8/2015

प्रतिलिपि - वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना /बजट शाखा पंचायती राज विभाग/आईटी0 मैनेजर, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वनाथ झा

6.8.15
(राम प्रकाश सिंह)

अनुश्रवण पदाधिकारी

पटना, दिनांक 7/8/2015

ज्ञापांक-8प/प्र0म0-07/2015/पं०रा०/.....04...../

प्रतिलिपि - आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वनाथ झा

6.8.15
(राम प्रकाश सिंह)

अनुश्रवण पदाधिकारी

6-8-15

विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2015-16 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जिला परिषद (जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य हेतु) को रवीकृत राशि का विवरण

क्र०	जिला	योजना मुख्यशीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- उपमुख्य शीर्ष-00-तपुशीर्ष-196-जिला परिषद/ जिला स्तर की पंचायतों की सहायता- उपशीर्ष-0106-जिला परिषद के निर्धारित प्रतिनिधियों को नियत मत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं में आवंटित राशि (रुपये में)	योजना मुख्यशीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- उपमुख्य शीर्ष-00-तपुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना- उपशीर्ष-0106-जिला परिषद के निर्धारित प्रतिनिधियों को नियत मत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं में आवंटित राशि (रुपये में)	कुल राशि (रुपये में) (3+4)
1	2	3	4	5
1.	बक्सर	6,67,320.00 (छ लाख सड़सठ हजार तीन सौ बीस रुपये) मात्र	1,36,680.00 (एक लाख छत्तीस हजार छः सौ अस्सी रुपये) मात्र	8,04,000.00 (आठ लाख चार हजार रुपये) मात्र
2.	रोहतास	9,91,020.00 (नौ लाख इक्क्यानवे हजार बीस रुपये) मात्र	2,02,980.00 (दो लाख दो हजार नौ सौ अस्सी रुपये) मात्र	11,94,000.00 (ग्यारह लाख बीस हजार रुपये) मात्र
3.	भोजपुर	9,41,220.00 (नौ लाख इकतालीस हजार दो सौ बीस रुपये) मात्र	1,92,780.00 (एक लाख बानवे हजार सात सौ अस्सी रुपये) मात्र	11,34,000.00 (ग्यारह लाख चौतीस हजार रुपये) मात्र
4.	नालन्दा	10,15,920.00 (दस लाख पन्द्रह हजार नौ सौ बीस रुपये) मात्र	2,08,080.00 (दो लाख आठ हजार अस्सी रुपये) मात्र	12,24,000.00 (बारह लाख चौबीस हजार रुपये) मात्र
5.	पटना	13,14,720.00 (तेरह लाख चौदह हजार सात सौ बीस रुपये) मात्र	2,69,280.00 (दो लाख उनहत्तर हजार दो सौ अस्सी रुपये) मात्र	15,84,000.00 (पन्द्रह लाख बीस हजार रुपये) मात्र
6.	कैमूर	6,42,420.00 (छ लाख बियालीस हजार चार सौ बीस रुपये) मात्र	1,31,580.00 (एक लाख इकतीस हजार पाँच सौ अस्सी रुपये) मात्र	7,74,000.00 (सात लाख चौहत्तर हजार रुपये) मात्र
7.	मगध	13,14,720.00 (तेरह लाख चौदह हजार सात सौ बीस रुपये) मात्र	2,69,280.00 (दो लाख उनहत्तर हजार दो सौ अस्सी रुपये) मात्र	15,84,000.00 (पन्द्रह लाख बीस हजार रुपये) मात्र
8.	नवादा	7,91,820.00 (सात लाख इक्क्यानवे हजार आठ सौ बीस रुपये) मात्र	1,62,180.00 (एक लाख बासठ हजार एक सौ अस्सी रुपये) मात्र	9,54,000.00 (नौ लाख चौवन हजार रुपये) मात्र
9.	औरंगाबाद	8,66,520.00 (आठ लाख छियासठ हजार पाँच सौ बीस रुपये) मात्र	1,77,480.00 (एक लाख सतहत्तर हजार चार सौ अस्सी रुपये) मात्र	10,44,000.00 (दस लाख बीस हजार रुपये) मात्र
10.	जहानाबाद	4,93,020.00 (चार लाख तिरानवे हजार बीस रुपये) मात्र	1,00,980.00 (एक लाख नौ सौ अस्सी रुपये) मात्र	5,94,000.00 (पाँच लाख बीस हजार रुपये) मात्र
11.	अरवल	3,93,420.00 (तीन लाख तिरानवे हजार चार सौ बीस रुपये) मात्र	80,580.00 (अस्सी हजार पाँच सौ अस्सी रुपये) मात्र	4,74,000.00 (चार लाख चौहत्तर हजार रुपये) मात्र
12.	सारन	13,39,620.00 (तेरह लाख उनतालीस हजार छः सौ बीस रुपये) मात्र	2,74,380.00 (दो लाख चौहत्तर हजार तीन सौ अस्सी रुपये) मात्र	16,14,000.00 (सोलह लाख चौदह हजार रुपये) मात्र
13.	सिमान	11,90,220.00 (ग्यारह लाख नब्बे हजार दो सौ बीस रुपये) मात्र	2,43,780.00 (दो लाख तेतालीस हजार सात सौ अस्सी रुपये) मात्र	14,34,000.00 (चौदह लाख बीतीस हजार रुपये) मात्र
14.	गोपालगंज	9,66,120.00 (नौ लाख छियासठ हजार एक सौ बीस रुपये) मात्र	1,97,880.00 (एक लाख सतानवे हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र	11,64,000.00 (ग्यारह लाख बीस हजार रुपये) मात्र
15.	मुजफ्फरपुर	15,13,920.00 (पन्द्रह लाख तेरह हजार नौ सौ बीस रुपये) मात्र	3,10,080.00 (तीन लाख दस हजार अस्सी रुपये) मात्र	18,24,000.00 (अठारह लाख चौबीस हजार रुपये) मात्र
16.	वैशाली	11,90,220.00 (ग्यारह लाख नब्बे हजार दो सौ बीस रुपये) मात्र	2,43,780.00 (दो लाख तेतालीस हजार सात सौ अस्सी रुपये) मात्र	14,34,000.00 (चौदह लाख बीतीस हजार रुपये) मात्र
17.	पूँ चम्पारण	15,88,620.00 (पन्द्रह लाख अठ्ठासी हजार छः सौ बीस रुपये) मात्र	3,25,380.00 (तीन लाख पच्चीस हजार तीन सौ अस्सी रुपये) मात्र	19,14,000.00 (उन्नीस लाख बीस हजार रुपये) मात्र
18.	प० चम्पारण	12,15,120.00 (बारह लाख पन्द्रह हजार एक सौ बीस रुपये) मात्र	2,48,880.00 (दो लाख अड़तालीस हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र	14,64,000.00 (चौदह लाख बीस हजार रुपये) मात्र
19.	सीतामढ़ी	11,15,520.00 (ग्यारह लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ बीस रुपये) मात्र	2,28,480.00 (दो लाख अड़ताईस हजार चार सौ अस्सी रुपये) मात्र	13,44,000.00 (तेरह लाख बीस हजार रुपये) मात्र
20.	शिवहर	3,43,620.00 (तीन लाख तेतालीस हजार छः सौ बीस रुपये) मात्र	70,380.00 (सत्तर हजार तीन सौ अस्सी रुपये) मात्र	4,14,000.00 (चार लाख बीस हजार रुपये) मात्र
21.	भागलपुर	9,41,220.00 (नौ लाख इकतालीस हजार दो सौ बीस रुपये) मात्र	1,92,780.00 (एक लाख बानवे हजार सात सौ अस्सी रुपये) मात्र	11,34,000.00 (ग्यारह लाख बीतीस हजार रुपये) मात्र
22.	बांका	7,91,820.00 (सात लाख इक्क्यानवे हजार आठ सौ बीस रुपये) मात्र	1,62,180.00 (एक लाख बासठ हजार एक सौ अस्सी रुपये) मात्र	9,54,000.00 (नौ लाख चौवन हजार रुपये) मात्र
23.	मधुबनी	15,63,720.00 (पन्द्रह लाख तिरसठ हजार सात सौ बीस रुपये) मात्र	3,20,280.00 (तीन लाख बीस हजार दो सौ अस्सी रुपये) मात्र	18,84,000.00 (अठारह लाख बीस हजार रुपये) मात्र
24.	समस्तीपुर	14,39,220.00 (चौदह लाख उनतालीस हजार दो सौ बीस रुपये) मात्र	2,94,780.00 (दो लाख बीस हजार सात सौ अस्सी रुपये) मात्र	17,34,000.00 (सत्रह लाख बीतीस हजार रुपये) मात्र
25.	दरभंगा	13,39,620.00 (तेरह लाख उनतालीस हजार छः सौ बीस रुपये) मात्र	2,74,380.00 (दो लाख चौहत्तर हजार तीन सौ अस्सी रुपये) मात्र	16,14,000.00 (सोलह लाख चौदह हजार रुपये) मात्र

प्रतिनिधियों को नियत मत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ में आवंटित राशि (रुपये में)		उपशीर्ष-0106-जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत मत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ में आवंटित राशि (रुपये में)		(3+4)
1	2	3	4	5
26.	सहस्सा 6,92,220.00	(छ: लाख बानबे हजार दो सौ बीस रुपये) मात्र	1,41,780.00 (एक लाख इकतालीस हजार सात सौ अस्सी रुपये) मात्र	8,34,000.00 (आठ लाख चौतीस हजार रुपये) मात्र
27.	मधेपुरा 7,42,020.00	(सात लाख बयालीस हजार बीस रुपये) मात्र	1,51,980.00 (एक लाख इक्कावन हजार नौ सौ अस्सी रुपये) मात्र	8,94,000.00 (आठ लाख घोरानबे हजार रुपये) मात्र
28.	सुपौल 7,91,820.00	(सात लाख इक्कानबे हजार आठ सौ बीस रुपये) मात्र	1,62,180.00 (एक लाख बासठ हजार एक सौ अस्सी रुपये) मात्र	9,54,000.00 (नौ लाख चौवन हजार रुपये) मात्र
29.	पूर्णिया 10,15,920.00	(दस लाख पन्द्रह हजार नौ सौ बीस रुपये) मात्र	2,08,080.00 (दो लाख आठ हजार अस्सी रुपये) मात्र	12,24,000.00 (बारह लाख चौबीस हजार रुपये) मात्र
30.	अररिया 9,16,320.00	(नौ लाख सोलह हजार तीन सौ बीस रुपये) मात्र	1,87,680.00 (एक लाख सतासी हजार छ: सौ अस्सी रुपये) मात्र	11,04,000.00 (ग्यारह लाख चार हजार रुपये) मात्र
31.	किशनगंज 6,17,520.00	(छ: लाख सत्रह हजार पाँच सौ बीस रुपये) मात्र	1,26,480.00 (एक लाख छब्बीस हजार चार सौ अस्सी रुपये) मात्र	7,44,000.00 (सात लाख चवालीस हजार रुपये) मात्र
32.	कटिहार 9,91,020.00	(नौ लाख इक्कानबे हजार बीस रुपये) मात्र	2,02,980.00 (दो लाख दो हजार नौ सौ अस्सी रुपये) मात्र	11,94,000.00 (ग्यारह लाख चौरानबे हजार रुपये) मात्र
33.	मुंगेर 5,17,920.00	(पाँच लाख सत्रह हजार नौ सौ बीस रुपये) मात्र	1,06,080.00 (एक लाख छ: हजार अस्सी रुपये) मात्र	6,24,000.00 (छह लाख चौबीस हजार रुपये) मात्र
34.	जमुई 6,67,320.00	(छ: लाख सड़सठ हजार तीन सौ बीस रुपये) मात्र	1,36,680.00 (एक लाख छत्तीस हजार छ: सौ अस्सी रुपये) मात्र	8,04,000.00 (आठ लाख चार हजार रुपये) मात्र
35.	बैगुसराय 10,40,820.00	(दस लाख चालीस हजार आठ सौ बीस रुपये) मात्र	2,13,180.00 (दो लाख तेरह हजार एक सौ अस्सी रुपये) मात्र	12,54,000.00 (बारह लाख चौवन हजार रुपये) मात्र
36.	खगड़िया 6,17,520.00	(छ: लाख सत्रह हजार पाँच सौ बीस रुपये) मात्र	1,26,480.00 (एक लाख छब्बीस हजार चार सौ अस्सी रुपये) मात्र	7,44,000.00 (सात लाख चवालीस हजार रुपये) मात्र
37.	लखीसराय 4,43,220.00	(चार लाख तेतालीस हजार दो सौ बीस रुपये) मात्र	90,780.00 (नब्बे हजार सात सौ अस्सी रुपये) मात्र	5,34,000.00 (पाँच लाख चौतीस हजार रुपये) मात्र
38.	शेखपुरा 3,43,620.00	(तीन लाख तेतालीस हजार छ: सौ बीस रुपये) मात्र	70,380.00 (सत्तर हजार तीन सौ अस्सी रुपये) मात्र	4,14,000.00 (चार लाख चौदह हजार रुपये) मात्र
	कुल राशि 3,53,67,960.00	(तीन करोड़ तिरपन लाख सड़सठ हजार नौ सौ साठ रुपये) मात्र	72,44,040.00 (बहत्तर लाख चवालीस हजार चालीस रुपये) मात्र	4,26,12,000.00 (चार करोड़ छब्बीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र

(अनुश्रवण पदाधिकारी)

6-8-15

विवरण-2

वित्तीय वर्ष 2015-16 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत पंचायत समिति (पंचायत समिति प्रमुख/उप-प्रमुख/पंचायत समिति सदस्य हेतु) को स्वीकृत राशि का विवरण

क्र०	जिला	योजना मुख्यमंत्री-2515-अप ग्राम विकास कार्यक्रम- उपमुख्य गाँव-00-समुदाय-157-लोक पंचायती/समाजवादी मंत्र की पंचायती को सहायता- उपगाँव-0103-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत गुना हेतु-2801-यावत्सर्विक एवं विशेष सेवाएँ- 8 अक्टूबर राशि (रुपये में)	योजना मुख्यमंत्री-2515-अप ग्राम विकास कार्यक्रम- उपमुख्य गाँव-00-समुदाय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष उदक योजना- उपगाँव-0105-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत गुना हेतु-2801-यावत्सर्विक एवं विशेष सेवाएँ- 8 अक्टूबर राशि (रुपये में)	कुल राशि (रुपये में) (3+4)
1	2	3	4	5
1.	बक्सर	34 16 280 00 (तीस लाख सोलह हजार दो सौ अस्सी रुपये) मात्र	6,99,720 00 (छ लाख नित्याने हजार सात सौ बीस रुपये) मात्र	41,16,000 00 (इकतालीस लाख सोलह हजार रुपये) मात्र
2.	रोहतास	57 46 920 00 (सत्तावन लाख छियालीस हजार नौ सौ बीस रुपये) मात्र	11,77,080 00 (ग्यारह लाख सत्तर हजार अस्सी रुपये) मात्र	69,24,000 00 (सत्तर लाख चौबीस हजार रुपये) मात्र
3.	मोजपुर	49 00 320 00 (उनचास लाख तीन सौ बीस रुपये) मात्र	10,03,680 00 (दस लाख तीन हजार छ सौ अस्सी रुपये) मात्र	59,04,000 00 (अनसठ लाख चार हजार रुपये) मात्र
4.	नालन्दा	59 95 920 00 (अनसठ लाख पचानवे हजार नौ सौ बीस रुपये) मात्र	12,28,080 00 (बारह लाख अट्ठाईस हजार अस्सी रुपये) मात्र	72,24,000 00 (बत्तर लाख चौबीस हजार रुपये) मात्र
5.	पटना	74 00 280 00 (साठ लाख दो सौ अस्सी रुपये) मात्र	15,15,720 00 (पन्ध्र लाख पन्ध्र हजार सात सौ बीस रुपये) मात्र	89,16,000 00 (नवासी लाख सोलह हजार रुपये) मात्र
6.	कमूर	32 76 840 00 (बत्तीस लाख छिहत्तर हजार आठ सौ चालीस रुपये) मात्र	6,71,160 00 (छ लाख इक्कहत्तर हजार एक सौ साठ रुपये) मात्र	39,48,000 00 (उनतालीस लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र
7.	गया	76 79 160 00 (छिहत्तर लाख उनगसी हजार एक सौ साठ रुपये) मात्र	15,72,840 00 (पन्ध्र लाख बत्तर हजार आठ सौ चालीस रुपये) मात्र	92,52,000 00 (बाग्वे लाख बावन हजार रुपये) मात्र
8.	नवादा	43 42 560 00 (तीतालीस लाख बगालीस हजार पाँच सौ साठ रुपये) मात्र	8,89,440 00 (आठ लाख नवासी हजार चार सौ चालीस रुपये) मात्र	52,32,000 00 (बाग्वे लाख बत्तीस हजार रुपये) मात्र
9.	औरंगाबाद	42 62 880 00 (बगालीस लाख बासठ हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र	8,73,120 00 (आठ लाख छिहत्तर हजार एक सौ बीस रुपये) मात्र	51,36,000 00 (इकतावन लाख छत्तीस हजार रुपये) मात्र
10.	जहानाबाद	21 81 240 00 (इक्कीस लाख इक्यासी हजार दो सौ चालीस रुपये) मात्र	4,46,760 00 (चार लाख छियालीस हजार सात सौ साठ रुपये) मात्र	26,28,000 00 (छब्बसी लाख अट्ठाईस हजार रुपये) मात्र
11.	अररय	15 23 880 00 (पन्ध्र लाख तेईस हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र	3,12,120 00 (तीन लाख बारह हजार एक सौ बीस रुपये) मात्र	18,36,000 00 (अठारह लाख छत्तीस हजार रुपये) मात्र
12.	सारण	72 21 000 00 (बत्तर लाख इक्कीस हजार रुपये) मात्र	14,79,000 00 (पोंदह लाख उनगसी हजार रुपये) मात्र	87,00,000 00 (सत्तर लाख रुपये) मात्र
13.	सिवां	61 65 240 00 (इकसठ लाख पसठ हजार दो सौ चालीस रुपये) मात्र	12,62,760 00 (बारह लाख बासठ हजार सात सौ साठ रुपये) मात्र	74,28,000 00 (साठ लाख अट्ठाईस हजार रुपये) मात्र
14.	गोपालगंज	49 99 920 00 (उनचास लाख नित्याने हजार नौ सौ बीस रुपये) मात्र	10,24,080 00 (दस लाख चौबीस हजार अस्सी रुपये) मात्र	60,24,000 00 (साठ लाख चौबीस हजार रुपये) मात्र
15.	मुजफ्फरपुर	73 40 520 00 (बिहत्तर लाख चालीस हजार पाँच सौ बीस रुपये) मात्र	15,03,480 00 (पन्ध्र लाख तीन हजार चार सौ अस्सी रुपये) मात्र	88,44,000 00 (अष्टासी लाख बगालीस हजार रुपये) मात्र
16.	वैशाली	60 05 880 00 (साठ लाख पाँच हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र	12,30,120 00 (बारह लाख तीस हजार एक सौ बीस रुपये) मात्र	72,36,000 00 (बत्तर लाख छत्तीस हजार रुपये) मात्र
17.	पूँ चम्पारण	87 44 880 00 (सत्तारसी लाख बगालीस हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र	17,91,120 00 (सत्रह लाख इकानवे हजार एक सौ बीस रुपये) मात्र	1,05,36,000 00 (एक करोड़ पाँच लाख छत्तीस हजार रुपये) मात्र
18.	पूँ चम्पारण	64 93 920 00 (चौरसठ लाख छिहत्तर हजार नौ सौ बीस रुपये) मात्र	13,30,080 00 (तेरह लाख तीस हजार अस्सी रुपये) मात्र	78,24,000 00 (अठ्ठहत्तर लाख चौबीस हजार रुपये) मात्र
19.	सीतामढ़ी	60 25 800 00 (साठ लाख पच्चीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र	12,34,200 00 (बारह लाख चौतीस हजार दो सौ रुपये) मात्र	72,60,000 00 (बत्तर लाख साठ हजार रुपये) मात्र
20.	शिवहर	13 64 520 00 (तेरह लाख तीसठ हजार पाँच सौ बीस रुपये) मात्र	2,79,480 00 (दो लाख उनगसी हजार चार सौ अस्सी रुपये) मात्र	16,44,000 00 (सोलह लाख बगालीस हजार रुपये) मात्र
21.	भागलपुर	51 99 120 00 (इकतावन लाख नित्याने हजार एक सौ बीस रुपये) मात्र	10,64,880 00 (दस लाख चौसठ हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र	62,64,000 00 (बासठ लाख चौसठ हजार रुपये) मात्र
22.	बांका	39 14 280 00 (अनतालीस लाख चौदह हजार दो सौ अस्सी रुपये) मात्र	8,01,720 00 (आठ लाख एक हजार सात सौ बीस रुपये) मात्र	47,16,000 00 (सैंतालिस लाख सोलह हजार रुपये) मात्र
23.	मधुबनी	82 46 880 00 (बेगारसी लाख छियालीस हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र	16,89,120 00 (सोलह लाख नवासी हजार एक सौ बीस रुपये) मात्र	99,36,000 00 (नित्याने लाख छत्तीस हजार रुपये) मात्र
24.	समस्तीपुर	77 88 720 00 (सत्तर लाख अठ्ठासी हजार सात सौ बीस रुपये) मात्र	15,95,280 00 (पन्ध्र लाख पचानवे हजार दो सौ अस्सी रुपये) मात्र	93,84,000 00 (नित्याने लाख चौतीस हजार रुपये) मात्र
25.	दरभंगा	68 42 520 00 (षष्ठसठ लाख बगालीस हजार पाँच सौ बीस रुपये) मात्र	14,01,480 00 (चौदह लाख एक हजार चार सौ अस्सी रुपये) मात्र	82,44,000 00 (बगालीस लाख बगालीस हजार रुपये) मात्र
26.	सहरसा	33 46 560 00 (बत्तीस लाख छियालीस हजार पाँच सौ साठ रुपये) मात्र	6,85,440 00 (छ लाख पचासी हजार चार सौ चालीस रुपये) मात्र	40,32,000 00 (चातीस लाख बीस हजार रुपये) मात्र
27.	मधेपुरा	39 24 240 00 (अनतालीस लाख चौबीस हजार दो सौ चालीस रुपये) मात्र	8,03,760 00 (आठ लाख तीन हजार सात सौ साठ रुपये) मात्र	47,28,000 00 (सैंतालिस लाख अट्ठाईस हजार रुपये) मात्र
28.	सुपौल	39 64 080 00 (अनतालीस लाख चौसठ हजार अस्सी रुपये) मात्र	8,11,920 00 (आठ लाख ग्यारह हजार नौ सौ बीस रुपये) मात्र	47,76,000 00 (सैंतालिस लाख छिहत्तर हजार रुपये) मात्र

प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2001-व्यावसायिक एवं वित्तीय सेवाएं में आवंटित राशि (रुपये में)		सेवाएं में आवंटित राशि (रुपये में)		(3+4)
1	2	3	4	5
29.	भूमि	52,09,080.00 (बावन लाख नौ हजार अस्सी रुपये) मात्र	10,66,920.00 (दस लाख छियासठ हजार नौ सौ बीस रुपये) मात्र	62,76,000.00 (सत्तर लाख छित्तर हजार रुपये) मात्र
30.	अररिया	41,83,200.00 (इकतालीस लाख तैरासी हजार दो सौ रुपये) मात्र	8,56,800.00 (आठ लाख छपन हजार आठ सौ रुपये) मात्र	50,40,000.00 (पचास लाख चालीस हजार रुपये) मात्र
31.	भिरानगंज	26,59,320.00 (छब्बीस लाख उनसठ हजार तीन सौ बीस रुपये) मात्र	5,44,680.00 (पाँच लाख चालीस हजार छः सौ अस्सी रुपये) मात्र	32,04,000.00 (तीस लाख चार हजार रुपये) मात्र
32.	कटिहार	53,38,560.00 (तिरपन लाख अड़तीस हजार पाँच सौ साठ रुपये) मात्र	10,93,440.00 (दस लाख तिरानवे हजार चार सौ चालीस रुपये) मात्र	64,32,000.00 (सैंसठ लाख बत्तीस हजार रुपये) मात्र
33.	गुंगेर	25,19,880.00 (पच्चीस लाख उन्नीस हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र	5,16,120.00 (पाँच लाख सोलह हजार एक सौ बीस रुपये) मात्र	30,36,000.00 (तीस लाख छत्तीस हजार रुपये) मात्र
34.	जमुई	32,17,080.00 (बत्तीस लाख सत्रह हजार अस्सी रुपये) मात्र	6,58,920.00 (छः लाख अठान्न हजार नौ सौ बीस रुपये) मात्र	38,76,000.00 (अड़तीस लाख छित्तर हजार रुपये) मात्र
35.	मैगुसराय	56,07,480.00 (छप्पन लाख सात हजार चार सौ अस्सी रुपये) मात्र	11,48,520.00 (ग्यारह लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ बीस रुपये) मात्र	67,56,000.00 (सठसठ लाख छपन हजार रुपये) मात्र
36.	छगड़िया	27,48,960.00 (सत्ताईस लाख अड़तालीस हजार नौ सौ साठ रुपये) मात्र	5,63,040.00 (पाँच लाख तिरसठ हजार चालीस रुपये) मात्र	33,12,000.00 (तीतीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र
37.	लखीसराय	20,31,840.00 (बीस लाख इकतीस हजार आठ सौ चालीस रुपये) मात्र	4,16,160.00 (चार लाख सोलह हजार एक सौ साठ रुपये) मात्र	24,48,000.00 (चोबीस लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र
38.	शेखपुरा	14,74,080.00 (चौदह लाख चौहत्तर हजार अस्सी रुपये) मात्र	3,01,920.00 (तीन लाख एक हजार नौ सौ बीस रुपये) मात्र	17,76,000.00 (सत्तरह लाख छित्तर हजार रुपये) मात्र
	कुल राशि	18,33,03,840.00 (अठारह करोड़ तीतीस लाख तीन हजार आठ सौ चालीस रुपये) मात्र	3,75,44,160.00 (तीन करोड़ पचहत्तर लाख चालीस हजार एक सौ साठ रुपये) मात्र	22,08,48,000.00 (बारस करोड़ आठ लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र

(अनुश्रवण पदाधिकारी)
पंचायती राज विभाग

6-8-15

विवरण-3

वित्तीय वर्ष 2015-16 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया/ग्राम पंचायत सदस्य हेतु) को स्वीकृत राशि का विवरण

क्र.सं.	जिला	योजना मुद्राशीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- उपमुख्य शीर्ष-00-तपुशीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहवित्त-उपशीर्ष-0105-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ में आवंटित राशि (रुपये में)	योजना मुद्राशीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- उपमुख्य शीर्ष-00-तपुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रकल्प योजना- उपशीर्ष-0103-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ में आवंटित राशि (रुपये में)	कुल राशि (रुपये में) (3+4)
1	2	3	4	5
1	बकसर	1,43,86,224.00 (एक करोड़ तैंतालीस लाख छियासी हजार दो सौ चौबीस रुपये) मात्र	29,46,576.00 (उनतीस लाख छयातीस हजार पाँच सौ छिहत्तर रुपये) मात्र	1,73,32,800.00 (एक करोड़ त्रिहत्तर लाख बत्तीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
2	रोहतास	2,32,48,632.00 (दो करोड़ बत्तीस लाख अड़तालीस हजार छः सौ बत्तीस रुपये) मात्र	47,61,768.00 (सैंतालीस लाख इकसठ हजार सात सौ अड़सठ रुपये) मात्र	2,80,10,400.00 (दो करोड़ अरसी लाख दस हजार बार सौ रुपये) मात्र
3	मोजपुर	2,41,98,816.00 (दो करोड़ इकतालीस लाख अठानवे हजार आठ सौ सोलह रुपये) मात्र	49,56,384.00 (उनचास लाख छपन हजार तीन सौ चौरासी रुपये) मात्र	2,91,55,200.00 (दो करोड़ इग्यानवे लाख पचपन हजार दो सौ रुपये) मात्र
4	नातन्दा	2,45,09,208.00 (दो करोड़ पैतालीस लाख निग्यानवे हजार दो सौ आठ रुपये) मात्र	50,38,392.00 (पचास लाख अड़तीस हजार तीन सौ बानवे रुपये) मात्र	2,96,37,600.00 (दो करोड़ छिग्यानवे लाख सैंतीस हजार षह सौ रुपये) मात्र
5	पटना	3,24,53,664.00 (तीन करोड़ चौबीस लाख तिरपन हजार छः सौ चौसठ रुपये) मात्र	66,47,136.00 (छिग्यासठ लाख सैंतालीस हजार एक सौ छत्तीस रुपये) मात्र	3,91,00,800.00 (तीन करोड़ इग्यानवे लाख आठ सौ रुपये) मात्र
6	कैमूर	1,39,66,908.00 (एक करोड़ उैंतालीस लाख छिग्यासठ हजार नौ सौ आठ रुपये) मात्र	28,60,692.00 (अठठाईस लाख साठ हजार छः सौ बानवे रुपये) मात्र	1,68,27,600.00 (एक करोड़ अड़सठ लाख सत्ताइस हजार छह सौ रुपये) मात्र
7	गया	3,33,55,044.00 (तीन करोड़ तैंतीस लाख पचपन हजार बयालीस रुपये) मात्र	68,31,756.00 (अड़सठ लाख इकतीस हजार सात सौ छपन रुपये) मात्र	4,01,86,800.00 (चार करोड़ एक लाख छियासी हजार आठ सौ रुपये) मात्र
8	नवादा	1,85,44,524.00 (एक करोड़ पचासी लाख बयालीस हजार पाँच सौ चौबीस रुपये) मात्र	37,98,276.00 (सैंतीस लाख अठानवे हजार दो सौ छिहत्तर रुपये) मात्र	2,23,42,800.00 (दो करोड़ तेईस लाख बयालीस हजार अठ सौ रुपये) मात्र
9	औरंगाबाद	2,06,30,148.00 (दो करोड़ छः लाख तीस हजार एक सौ अड़तालीस रुपये) मात्र	42,25,452.00 (बयालीस लाख पच्चीस हजार बार सौ बावन रुपये) मात्र	2,48,55,600.00 (दो करोड़ अड़तालीस लाख पचपन हजार छह सौ रुपये) मात्र
10	जहानाबाद	93,08,616.00 (तिसानवे लाख आठ हजार छः सौ सोलह रुपये) मात्र	19,06,584.00 (उननीस लाख छः हजार पाँच सौ चौरासी रुपये) मात्र	1,12,15,200.00 (एक करोड़ बारह लाख पन्द्रह हजार दो सौ रुपये) मात्र
11	अरवल	63,89,340.00 (त्रिसठ लाख नवासी हजार तीन सौ गालीस रुपये) मात्र	13,08,660.00 (तेरह लाख आठ हजार छः सौ साठ रुपये) मात्र	76,98,000.00 (छिहत्तर लाख अठानवे हजार रुपये) मात्र
12	सारन	3,31,03,056.00 (तीन करोड़ इकतीस लाख तीन हजार छपन रुपये) मात्र	67,80,144.00 (सड़सठ लाख अस्सी हजार एक सौ बयालीस रुपये) मात्र	3,98,83,200.00 (तीन करोड़ अठानवे लाख तिसासी हजार दो सौ रुपये) मात्र
13	सिवान	2,96,86,776.00 (दो करोड़ छिग्यानवे लाख छियासी हजार सात सौ छिहत्तर रुपये) मात्र	60,80,424.00 (साठ लाख अस्सी हजार बार सौ चौबीस रुपये) मात्र	3,57,67,200.00 (तीन करोड़ सत्तावन लाख सड़सठ हजार दो सौ रुपये) मात्र
14	मोपालगंज	2,32,79,508.00 (दो करोड़ बत्तीस लाख उन्नासी हजार पाँच सौ आठ रुपये) मात्र	47,60,092.00 (सैंतालीस लाख अड़सठ हजार बानवे रुपये) मात्र	2,80,47,600.00 (दो करोड़ अस्सी लाख सैंतालीस हजार षह सौ रुपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	3,86,19,900.00 (तीन करोड़ छियासी लाख उन्नीस हजार नौ सौ रुपये) मात्र	79,10,100.00 (उन्नासी लाख दस हजार एक सौ रुपये) मात्र	4,65,30,000.00 (चार करोड़ पैसाठ लाख तीस हजार रुपये) मात्र
16	बैजाली	2,89,79,616.00 (दो करोड़ नवासी लाख उन्नासी हजार छः सौ सोलह रुपये) मात्र	59,35,584.00 (उनसठ लाख पैतीस हजार पाँच सौ चौरासी रुपये) मात्र	3,49,15,200.00 (तीन करोड़ उनचास लाख पन्द्रह हजार दो सौ रुपये) मात्र
17	पू. चम्पारण	4,09,75,440.00 (चार करोड़ नौ लाख पचहत्तर हजार बार सौ गालीस रुपये) मात्र	83,92,560.00 (तिसासी लाख बानवे हजार पाँच सौ साठ रुपये) मात्र	4,93,68,000.00 (चार करोड़ तिसानवे लाख अड़सठ हजार रुपये) मात्र
18	प. चम्पारण	3,09,40,740.00 (तीन करोड़ नौ लाख ब्यालीस हजार सात सौ गालीस रुपये) मात्र	63,37,260.00 (त्रिसठ लाख सैंतीस हजार दो सौ साठ रुपये) मात्र	3,72,78,000.00 (तीन करोड़ बहार लाख अठहत्तर हजार रुपये) मात्र
19	सीतामढ़ी	2,78,04,336.00 (दो करोड़ अठहत्तर लाख बार हजार तीन सौ छत्तीस रुपये) मात्र	56,94,864.00 (छपन लाख चौरानवे हजार आठ सौ चौसठ रुपये) मात्र	3,34,99,200.00 (तीन करोड़ बीतीस लाख निग्यानवे हजार दो सौ रुपये) मात्र
20	शिवहर	54,09,276.00 (छावन लाख नौ हजार दो सौ छिहत्तर रुपये) मात्र	11,07,924.00 (ग्यारह लाख सात हजार नौ सौ चौबीस रुपये) मात्र	65,17,200.00 (पैंसठ लाख सत्तर हजार दो सौ रुपये) मात्र
21	भागलपुर	2,32,80,504.00 (दो करोड़ बत्तीस लाख अस्सी हजार पाँच सौ बार रुपये) मात्र	47,68,296.00 (सैंतालीस लाख अड़सठ हजार दो सौ छिग्यानवे रुपये) मात्र	2,80,48,800.00 (दो करोड़ अस्सी लाख अड़तालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
22	बाला	1,82,46,720.00 (एक करोड़ बयासी लाख छयातीस हजार सात सौ बीस रुपये) मात्र	37,37,280.00 (सैंतीस लाख सैंतीस हजार दो सौ अस्सी रुपये) मात्र	2,19,84,000.00 (दो करोड़ उन्नीस लाख चौरासी हजार बषपये) मात्र
23	मधुबनी	4,02,26,448.00 (चार करोड़ दो लाख छब्बीस हजार बार सौ अड़तालीस रुपये) मात्र	82,39,152.00 (बयासी लाख उन्तालीस हजार एक सौ बावन रुपये) मात्र	4,84,65,600.00 (चार करोड़ गौरासी लाख पैंसठ हजार षह सौ रुपये) मात्र
24	समस्तीपुर	3,80,98,992.00 (तीन करोड़ अड़सी लाख अठानवे हजार नौ सौ बानवे रुपये) मात्र	78,03,408.00 (अठहत्तर लाख तीन हजार बार सौ आठ रुपये) मात्र	4,59,02,400.00 (चार करोड़ उनसठ लाख दो हजार बार सौ रुपये) मात्र
25	दरभंगा	3,27,01,668.00 (तीन करोड़ सत्ताईस लाख एक हजार छः सौ अड़सठ रुपये) मात्र	66,97,932.00 (छिग्यासठ लाख सत्तानवे हजार नौ सौ बत्तीस रुपये) मात्र	3,93,99,600.00 (तीन करोड़ तिसानवे लाख निग्यानवे हजार छः सौ रुपये) मात्र
26	सहरसा	1,51,41,192.00 (एक करोड़ इग्यावन लाख इकतालीस हजार एक सौ बानवे रुपये) मात्र	31,01,208.00 (इकतीस लाख एक हजार दो सौ आठ रुपये) मात्र	1,82,42,400.00 (एक करोड़ बयासी लाख बयालीस हजार बार सौ रुपये) मात्र
27	कोटपुरा	1,65,83,400.00 (एक करोड़ पैंसठ लाख तिसासी हजार बार सौ रुपये) मात्र	33,96,600.00 (सैंतीस लाख छिग्यानवे हजार छः सौ रुपये) मात्र	1,99,80,000.00 (एक करोड़ निग्यानवे लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र
28	मुषीत	1,83,63,252.00 (एक करोड़ तिसासी लाख त्रिसठ हजार दो सौ बावन रुपये) मात्र	37,61,148.00 (सैंतीस लाख इकसठ हजार एक सौ अड़तालीस रुपये) मात्र	2,21,24,400.00 (दो करोड़ इक्कीस लाख बीबीस हजार बार सौ रुपये) मात्र
29	पुर्णिशा	2,45,43,432.00 (दो करोड़ पैतालीस लाख सैंतालीस हजार बार सौ बत्तीस रुपये) मात्र	50,26,968.00 (पचास लाख छब्बीस हजार नौ सौ अड़सठ रुपये) मात्र	2,95,70,400.00 (दो करोड़ ग्यानवे लाख सत्तर हजार बार सौ रुपये) मात्र

जारादते राश (रुपय म)			दु-2801-व्यावसायिक एव 14राय सेवा म जारादते राश (रुपय म)		
1	2	3	4	5	6
30.	अररिया	2,18,48,256.00 (दो करोड़ अठारह लाख अड़तालीस हजार दो सौ छपन रुपये) मात्र	44,74,944.00 (चबालीस लाख चौहत्तर हजार नौ सौ चबालीस रुपये) मात्र	2,63,23,200.00 (दो करोड़ तिरसठ लाख तैंस हजार दो सौ रुपये) मात्र	
31.	मिशनागंज	1,28,25,492.00 (एक करोड़ अड़ईस लाख पच्चीस हजार चार सौ बानवे रुपये) मात्र	26,26,908.00 (छब्बीस लाख छब्बीस हजार नौ सौ आठ रुपये) मात्र	1,54,52,400.00 (एक करोड़ बीस लाख बीस हजार चार सौ रुपये) मात्र	
32.	बटिहार	2,38,40,256.00 (दो करोड़ अड़तीस लाख बालीस हजार दो सौ छपन रुपये) मात्र	48,82,944.00 (अड़तालीस लाख बयासी हजार नौ सौ चबालीस रुपये) मात्र	2,87,23,200.00 (दो करोड़ सत्तासी लाख तैंस हजार दो सौ रुपये) मात्र	
33.	मुंगेर	1,00,21,752.00 (एक करोड़ इक्कीस हजार सात सौ बावन रुपये) मात्र	20,52,648.00 (बीस लाख बावन हजार छ सौ अड़तालीस रुपये) मात्र	1,20,74,400.00 (एक करोड़ बीस लाख चौहत्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र	
34.	जमुई	1,46,52,156.00 (एक करोड़ छयालीस लाख बावन हजार एक सौ छपन रुपये) मात्र	30,01,044.00 (तीस लाख एक हजार चबालीस रुपये) मात्र	1,76,53,200.00 (एक करोड़ छिहत्तर लाख तिसवन हजार दो सौ रुपये) मात्र	
35.	बेगूसराय	2,36,53,008.00 (दो करोड़ छत्तीस लाख तिरपन हजार आठ रुपये) मात्र	48,44,592.00 (अड़तालीस लाख चबालीस हजार पाँच सौ बानवे रुपये) मात्र	2,84,97,600.00 (दो करोड़ बीस लाख सत्तानवे हजार छह सौ रुपये) मात्र	
36.	सगड़िया	1,33,69,308.00 (एक करोड़ तीस लाख उनहत्तर हजार तीन सौ आठ रुपये) मात्र	27,38,292.00 (सत्ताईस लाख अड़तीस हजार दो सौ बानवे रुपये) मात्र	1,61,07,600.00 (एक करोड़ इक्कस लाख सात हजार छह सौ रुपये) मात्र	
37.	तखीसराय	81,02,480.00 (इक्कासी लाख दो हजार चार सौ साठ रुपये) मात्र	16,59,540.00 (सोलह लाख उनसठ हजार पाँच सौ बालीस रुपये) मात्र	97,62,000.00 (सत्तानवे लाख बासठ हजार रुपये) मात्र	
38.	शेखपुरा	52,66,848.00 (बावन लाख छियासठ हजार आठ सौ अड़तालीस रुपये) मात्र	10,78,752.00 (दस लाख अठ्ठार हजार सात सौ बावन रुपये) मात्र	63,45,600.00 (तिरसठ लाख पैतालीस हजार छह सौ रुपये) मात्र	
कुल राशि	84,06,44,916.00 (वींरासी करोड़ छ लाख चबालीस हजार नौ सौ सोलह रुपये) मात्र		17,21,80,284.00 (सत्रह करोड़ इक्कीस लाख अस्सी हजार दो सौ बींरासी रुपये) मात्र		1,01,28,25,200.00 (एक अरब एक करोड़ अड़ईस लाख पच्चीस हजार दो सौ रुपये) मात्र

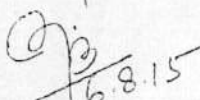
विवरण-4

वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिले के ग्राम कचहरी (ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच/पंच) के लिए स्वीकृत राशि का विवरण

क्र.सं.	जिला	ग्राम कचहरी-2515-अन्व ग्राम विकास कार्यक्रम- उपपुष्प शीर्ष-00-तपुशीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को विगत भत्ता हेतु-2801-आवधिक एवं विशेष सेवाएं में आवंटित राशि (रुपये में)	ग्राम कचहरी-2515-अन्व ग्राम विकास कार्यक्रम- उपपुष्प शीर्ष-00-तपुशीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को विगत भत्ता हेतु-2801-आवधिक एवं विशेष सेवाएं में आवंटित राशि (रुपये में)	कुल राशि (रुपये में) (1+4)
1	2	3	4	5
1	बक्सर	1,43,86,224.00 (एक करोड़ तीसलीस लाख छियासी हजार दो सौ गौबीस रुपये) मात्र	29,46,576.00 (उनतीस लाख छयालीस हजार पाँच सौ छिहत्तर रुपये) मात्र	1,73,32,800.00 (एक करोड़ त्रिंशत्तर लाख बत्तीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
2	रोहतास	2,32,48,632.00 (दो करोड़ बत्तीस लाख अड़तालीस हजार छ सौ बत्तीस रुपये) मात्र	47,61,768.00 (सैंतालीस लाख इकसठ हजार सात सौ अड़सठ रुपये) मात्र	2,80,10,400.00 (दो करोड़ अस्सी लाख दस हजार चार सौ रुपये) मात्र
3	मोहरपुर	2,41,98,816.00 (दो करोड़ इकतालीस लाख अठानवे हजार आठ सौ सोलह रुपये) मात्र	49,56,384.00 (उनचास लाख छपन हजार तीन सौ घौबीस रुपये) मात्र	2,91,55,200.00 (दो करोड़ इकथानवे लाख पचपन हजार दो सौ रुपये) मात्र
4	नालन्दा	2,45,99,208.00 (दो करोड़ पैंतालीस लाख निन्यानवे हजार दो सौ आठ रुपये) मात्र	50,38,392.00 (पचास लाख अड़तीस हजार तीन सौ बानवे रुपये) मात्र	2,96,37,600.00 (दो करोड़ छियाणवे लाख सैंतीस हजार छह सौ रुपये) मात्र
5	पटना	3,28,53,664.00 (तीन करोड़ बीस लाख तिरपन हजार छ सौ बीसठ रुपये) मात्र	66,47,136.00 (छियासठ लाख सैंतालीस हजार एक सौ छत्तीस रुपये) मात्र	3,91,00,800.00 (तीन करोड़ इकथानवे लाख आठ सौ रुपये) मात्र
6	कैमूर	1,39,66,908.00 (एक करोड़ उनतालीस लाख छियासठ हजार नौ सौ आठ रुपये) मात्र	28,60,692.00 (अठ्ठाईस लाख साठ हजार छ सौ बानवे रुपये) मात्र	1,68,27,600.00 (एक करोड़ अड़सठ लाख सत्ताईस हजार छह सौ रुपये) मात्र
7	गया	3,33,55,044.00 (तीन करोड़ तैंतीस लाख पचास हजार चयालीस रुपये) मात्र	68,31,756.00 (अड़सठ लाख इकतीस हजार सात सौ छपन रुपये) मात्र	4,01,86,800.00 (चार करोड़ एक लाख छियासी हजार आठ सौ रुपये) मात्र
8	नवादा	1,85,44,524.00 (एक करोड़ पचासी लाख चयालीस हजार पाँच सौ गौबीस रुपये) मात्र	37,98,276.00 (सैंतीस लाख अठानवे हजार दो सौ छिहत्तर रुपये) मात्र	2,23,42,800.00 (दो करोड़ तैईस लाख बयालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
9	औरंगाबाद	2,06,30,148.00 (दो करोड़ छ लाख तीस हजार एक सौ अड़तालीस रुपये) मात्र	42,25,452.00 (बयालीस लाख पच्चीस हजार चार सौ बावन रुपये) मात्र	2,48,55,600.00 (दो करोड़ अड़तालीस लाख पचपन हजार छह सौ रुपये) मात्र
10	जहानाबाद	93,08,616.00 (नितानवे लाख आठ हजार छ सौ सोलह रुपये) मात्र	19,06,584.00 (उननीस लाख छ हजार पाँच सौ घौबीस रुपये) मात्र	1,12,15,200.00 (एक करोड़ बारह लाख पन्द्रह हजार दो सौ रुपये) मात्र
11	अररु	53,89,340.00 (तिरसठ लाख नवासी हजार तीन सौ घासीस रुपये) मात्र	13,08,660.00 (तेरह लाख आठ हजार छ सौ साठ रुपये) मात्र	76,98,000.00 (छिहत्तर लाख अठानवे हजार रुपये) मात्र
12	सारन	3,31,03,056.00 (तीन करोड़ इकतीस लाख तीन हजार छपन रुपये) मात्र	67,80,144.00 (सड़सठ लाख अस्सी हजार एक सौ चयालीस रुपये) मात्र	3,98,83,200.00 (तीन करोड़ अठानवे लाख तिरासी हजार दो सौ रुपये) मात्र
13	सिवान	2,96,86,776.00 (दो करोड़ छियाणवे लाख छियासी हजार सात सौ छिहत्तर रुपये) मात्र	60,80,424.00 (साठ लाख अस्सी हजार चार सौ घौबीस रुपये) मात्र	3,57,67,200.00 (तीन करोड़ सत्तान लाख सड़सठ हजार दो सौ रुपये) मात्र
14	गोपालगंज	2,32,79,508.00 (दो करोड़ बत्तीस लाख उनगौसी हजार पाँच सौ आठ रुपये) मात्र	47,68,092.00 (सैंतालीस लाख अड़सठ हजार बानवे रुपये) मात्र	2,80,47,600.00 (दो करोड़ अस्सी लाख सैंतालीस हजार छह सौ रुपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	1,86,19,900.00 (तीन करोड़ छियासी लाख उन्नीस हजार नौ सौ रुपये) मात्र	79,10,100.00 (उन्नासी लाख दस हजार एक सौ रुपये) मात्र	4,65,30,000.00 (चार करोड़ पैंसठ लाख तीस हजार रुपये) मात्र
16	वैशाली	2,89,79,616.00 (दो करोड़ नवासी लाख उन्नासी हजार छ सौ सोलह रुपये) मात्र	59,35,584.00 (उनसठ लाख पैंतीस हजार पाँच सौ घौबीस रुपये) मात्र	3,49,15,200.00 (तीन करोड़ उनचास लाख पन्द्रह हजार दो सौ रुपये) मात्र
17	मो. चम्पारण	4,09,75,440.00 (चार करोड़ नौ लाख पचहत्तर हजार चार सौ घासीस रुपये) मात्र	83,92,560.00 (तिरासी लाख बानवे हजार पाँच सौ साठ रुपये) मात्र	4,93,68,000.00 (चार करोड़ तिरानवे लाख अड़सठ हजार रुपये) मात्र
18	मो. चम्पारण	3,09,40,740.00 (तीन करोड़ नौ लाख घासीस हजार सात सौ घासीस रुपये) मात्र	63,37,260.00 (तिरसठ लाख सैंतीस हजार दो सौ साठ रुपये) मात्र	3,72,78,000.00 (तीन करोड़ बहत्तर लाख अठहत्तर हजार रुपये) मात्र
19	सीतामढ़ी	2,78,04,336.00 (दो करोड़ अठहत्तर लाख चार हजार तीन सौ छत्तीस रुपये) मात्र	56,94,864.00 (छपन लाख घौरानवे हजार आठ सौ बीसठ रुपये) मात्र	3,34,99,200.00 (तीन करोड़ घौतीस लाख निन्यानवे हजार दो सौ रुपये) मात्र
20	शिवहर	54,09,276.00 (सीवन लाख नौ हजार दो सौ छिहत्तर रुपये) मात्र	11,07,924.00 (ग्यारह लाख सात हजार नौ सौ घौबीस रुपये) मात्र	65,17,200.00 (पैंसठ लाख सत्तर हजार दो सौ रुपये) मात्र
21	भागलपुर	2,32,80,504.00 (दो करोड़ बत्तीस लाख अस्सी हजार पाँच सौ चार रुपये) मात्र	47,68,296.00 (सैंतालीस लाख अड़सठ हजार दो सौ छियाणवे रुपये) मात्र	2,80,48,800.00 (दो करोड़ अस्सी लाख अड़तालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
22	बांका	1,82,46,720.00 (एक करोड़ बयासी लाख छयालीस हजार सात सौ बीस रुपये) मात्र	37,37,280.00 (सैंतीस लाख सैंतीस हजार दो सौ अस्सी रुपये) मात्र	2,19,84,000.00 (दो करोड़ उन्नीस लाख घौबीस हजार रुपये) मात्र
23	मधुबनी	4,02,26,448.00 (चार करोड़ दो लाख छयासी हजार चार सौ अड़तालीस रुपये) मात्र	82,39,152.00 (बयासी लाख उनतालीस हजार एक सौ बावन रुपये) मात्र	4,84,65,600.00 (चार करोड़ घौबीस लाख पैंसठ हजार छह सौ रुपये) मात्र
24	समस्तीपुर	3,80,98,992.00 (तीन करोड़ अस्सी लाख अठानवे हजार नौ सौ बानवे रुपये) मात्र	78,03,408.00 (अठहत्तर लाख तीन हजार चार सौ आठ रुपये) मात्र	4,59,02,400.00 (चार करोड़ उनसठ लाख दो हजार चार सौ रुपये) मात्र
25	दरभंगा	3,27,01,668.00 (तीन करोड़ सत्ताईस लाख एक हजार छ सौ अड़सठ रुपये) मात्र	66,97,932.00 (छियासठ लाख सत्तानवे हजार नौ सौ बत्तीस रुपये) मात्र	3,93,99,600.00 (तीन करोड़ छियाणवे लाख निन्यान हजार छह सौ रुपये) मात्र
26	महरा	1,51,41,192.00 (एक करोड़ इकथान लाख इकतालीस हजार एक सौ बानवे रुपये) मात्र	31,01,208.00 (इकतीस लाख एक हजार दो सौ आठ रुपये) मात्र	1,82,42,400.00 (एक करोड़ बयासी लाख बयालीस हजार चार सौ रुपये) मात्र
27	मधेपुरा	1,65,83,400.00 (एक करोड़ पैंसठ लाख तिरासी हजार चार सौ रुपये) मात्र	33,96,600.00 (तैंतीस लाख छियाणवे हजार छ सौ रुपये) मात्र	1,99,80,000.00 (एक करोड़ निन्यानवे लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र
28	सुपौल	1,83,63,252.00 (एक करोड़ तिरासी लाख तिरसठ हजार दो सौ बावन रुपये) मात्र	37,61,148.00 (सैंतीस लाख इकसठ हजार एक सौ अड़तालीस रुपये) मात्र	2,21,24,400.00 (दो करोड़ इकतीस लाख गौबीस हजार चार सौ रुपये) मात्र

12

		आवृत्त राशि (रुपये में)		मता हेतु-2801-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं में आवृत्त राशि (रुपये में)	
1	2	3	4	5	6
29. पूर्णिया	2,45,43,432.00	(दो करोड़ पचासी लाख तैतालीस हजार चार सौ बत्तीस रुपये) मात्र	50,26,968.00	(पचास लाख छब्बीस हजार नौ सौ अठारह रुपये) मात्र	2,95,70,400.00 (दो करोड़ पचास लाख सत्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र
30. अररिया	2,18,48,256.00	(दो करोड़ अठारह लाख अड़तालीस हजार दो सौ छप्पन रुपये) मात्र	44,74,944.00	(चत्वारसी लाख चौहत्तर हजार नौ सौ चत्वारसी रुपये) मात्र	2,63,23,200.00 (दो करोड़ तिरसठ लाख तैईस हजार दो सौ रुपये) मात्र
31. बिशनगंज	1,28,25,492.00	(एक करोड़ अठ्ठाईस लाख पच्चीस हजार चार सौ बानवे रुपये) मात्र	26,26,908.00	(छब्बीस लाख छब्बीस हजार नौ सौ आठ रुपये) मात्र	1,54,52,400.00 (एक करोड़ बीवन लाख बावन हजार चार सौ रुपये) मात्र
32. कटिहार	2,38,40,256.00	(दो करोड़ अड़तीस लाख बालीस हजार दो सौ छप्पन रुपये) मात्र	48,82,944.00	(अड़तालीस लाख ब्यासी हजार नौ सौ चत्वारसी रुपये) मात्र	2,87,23,200.00 (दो करोड़ सत्तर लाख तैईस हजार दो सौ रुपये) मात्र
33. मुंगेर	1,00,21,752.00	(एक करोड़ इक्कीस हजार सात सौ बावन रुपये) मात्र	20,52,648.00	(बीस लाख बावन हजार छ सौ अड़तालीस रुपये) मात्र	1,20,74,400.00 (एक करोड़ बीस लाख चौहत्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र
34. जुमई	1,46,52,156.00	(एक करोड़ छत्तालीस लाख बावन हजार एक सौ छप्पन रुपये) मात्र	30,01,044.00	(तीस लाख एक हजार चत्वारसी रुपये) मात्र	1,76,53,200.00 (एक करोड़ छिहत्तर लाख तिरपन हजार दो सौ रुपये) मात्र
35. बेगूसराय	2,36,53,008.00	(दो करोड़ छत्तीस लाख तिरपन हजार आठ रुपये) मात्र	48,44,592.00	(अड़तालीस लाख चत्वारसी हजार पाँच सौ बानवे रुपये) मात्र	2,84,97,600.00 (दो करोड़ चौगुनी लाख सत्तानवे हजार छह सौ रुपये) मात्र
36. खगड़िया	1,33,69,308.00	(एक करोड़ तैतीस लाख उनहत्तर हजार तीन सौ आठ रुपये) मात्र	27,38,292.00	(सत्ताईस लाख अड़तीस हजार दो सौ बानवे रुपये) मात्र	1,61,07,600.00 (एक करोड़ इक्कसठ लाख सात हजार छह सौ रुपये) मात्र
37. लखीसराय	81,02,460.00	(इक्यासी लाख दो हजार चार सौ साठ रुपये) मात्र	16,59,540.00	(सोलह लाख उनसठ हजार पाँच सौ चत्वारसी रुपये) मात्र	97,62,000.00 (सत्तानवे लाख बाराह हजार रुपये) मात्र
38. रोहतास	52,66,848.00	(बावन लाख छियासठ हजार आठ सौ अड़तालीस रुपये) मात्र	10,78,752.00	(दस लाख अठहत्तर हजार सात सौ बावन रुपये) मात्र	63,45,600.00 (तिरसठ लाख पैंतालीस हजार छह सौ रुपये) मात्र
कुल राशि	84,06,44,916.00	(बीस करोड़ छ लाख चौबालीस हजार नौ सौ सोलह रुपये) मात्र	17,21,80,284.00	(सत्रह करोड़ इक्कीस लाख अस्सी हजार दो सौ बीस रुपये) मात्र	1,01,28,25,200.00 (एक अरब एक करोड़ अठ्ठाईस लाख पच्चीस हजार दो सौ रुपये) मात्र


 6-8-15
 (अनुश्रवण पदाधिकारी)
 पञ्जाबी राज विभाग
 6-8-15

पत्र संख्या 5प/योजना-05/2015/पं०रा०/ 11 अ/1

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

राम प्रकाश सिंह
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 25/08/2015।

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या 04 दिनांक 07.08.2015 द्वारा स्वीकृत राशि के विरुद्ध कुल ₹1,14,45,55,200.00 (एक अरब चौदह करोड़ पैंतालीस लाख पचपन हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

सम्पुर्ण विषयक कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 04 दिनांक 07.08.15 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच को वित्तीय वर्ष 2015-16 में नियत (मासिक) भत्ता हेतु ₹2,28,91,10,400.00 (दो अरब अट्ठाईस करोड़ इक्यानवे लाख दस हजार चार सौ रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस राशि में जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए ₹4,26,12,000.00 (चार करोड़ छब्बीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र, पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख तथा सदस्यों के लिए ₹22,08,48,000.00 (बाईस करोड़ आठ लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया तथा सदस्यों के लिए ₹1,01,28,25,200.00 (एक अरब एक करोड़ अट्ठाईस लाख पच्चीस हजार दो सौ रुपये) मात्र एवं ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच तथा सदस्यों (पंचों) के लिए ₹1,01,28,25,200.00 (एक अरब एक करोड़ अट्ठाईस लाख पच्चीस हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि स्वीकृत है।

स्वीकृत राशि के आलोक में माह अप्रैल, 15 से सितम्बर, 15 तक (छह माह) के नियत भत्ता की राशि की निकारी हेतु संलग्न विवरणों I के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹2,13,06,000.00 (दो करोड़ तेरह लाख छह हजार रुपये) मात्र, विवरण II के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख एवं

सदस्यों हेतु जिलावार ₹11,04,24,000.00 (ग्यारह करोड़ चार लाख चौबीस हजार रुपये) मात्र, विवरणी III के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹50,64,12,600.00 (पचास करोड़ चौंसठ लाख बारह हजार छह सौ रुपये) मात्र एवं विवरणी IV के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹50,64,12,600.00 (पचास करोड़ चौंसठ लाख बारह हजार छह सौ रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹1,14,45,55,200.00 (एक अरब चौदह करोड़ पैंतालीस लाख पचपन हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं ग्राम कचहरी के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग राज्यादेश संख्या 04 दिनांक 07.08.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 396 दिनांक 24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2015-16 के मांग संख्या 16 के अन्तर्गत योजना बजट में उपबंधित निम्नांकित बजट शीर्षों के अन्तर्गत की जायेगी :-

जिला परिषदों के लिए -

(क) सामान्य घटक - योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-
उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-
उपशीर्ष-0106-जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-
व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-पी-2515001960106

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक - योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-पी-2515007890106

पंचायत समितियों के लिए -

(क) सामान्य घटक - योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-
उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष-0103-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-
2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-पी-2515001970103

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक - योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0105-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-पी-2515007890105

ग्राम पंचायतों के लिए -

(क) सामान्य घटक - योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0105-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-पी-2515001980105

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक - योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0103-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-पी 2515007890103

ग्राम कचहरियों के लिए -

(क) सामान्य घटक - योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-पी-2515001980106

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक - योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-पी-2515007890104

5. राशि की निकारसी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियमों के आलोक में की जायेगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग सख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, वजेट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

[Handwritten signature]

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इस आवंटन आदेश तथा विवरणी के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
12. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त

विश्वासभाजन,
24.8.15
(राम प्रकाश सिंह)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापक:-54/योजना-05/2015/पं०रा०/11(3/1) पटना, दिनांक 25/08/2015।

प्रतिलिपि - महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा 8 एवं आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त

24.8.15
(राम प्रकाश सिंह)

अनुश्रवण पदाधिकारी

Ynt

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
विवरणी I

वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को नियत भत्ता मद में स्वीकृत राशि के आलोक में माह अप्रैल, 15 से सितम्बर, 15 तक (छह माह) की राशि की निकासी हेतु आवंटित की जा रही राशि (रूपये में)

क्र०	जिला	अध्यक्ष हेतु मासिक राशि	उपाध्यक्ष हेतु मासिक राशि	सदस्य हेतु मासिक राशि	सदस्य की संख्या	कुल मासिक राशि	छह माह के लिए आवश्यक राशि	छह माह के लिए आवंटित राशि		
								सामान्य घटक	अनुभूचित जाति विशेष घटक	कुल
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	दक्षार	12000	10000	2500	18	67000	402000	333660	68340	₹ 402000 (चार लाख दो हजार रुपये) मात्र
2	सोहतास	12000	10000	2500	31	99500	597000	495510	101490	₹ 597000 (पाँच लाख सत्तानवे हजार रुपये) मात्र
3	मो.जपुर	12000	10000	2500	29	94500	567000	470610	96390	₹ 567000 (पाँच लाख सड़सठ हजार रुपये) मात्र
4	नालन्दा	12000	10000	2500	32	102000	612000	507960	104040	₹ 612000 (छह लाख बारह हजार रुपये) मात्र
5	पटना	12000	10000	2500	44	132000	792000	657360	134640	₹ 792000 (सात लाख बयानवे हजार रुपये) मात्र
6	कैमूर	12000	10000	2500	17	64500	387000	321210	65790	₹ 387000 (तीन लाख सत्तासी हजार रुपये) मात्र
7	गया	12000	10000	2500	44	132000	792000	657360	134640	₹ 792000 (सात लाख बयानवे हजार रुपये) मात्र
8	नवादा	12000	10000	2500	23	79500	477000	395910	81090	₹ 477000 (चार लाख सतहत्तर हजार रुपये) मात्र
9	औरंगाबाद	12000	10000	2500	26	87000	522000	433260	88740	₹ 522000 (पाँच लाख बाईस हजार रुपये) मात्र
10	जहानाबाद	12000	10000	2500	11	49500	297000	246510	50490	₹ 297000 (दो लाख सत्तानवे हजार रुपये) मात्र
11	उरुवल	12000	10000	2500	7	39500	237000	196710	40290	₹ 237000 (दो लाख सैंतीस हजार रुपये) मात्र
12	सारण	12000	10000	2500	45	134500	807000	669810	137190	₹ 807000 (आठ लाख सात हजार रुपये) मात्र
13	शिवान	12000	10000	2500	39	119500	717000	595110	121890	₹ 717000 (सात लाख सत्रह हजार रुपये) मात्र
14	मोपालमंज	12000	10000	2500	30	97000	582000	483060	98940	₹ 582000 (पाँच लाख बयारी हजार रुपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	12000	10000	2500	52	152000	912000	756960	155040	₹ 912000 (नौ लाख बारह हजार रुपये) मात्र
16	वैशाली	12000	10000	2500	39	119500	717000	595110	121890	₹ 717000 (सात लाख सत्रह हजार रुपये) मात्र
17	सु. बमरुण	12000	10000	2500	55	159500	957000	794310	162690	₹ 957000 (नौ लाख सत्तावन हजार रुपये) मात्र
18	प्र. बमरुण	12000	10000	2500	40	122000	732000	607560	124440	₹ 732000 (सात लाख बत्तीस हजार रुपये) मात्र
19	सीतामढ़ी	12000	10000	2500	36	112000	672000	557760	114240	₹ 672000 (छह लाख बत्तर हजार रुपये) मात्र

क्र०	जिला	अध्यक्ष हेतु मासिक राशि	उपाध्यक्ष हेतु मासिक राशि	सदस्य हेतु मासिक राशि	सदस्य की संख्या	कुल मासिक राशि	छह माह के लिए आवश्यक राशि	छह माह के लिए आवंटित राशि		
								सामान्य घटक	अनुसूचित जाति विशेष घटक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	शिवहर	12000	10000	2500	5	34500	207000	171810	35190	₹ 207000 (दो लाख सात हजार रुपये) मात्र
21	भागलपुर	12000	10000	2500	29	94500	567000	470610	96390	₹ 567000 (पाँच लाख सड़सठ हजार रुपये) मात्र
22	बाँका	12000	10000	2500	23	79500	477000	395910	81090	₹ 477000 (चार लाख सत्तहत्तर हजार रुपये) मात्र
23	मधुबनी	12000	10000	2500	54	157000	942000	781860	160140	₹ 942000 (नौ लाख ब्यालीस हजार रुपये) मात्र
24	समस्तीपुर	12000	10000	2500	49	144500	867000	719610	147390	₹ 867000 (आठ लाख सड़सठ हजार रुपये) मात्र
25	दरभंगा	12000	10000	2500	45	134500	807000	669810	137190	₹ 807000 (आठ लाख सात हजार रुपये) मात्र
26	सहरसा	12000	10000	2500	19	69500	417000	346110	70890	₹ 417000 (चार लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र
27	मधेपुरा	12000	10000	2500	21	74500	447000	371010	75990	₹ 447000 (चार लाख सत्तालीस हजार रुपये) मात्र
28	सुपौल	12000	10000	2500	23	79500	477000	395910	81090	₹ 477000 (चार लाख सत्तहत्तर हजार रुपये) मात्र
29	पूर्णिया	12000	10000	2500	32	102000	612000	507960	104040	₹ 612000 (छह लाख बारह हजार रुपये) मात्र
30	अररिया	12000	10000	2500	28	92000	552000	458160	93840	₹ 552000 (पाँच लाख ब्यायन हजार रुपये) मात्र
31	किशनगंज	12000	10000	2500	16	62000	372000	308760	63240	₹ 372000 (तीन लाख बहत्तर हजार रुपये) मात्र
32	कटिहार	12000	10000	2500	31	99500	597000	495510	101490	₹ 597000 (पाँच लाख सत्तानवे हजार रुपये) मात्र
33	मुंगेर	12000	10000	2500	12	52000	312000	258960	53040	₹ 312000 (तीन लाख बारह हजार रुपये) मात्र
34	जमुई	12000	10000	2500	18	67000	402000	333660	68340	₹ 402000 (चार लाख दो हजार रुपये) मात्र
35	बेगुसराय	12000	10000	2500	33	104500	627000	520410	106590	₹ 627000 (छह लाख सत्ताईस हजार रुपये) मात्र
36	खगड़िया	12000	10000	2500	16	62000	372000	308760	63240	₹ 372000 (तीन लाख बहत्तर हजार रुपये) मात्र
37	लखीसराय	12000	10000	2500	9	44500	267000	221610	45390	₹ 267000 (दो लाख सड़सठ हजार रुपये) मात्र
38	शेखपुरा	12000	10000	2500	5	34500	207000	171810	35190	₹ 207000 (दो लाख सात हजार रुपये) मात्र
कुल राशि		456000	380000	95000	1086	3551000	21306000	17683980	3622020	₹ 21306000 (दो करोड़ तेरह लाख छह हजार रुपये) मात्र

8.15
(राम प्रकाश सिंह)
अनुश्रवण पदाधिकारी

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
विवरणी II

वित्तीय वर्ष 2015-16 में पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख एवं सदस्यों को नियत भत्ता भद में स्वीकृत राशि के आलोक में माह अप्रैल, 15 से सितम्बर, 15 तक (छह माह) की राशि की निकासी हेतु आवंटित की जा रही राशि (रूपये में)

क्र०	जिला	प्रमुख हेतु मासिक राशि	उप प्रमुख हेतु मासिक राशि	सदस्य हेतु मासिक राशि	पंचायत समिति की संख्या	सदस्य की संख्या	कुल मासिक राशि	छह माह के लिए आवश्यक राशि	छह माह के लिए आवंटित राशि		
									सामान्य घटक	अनुसूचित जाति विशेष घटक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बक्सर	10000	5000	1000	11	178	343000	2058000	1708140	339860	₹ 2058000 (बीस लाख अष्टावन हजार रुपये) मात्र
2	सोहतास	10000	5000	1000	19	292	577000	3462000	2873460	588540	₹ 3462000 (तीतीस लाख बासठ हजार रुपये) मात्र
3	भोजपुर	10000	5000	1000	14	282	492000	2952000	2450160	501840	₹ 2952000 (उन्नतीस लाख बावन हजार रुपये) मात्र
4	नालन्दा	10000	5000	1000	20	302	602000	3612000	2997960	614040	₹ 3612000 (छत्तीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र
5	पटना	10000	5000	1000	23	398	743000	4458000	3700140	757860	₹ 4458000 (चौवालीस लाख अष्टावन हजार रुपये) मात्र
6	कैमूर	10000	5000	1000	11	164	329000	1974000	1638420	335580	₹ 1974000 (उन्नतीस लाख चौदह हजार रुपये) मात्र
7	गया	10000	5000	1000	24	411	771000	4626000	3839580	786420	₹ 4626000 (छियालीस लाख छब्बीस हजार रुपये) मात्र
8	नवादा	10000	5000	1000	14	226	436000	2616000	2171280	444720	₹ 2616000 (छब्बीस लाख सोलह हजार रुपये) मात्र
9	औरंगाबाद	10000	5000	1000	11	263	428000	2568000	2131440	436560	₹ 2568000 (पच्चीस लाख अड़सठ हजार रुपये) मात्र
10	जहानाबाद	10000	5000	1000	7	114	219000	1314000	1090620	223380	₹ 1314000 (तेरह लाख चौदह हजार रुपये) मात्र
11	अरवल	10000	5000	1000	5	78	153000	918000	761940	156060	₹ 918000 (नौ लाख अठारह हजार रुपये) मात्र
12	सारन	10000	5000	1000	20	425	725000	4350000	3610500	739500	₹ 4350000 (तीतालीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र
13	सिधौल	10000	5000	1000	16	379	619000	3714000	3082620	631380	₹ 3714000 (सैतीस लाख चौदह हजार रुपये) मात्र
14	गोपालगंज	10000	5000	1000	14	292	502000	3012000	2499960	512040	₹ 3012000 (तीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	10000	5000	1000	16	497	737000	4422000	3670260	751740	₹ 4422000 (चौवालीस लाख बाईस हजार रुपये) मात्र
16	वैशाली	10000	5000	1000	16	363	603000	3618000	3002940	615060	₹ 3618000 (छत्तीस लाख अठारह हजार रुपये) मात्र
17	पुं० चम्पारण	10000	5000	1000	27	473	878000	5268000	4372440	895560	₹ 5268000 (बावन लाख अड़सठ हजार रुपये) मात्र
18	प० चम्पारण	10000	5000	1000	18	382	652000	3912000	3246960	665040	₹ 3912000 (उनतालीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र
19	सीतामढ़ी	10000	5000	1000	17	350	605000	3630000	3012900	617100	₹ 3630000 (छत्तीस लाख तीस हजार रुपये) मात्र
20	शिवहर	10000	5000	1000	5	62	137000	822000	682260	139740	₹ 822000 (आठ लाख बाईस हजार रुपये) मात्र

यहाँ से

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
जिला	प्रमुख हेतु मासिक राशि	उप प्रमुख हेतु मासिक राशि	सदस्य हेतु मासिक राशि	पंचायत समिति की संख्या	सदस्य की संख्या	कुल मासिक राशि	छह माह के लिए आवश्यक राशि	सामान्य घटक	अनुसूचित जाति विशेष घटक	कुल	छह माह के लिए आवंटित राशि
21	भागलपुर	10000	5000	1000	16	282	522000	3132000	2599560	532440	₹ 3132000 (इकतीस लाख बीस हजार रुपये) मात्र
22	बाँका	10000	5000	1000	11	228	393000	2358000	1957140	400860	₹ 2358000 (तेईस लाख अठ्ठावन हजार रुपये) मात्र
23	मधुबनी	10000	5000	1000	21	513	828000	4968000	4123440	844560	₹ 4968000 (उन्नचास लाख अठ्ठाठ हजार रुपये) मात्र
24	समस्तीपुर	10000	5000	1000	20	482	782000	4692000	3894360	797640	₹ 4692000 (छियालीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र
25	दरभंगा	10000	5000	1000	18	417	687000	4122000	3421260	700740	₹ 4122000 (इकतीस लाख बीस हजार रुपये) मात्र
26	सहरसा	10000	5000	1000	10	186	336000	2016000	1673280	342720	₹ 2016000 (बीस लाख बीस हजार रुपये) मात्र
27	मधेपुरा	10000	5000	1000	13	199	394000	2364000	1962120	401880	₹ 2364000 (तेईस लाख बीस हजार रुपये) मात्र
28	सुपौल	10000	5000	1000	11	233	398000	2388000	1982040	405960	₹ 2388000 (तेईस लाख अठ्ठासी हजार रुपये) मात्र
29	पूर्णिया	10000	5000	1000	14	313	523000	3138000	2604540	533460	₹ 3138000 (इकतीस लाख अठ्ठासी हजार रुपये) मात्र
30	अररिया	10000	5000	1000	9	285	420000	2520000	2091600	428400	₹ 2520000 (पच्चीस लाख बीस हजार रुपये) मात्र
31	किशनगंज	10000	5000	1000	7	162	267000	1602000	1329660	272340	₹ 1602000 (सोलह लाख दो हजार रुपये) मात्र
32	कटिहार	10000	5000	1000	16	296	536000	3216000	2669280	546720	₹ 3216000 (बत्तीस लाख सोलह हजार रुपये) मात्र
33	मुंगेर	10000	5000	1000	9	118	253000	1518000	1259940	258060	₹ 1518000 (पन्द्रह लाख अठ्ठाठ हजार रुपये) मात्र
34	जमुई	10000	5000	1000	10	173	323000	1938000	1608540	329460	₹ 1938000 (उत्तीस लाख अठ्ठासी हजार रुपये) मात्र
35	बेगूसराय	10000	5000	1000	18	293	563000	3378000	2803740	574260	₹ 3378000 (तीतीस लाख अठ्ठाठ हजार रुपये) मात्र
36	खगड़िया	10000	5000	1000	7	171	276000	1656000	1374480	281520	₹ 1656000 (सोलह लाख छपन हजार रुपये) मात्र
37	लखीसराय	10000	5000	1000	7	99	204000	1224000	1015920	208080	₹ 1224000 (बारह लाख बीबीस हजार रुपये) मात्र
38	शेखपुरा	10000	5000	1000	6	58	148000	888000	737040	150960	₹ 888000 (आठ लाख अठ्ठासी हजार रुपये) मात्र
	कुल राशि	380000	190000	38000	531	10439	18404000	110424000	91651920	18772080	₹ 110424000 (ग्यारह करोड़ बार लाख बीबीस हजार रुपये) मात्र

24.3.15
(राम प्रकाश सिंह)
अनुश्रवण पदाधिकारी

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
विवरण III

वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया एवं सदस्यों को नियत भत्ता भद में स्वीकृत राशि के आलोक में माह अप्रैल, 15 से सितम्बर, 15 तक (छह माह) की राशि की निकासी हेतु आवंटित की जा रही राशि (रूपये में)

क्र.सं.	जिला	मुखिया हेतु मासिक राशि	उप-मुखिया हेतु मासिक राशि	सदस्य हेतु मासिक राशि	ग्राम पंचायत की संख्या	सदस्य की संख्या	कुल मासिक राशि	छह माह के लिए आवंटित राशि	छह माह के लिए आवंटित राशि		
									सामान्य घटक	अनुसूचित जाति विशेष घटक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बक्सर	2500	1200	500	142	1838	1444300	8566400	7193112	1473288	₹ 8666400 (छियासी लाख छियासठ हजार छार सौ रुपये) मात्र
2	रोहतास	2500	1200	500	246	2868	2344200	14065200	11674116	2391084	₹ 14065200 (एक करोड़ छालीस लाख पैसठ हजार दो सौ रुपये) मात्र
3	भोजपुर	2500	1200	500	228	3172	2429600	14577600	12099408	2478192	₹ 14577600 (एक करोड़ पैतालीस लाख सतसत्तर हजार छह सौ रुपये) मात्र
4	मधेपुरा	2500	1200	500	249	3107	2474800	14848800	12324504	2524296	₹ 14848800 (एक करोड़ अठतालीस लाख अठतालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
5	पटना	2500	1200	500	327	4162	3290900	19745400	16388682	3356718	₹ 19745400 (एक करोड़ सत्तानवे लाख पैतालीस हजार छार सौ रुपये) मात्र
6	जैपुर	2500	1200	500	149	1528	1315300	7891800	6550194	1341606	₹ 7891800 (अठहत्तर लाख इत्थानवे हजार आठ सौ रुपये) मात्र
7	नवादा	2500	1200	500	332	4241	3348900	20093400	16677522	3415878	₹ 20093400 (दो करोड़ तिरानवे हजार छार सौ रुपये) मात्र
8	नवादा	2500	1200	500	187	2340	1861900	11171400	9272262	1899138	₹ 11171400 (एक करोड़ ग्यारह लाख इकहत्तर हजार छार सौ रुपये) मात्र
9	औरंगाबाद	2500	1200	500	204	2633	2071300	12427800	10315074	2112726	₹ 12427800 (एक करोड़ चौबीस लाख सताईस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
10	जहानाबाद	2500	1200	500	93	1181	934600	5607600	4654308	953292	₹ 5607600 (छप्पन लाख सात हजार छह सौ रुपये) मात्र
11	अरवल	2500	1200	500	65	867	674000	4044000	3356520	687480	₹ 4044000 (चासीस लाख चौतालीस हजार रुपये) मात्र
12	सारन	2500	1200	500	323	4361	3375600	20253600	16810488	3443112	₹ 20253600 (दो करोड़ दो लाख तिरैपन हजार छह सौ रुपये) मात्र
13	सिवान	2500	1200	500	293	3793	2980600	17883600	14843388	3040212	₹ 17883600 (एक करोड़ अठहत्तर लाख तिरासी हजार छह सौ रुपये) मात्र
14	गोपालगंज	2500	1200	500	234	2943	2337300	14023800	11639754	2384046	₹ 14023800 (एक करोड़ चालीस लाख तेईस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	2500	1200	500	385	4966	3907500	23445000	19459350	3985650	₹ 23445000 (दो करोड़ चौतीस लाख पैतालीस हजार रुपये) मात्र
16	धनुषा	2500	1200	500	288	3515	2823100	16938600	14059038	2879562	₹ 16938600 (एक करोड़ उनहत्तर लाख अब्तीस हजार छह सौ रुपये) मात्र
17	मुँ. चम्पारण	2500	1200	500	405	5281	4139000	24834000	20612220	4221780	₹ 24834000 (दो करोड़ अठतालीस लाख चौतीस हजार रुपये) मात्र
18	प. चम्पारण	2500	1200	500	315	3882	3106500	18639000	15470370	3168630	₹ 18639000 (एक करोड़ छियासी लाख उनतालीस हजार रुपये) मात्र
19	सोतामढ़ी	2500	1200	500	273	3565	2791600	16749600	13902168	2847432	₹ 16749600 (एक करोड़ सत्तसठ लाख उन्नचास हजार छह सौ रुपये) मात्र
20	शिवहर	2500	1200	500	53	694	543100	3258600	2704638	553962	₹ 3258600 (बत्तीस लाख अठ्ठावन हजार छह सौ रुपये) मात्र
21	मगलपुर	2500	1200	500	242	2884	2337400	14024400	11640252	2384148	₹ 14024400 (एक करोड़ चालीस लाख चौबीस हजार छार सौ रुपये) मात्र
22	धरका	2500	1200	500	185	2295	1832000	10992000	9123360	1868640	₹ 10992000 (एक करोड़ नौ लाख दयानवे हजार रुपये) मात्र

5/10/16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
जिला	मुखिया हेतु मासिक राशि	उप-मुखिया हेतु मासिक राशि	सदस्य हेतु मासिक राशि	ग्राम पंचायत की संख्या	सदस्य की संख्या	कुल मासिक राशि	छह माह के लिए आवश्यक राशि	सामान्य घटक	अनुसूचित जाति विशेष घटक	छह माह के लिए आवंटित राशि	
										कुल	
23	महुबनी	2500	1200	500	399	5125	4038800	24232800	20113224	4119576	₹ 24232800 (दो करोड़ पचासी लाख बत्तीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
24	समस्तीपुर	2500	1200	500	381	4831	3825200	22951200	19049496	3901704	₹ 22951200 (दो करोड़ उन्नीस लाख इक्कावन हजार दो सौ रुपये) मात्र
25	बरभंगा	2500	1200	500	324	4246	3321800	19930800	16542564	3388236	₹ 19930800 (एक करोड़ निम्नानवे लाख तीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
26	सहरसा	2500	1200	500	151	1749	1433200	8599200	7137336	1461864	₹ 8599200 (विघाती लाख निम्नानवे हजार दो सौ रुपये) मात्र
27	मधेपुरा	2500	1200	500	170	2072	1665000	9990000	8291700	1698300	₹ 9990000 (निम्नानवे लाख नब्बे हजार रुपये) मात्र
28	सुपौल	2500	1200	500	181	2348	1843700	11062200	9181626	1880574	₹ 11062200 (एक करोड़ दस लाख बारह हजार दो सौ रुपये) मात्र
29	पूर्वार्ध	2500	1200	500	246	3180	2500200	15001200	12450096	2550204	₹ 15001200 (एक करोड़ पचास लाख एक हजार दो सौ रुपये) मात्र
30	अररिया	2500	1200	500	218	2774	2193600	13161600	10924128	2237472	₹ 13161600 (एक करोड़ इकतीस लाख इक्काठ हजार छह सौ रुपये) मात्र
31	कटिहार	2500	1200	500	126	1643	1287700	7726200	6412746	1313454	₹ 7726200 (सतहत्तर लाख छब्बीस हजार दो सौ रुपये) मात्र
32	मौनार	2500	1200	500	238	3038	2399600	14397600	11950008	2447592	₹ 14397600 (एक करोड़ तीतालीस लाख नव्वानवे हजार छह सौ रुपये) मात्र
33	जहम	2500	1200	500	101	1265	1006200	6037200	5010876	1026324	₹ 6037200 (साठ लाख सैंतीस हजार दो सौ रुपये) मात्र
34	सुलतान	2500	1200	500	153	1810	1471100	8826600	7326078	1500522	₹ 8826600 (अठ्ठासी लाख छब्बीस हजार छह सौ रुपये) मात्र
35	रंगडिया	2500	1200	500	229	3041	2367800	14206800	11791644	2415156	₹ 14206800 (एक करोड़ ब्यालीस लाख छह हजार आठ सौ रुपये) मात्र
36	लखीसराय	2500	1200	500	129	1730	1342300	8053800	6684654	1369146	₹ 8053800 (अस्सी लाख तिरपन हजार आठ सौ रुपये) मात्र
37	रोखपुरा	2500	1200	500	80	1035	813500	4881000	4051230	829770	₹ 4881000 (अड़तालीस लाख इक्कासी हजार रुपये) मात्र
38	कुल राशि	95000	45600	19000	8398	106659	84402100	506412600	420322458	86090142	₹ 506412600 (पचास करोड़ चौंसठ लाख बारह हजार छह सौ रुपये) मात्र


 24.8.15
 (राम प्रकाश सिंह)
 अनुश्रवण पदाधिकारी

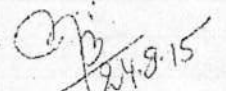
401

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
विवरण IV

वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच एवं सदस्यों को नियत मत्ता मद में स्वीकृत राशि के आलोक में माह अप्रैल, 15 से सितम्बर, 15 तक (छह माह) की राशि की निकासी हेतु आवंटित की जा रही राशि (रुपये में)

क्र.सं.	जिला	सरपंच हेतु मासिक राशि	उप-सरपंच हेतु मासिक राशि	सदस्य हेतु मासिक राशि	ग्राम कचहरी की संख्या	सदस्य की संख्या	कुल मासिक राशि	छह माह के लिए आवश्यक् राशि	छह माह के लिए आवंटित राशि		
									सामान्य घटक	अनुसूचित जाति विशेष घटक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	मधेपुरा	2500	1200	500	142	1838	1444400	8666400	7193112	1473288	₹ 8666400 (छियासी लाख छियासठ हजार चार सौ रुपये) मात्र
2	रोहतास	2500	1200	500	246	2868	2344200	14063200	11674116	2391084	₹ 14063200 (एक करोड़ चालीस लाख पैंसठ हजार दो सौ रुपये) मात्र
3	भोजपुर	2500	1200	500	228	3172	2429600	14577600	12099408	2478192	₹ 14577600 (एक करोड़ पैंतालीस लाख सतहत्तर हजार छह सौ रुपये) मात्र
4	नालन्दा	2500	1200	500	249	3107	2474800	14848800	12324504	2524296	₹ 14848800 (एक करोड़ अठ्ठातीस लाख अड़तालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
5	पटना	2500	1200	500	327	4162	3290900	19745400	16388682	3356718	₹ 19745400 (एक करोड़ सत्तानवे लाख पैंतालीस हजार चार सौ रुपये) मात्र
6	कौशी	2500	1200	500	149	1838	155300	7891800	6550194	1341606	₹ 7891800 (अठहत्तर लाख इय्यानवे हजार आठ सौ रुपये) मात्र
7	गया	2500	1200	500	332	4162	3290900	20093400	16677522	3415878	₹ 20093400 (दो करोड़ तिरानवे हजार चार सौ रुपये) मात्र
8	मधेपुरा	2500	1200	500	187	2333	1861900	11171400	9272262	1899138	₹ 11171400 (एक करोड़ ग्याह लाख इकहत्तर हजार बार सौ रुपये) मात्र
9	मधेपुरा	2500	1200	500	204	2633	2071300	12427800	10315074	2112726	₹ 12427800 (एक करोड़ चौबीस लाख सत्ताईस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
10	जहानाबाद	2500	1200	500	93	1181	934600	5607600	4654308	953292	₹ 5607600 (छप्पन लाख सात हजार छह सौ रुपये) मात्र
11	अररया	2500	1200	500	65	867	674000	4044000	3356520	687480	₹ 4044000 (चालीस लाख चौबीस हजार रुपये) मात्र
12	सारन	2500	1200	500	323	4561	3375600	20253600	16810488	3443112	₹ 20253600 (दो करोड़ दो लाख तिरैपन हजार छह सौ रुपये) मात्र
13	सिधौल	2500	1200	500	293	3793	2980600	17883600	14843388	3040212	₹ 17883600 (एक करोड़ अठहत्तर लाख तिरासी हजार छह सौ रुपये) मात्र
14	मोनालगाँव	2500	1200	500	234	2943	2337300	14023800	11659754	2384046	₹ 14023800 (एक करोड़ चालीस लाख तैईस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	2500	1200	500	385	4966	3907500	23445000	19459350	3985650	₹ 23445000 (दो करोड़ चौतीस लाख पैंतालीस हजार रुपये) मात्र
16	बैरगंजी	2500	1200	500	288	3515	2823100	16938600	14059038	2879562	₹ 16938600 (एक करोड़ उनहत्तर लाख अठ्ठातीस हजार छह सौ रुपये) मात्र
17	पू. चम्पारण	2500	1200	500	405	5281	4139000	24834000	20612220	4221780	₹ 24834000 (दो करोड़ अड़तालीस लाख चौतीस हजार रुपये) मात्र
18	प. चम्पारण	2500	1200	500	315	3882	3106500	18639000	15470370	3168630	₹ 18639000 (एक करोड़ छियासी लाख उन्तालीस हजार रुपये) मात्र
19	सतीमाड़ी	2500	1200	500	273	3563	2791600	16749600	13902168	2847432	₹ 16749600 (एक करोड़ सड़सठ लाख उन्त्र्यास हजार छह सौ रुपये) मात्र
20	शिवहर	2500	1200	500	53	694	543100	3258600	2704638	553962	₹ 3258600 (बत्तीस लाख अड़ायन हजार छह सौ रुपये) मात्र
21	भागलपुर	2500	1200	500	242	2884	2337400	14024400	11640252	2384148	₹ 14024400 (एक करोड़ चालीस लाख चौबीस हजार चार सौ रुपये) मात्र
22	बोकारो	2500	1200	500	185	2295	1832000	10992000	9123360	1868640	₹ 10992000 (एक करोड़ नौ लाख दयानवे हजार रुपये) मात्र

क्र.सं.	जिला	सापंच हेतु मासिक राशि	उप-सापंच हेतु मासिक राशि	सदस्य हेतु मासिक राशि	ग्राम कचहरी की संख्या	सदस्य की संख्या	कुल मासिक राशि	छह माह के लिए आवश्यक राशि	छह माह के लिए आवंटित राशि		
									सामान्य घटक	अनुसूचित जाति विशेष घटक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	म्यामनी	2500	1200	500	399	5125	4038800	24232800	20113224	4119576	₹ 24232800 (दो करोड़ च्यालीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
24	समस्तीपुर	2500	1200	500	381	4831	3825200	22951200	19049496	3901704	₹ 22951200 (दो करोड़ छत्तावीस लाख इक्कावन हजार दो सौ रुपये) मात्र
25	दरभंगा	2500	1200	500	324	4246	3321800	19930800	16342564	3388236	₹ 19930800 (एक करोड़ नित्यानवे लाख तीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
26	सहरसा	2500	1200	500	151	1749	1433200	8599200	7137336	1461864	₹ 8599200 (बिक्कसी लाख नित्यानवे हजार दो सौ रुपये) मात्र
27	मधेपुरा	2500	1200	500	170	2072	1665000	9990000	8291700	1698300	₹ 9990000 (नित्यानवे लाख नव्वे हजार रुपये) मात्र
28	सुपौल	2500	1200	500	181	2348	1843700	11062200	9181626	1880574	₹ 11062200 (एक करोड़ दस लाख बासठ हजार दो सौ रुपये) मात्र
29	पुर्णिया	2500	1200	500	246	3180	2500200	15061200	12450996	2550204	₹ 15061200 (एक करोड़ पचास लाख एक हजार दो सौ रुपये) मात्र
30	अररिया	2500	1200	500	218	2774	2193600	13161600	10924128	2237472	₹ 13161600 (एक करोड़ इक्कीस लाख इकसठ हजार छह सौ रुपये) मात्र
31	किशनगंज	2500	1200	500	126	1643	1287700	7726200	6412746	1313454	₹ 7726200 (सैंतहत्तर लाख छब्बीस हजार दो सौ रुपये) मात्र
32	कटिहार	2500	1200	500	238	3038	2399600	14397600	11950008	2447592	₹ 14397600 (एक करोड़ तीतावीस लाख सत्तानवे हजार छह सौ रुपये) मात्र
33	मुंगेर	2500	1200	500	101	1265	1006200	6037200	5010876	1026324	₹ 6037200 (साठ लाख सैंतीस हजार दो सौ रुपये) मात्र
34	जमुई	2500	1200	500	153	1810	1471100	8826600	7326078	1500522	₹ 8826600 (अष्टात्ती लाख छब्बीस हजार छह सौ रुपये) मात्र
35	बेगूसराय	2500	1200	500	229	3041	2367800	14206800	11791644	2415156	₹ 14206800 (एक करोड़ च्यालीस लाख छह हजार आठ सौ रुपये) मात्र
36	खगड़िया	2500	1200	500	129	1730	1342300	8053800	6684634	1369146	₹ 8053800 (अस्सी लाख तिरैपन हजार आठ सौ रुपये) मात्र
37	लखीसराय	2500	1200	500	80	1035	813500	4881000	4051230	829770	₹ 4881000 (अड़तालीस लाख इक्काती हजार रुपये) मात्र
38	शेखपुरा	2500	1200	500	54	658	528800	3172800	2633424	539376	₹ 3172800 (इक्कीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ रुपये) मात्र
	कुल राशि	95000	45600	19000	8398	106659	84402100	506412600	420322458	86090142	₹ 506412600 (पाचास करोड़ चौंशठ लाख बारह हजार छह सौ रुपये) मात्र


 (राम प्रकाश सिंह)
 अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्र संख्या 5प/योजना-05/2015/पं०रा०/36 (अ.ब.)

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

राम प्रकाश सिंह

अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य

कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद।

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी।

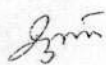
पटना, दिनांक 16/03/2016।

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या 04 दिनांक 07.08.2015 द्वारा स्वीकृत राशि के विरुद्ध कुल ₹ 81,42,35,186.00 (इक्यासी करोड़ बयालीस लाख पैंतीस हजार एक सौ छियासी रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 04 दिनांक 07.08.15 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच को वित्तीय वर्ष 2015-16 में नियत (मासिक) भत्ता हेतु ₹2,28,91,10,400.00 (दो अरब अट्ठाइस करोड़ इक्यानवे लाख दस हजार चार सौ रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस राशि में जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए ₹4,26,12,000.00 (चार करोड़ छब्बीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र, पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख तथा सदस्यों के लिए ₹22,08,48,000.00 (बाईस करोड़ आठ लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया तथा सदस्यों के लिए ₹1,01,28,25,200.00 (एक अरब एक करोड़ अट्ठाईस लाख पच्चीस हजार दो सौ रुपये) मात्र एवं ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच, तथा सदस्यों (पंचों) के लिए ₹1,01,28,25,200.00 (एक अरब एक करोड़ अट्ठाईस लाख पच्चीस हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि स्वीकृत है।

स्वीकृत राशि के आलोक में माह अक्टूबर-15 से नियत भत्ता की राशि की निकासी हेतु संलग्न विवरणी। के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹ 2,13,06,000.00 (दो करोड़ तेरह लाख छह हजार रुपये) मात्र, विवरणी





II के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹ 10,91,36,569.00 (दस करोड़ इक्यानवे लाख छत्तीस हजार पाँच सौ अड़सठ रुपये) मात्र, विवरणी III के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹ 34,18,96,309.00 (चौत्तीस करोड़ अठारह लाख छियानवें हजार तीन सौ नौ रुपये) मात्र एवं विवरणी IV के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹ 34,18,96,309.00 (चौत्तीस करोड़ अठारह लाख छियानवें हजार तीन सौ नौ रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹ 81,42,35,186.00 (इक्यासी करोड़ बयालीस लाख पैतीस हजार एक सौ छियासी रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं ग्राम कचहरी के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग राज्यादेश संख्या 04 दिनांक 07.08.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 396 दिनांक 24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2015-16 के मांग संख्या 16 के अन्तर्गत योजना बजट में उपबंधित निम्नांकित बजट शीर्षों के अन्तर्गत की जायेगी :-

जिला परिषदों के लिए -

(क) सामान्य घटक - योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-पी-2515001960106

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक - योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-पी-2515007890106

पंचायत समितियों के लिए -

(क) सामान्य घटक - योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को

Jan

f

सहायता-उपशीर्ष-0103-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-
2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-पी-2515001970103

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक - योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0105-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-पी-2515007890105

ग्राम पंचायतों के लिए -

(क) सामान्य घटक - योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0105-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-पी-2515001980105

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक - योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0103-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-पी 2515007890103

ग्राम कचहरियों के लिए -

(क) सामान्य घटक - योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-पी-2515001980106

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक - योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-पी-2515007890104

5. राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियमों के आलोक में की जायेगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित



प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. इस आवंटन-आदेश तथा विवरणी के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त

विश्वासभाजन,
15.3.16
(राम प्रकाश सिंह)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापक:-5प/योजना-05/2015/पं०रा०/36(अ/ब) पटना, दिनांक 16/03/2016।

प्रतिलिपि - महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा 8 एवं आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त

15.3.16
(राम प्रकाश सिंह)

अनुश्रवण पदाधिकारी

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

विवरण I

वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को नियत भत्ता मद में स्वीकृत राशि के आलोक में माह अक्टूबर, 2015 से राशि की निकासी हेतु आवंटित की जा रही राशि (₹ में)

क्र०	जिला	अध्यक्ष हेतु मासिक राशि	उपाध्यक्ष हेतु मासिक राशि	सदस्य हेतु मासिक राशि	सदस्य की संख्या	कुल मासिक राशि	छह माह के लिए आवश्यक राशि	सामान्य घटक	अनुसूचित जाति विशेष घटक	कुल आवंटित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	बक्सर	12000	10000	2500	18	67000	402000	333660	68340	₹ 402000	(चार लाख दो हजार रुपये) मात्र
2	रोहतास	12000	10000	2500	31	99500	597000	495510	101490	₹ 597000	(पाँच लाख सत्तानबे हजार रुपये) मात्र
3	भोजपुर	12000	10000	2500	29	94500	567000	470610	96390	₹ 567000	(पाँच लाख सड़सठ हजार रुपये) मात्र
4	नालांदा	12000	10000	2500	32	102000	612000	507960	104040	₹ 612000	(छह लाख बारह हजार रुपये) मात्र
5	पटना	12000	10000	2500	44	132000	792000	657360	134640	₹ 792000	(सात लाख वयानबे हजार रुपये) मात्र
6	कैमूर	12000	10000	2500	17	64500	387000	321210	65790	₹ 387000	(तीन लाख सत्तासी हजार रुपये) मात्र
7	गया	12000	10000	2500	44	132000	792000	657360	134640	₹ 792000	(सात लाख वयानबे हजार रुपये) मात्र
8	नवादा	12000	10000	2500	23	79500	477000	395910	81090	₹ 477000	(चार लाख सत्तहत्तर हजार रुपये) मात्र
9	औरंगाबाद	12000	10000	2500	26	87000	522000	433260	88740	₹ 522000	(पाँच लाख बाईस हजार रुपये) मात्र
10	जहानाबाद	12000	10000	2500	11	49500	297000	246510	50490	₹ 297000	(दो लाख सत्तानबे हजार रुपये) मात्र
11	अरवल	12000	10000	2500	7	39500	237000	196710	40290	₹ 237000	(दो लाख सैंतीस हजार रुपये) मात्र
12	सारण	12000	10000	2500	45	134500	807000	669810	137190	₹ 807000	(आठ लाख सात हजार रुपये) मात्र
13	सिवान	12000	10000	2500	39	119500	717000	595110	121890	₹ 717000	(सात लाख सत्रह हजार रुपये) मात्र
14	गोपालगंज	12000	10000	2500	30	97000	582000	483060	98940	₹ 582000	(पाँच लाख वयासी हजार रुपये) मात्र
15	गुजपूरपुर	12000	10000	2500	52	152000	912000	756960	155040	₹ 912000	(नौ लाख बारह हजार रुपये) मात्र
16	वैशाली	12000	10000	2500	39	119500	717000	595110	121890	₹ 717000	(सात लाख सत्रह हजार रुपये) मात्र
17	पू० चम्पारण	12000	10000	2500	55	159500	957000	794310	162690	₹ 957000	(नौ लाख सत्तावन हजार रुपये) मात्र
18	प० चम्पारण	12000	10000	2500	40	122000	732000	607560	124440	₹ 732000	(सात लाख बत्तीस हजार रुपये) मात्र
19	सीतामढ़ी	12000	10000	2500	36	112000	672000	557760	114240	₹ 672000	(छह लाख बहत्तर हजार रुपये) मात्र

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

विवरण II

वित्तीय वर्ष 2015-16 में पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख एवं सदस्यों को नियत भत्ता मद में स्वीकृत राशि के आलोक में माह अक्टूबर, 2015 से राशि की निकासी हेतु आवंटित की जा रही राशि (₹ में)

क्र०	जिला	प्रमुख हेतु मासिक राशि	उप-प्रमुख हेतु मासिक राशि	सदस्य हेतु मासिक राशि	पंचायत समिति की संख्या	सदस्य की संख्या	कुल मासिक राशि	छह माह के लिए आवश्यक राशि	सामान्य घटक	अनुसूचित जाति विशेष घटक	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बक्सर	10000	5000	1000	11	178	343000	2058000	1708140	325164	₹ 20,33,304.00 (बीस लाख अठ्ठावन हजार तीन सौ चार रुपये) मात्र
2	रोहतास	10000	5000	1000	19	292	577000	3462000	2873460	546996	₹ 34,20,456.00 (चौतीस लाख बीस हजार चार सौ छप्पन रुपये) मात्र
3	भोजपुर	10000	5000	1000	14	282	492000	2952000	2450160	466416	₹ 29,16,576.00 (उनतीस लाख सोलह हजार पाँच सौ छिहत्तर रुपये) मात्र
4	नालन्दा	10000	5000	1000	20	302	602000	3612000	2997960	570696	₹ 35,68,656.00 (छत्तीस लाख अड़सठ हजार छह सौ छप्पन रुपये) मात्र
5	पटना	10000	5000	1000	23	398	743000	4458000	3700140	704364	₹ 44,04,504.00 (चौवालीस लाख चार हजार पाँच सौ चार रुपये) मात्र
6	कैमूर	10000	5000	1000	11	164	329000	1974000	1638420	311892	₹ 19,50,312.00 (उनतीस लाख पचास हजार तीन सौ बारह रुपये) मात्र
7	गया	10000	5000	1000	24	411	771000	4626000	3839580	730908	₹ 45,70,488.00 (पैंतालीस लाख सत्तर हजार चार सौ अठ्ठासी रुपये) मात्र
8	नवादा	10000	5000	1000	14	226	436000	2616000	2171280	413328	₹ 25,84,608.00 (पच्चीस लाख चौरासी हजार छह सौ आठ रुपये) मात्र
9	औरंगाबाद	10000	5000	1000	11	263	428000	2568000	2131440	405744	₹ 25,37,184.00 (पच्चीस लाख सैंतीस हजार एक सौ चौरासी रुपये) मात्र
10	जयनाबाद	10000	5000	1000	7	114	219000	1314000	1090620	207612	₹ 12,98,232.00 (बारह लाख अन्तानवे हजार दो सौ बत्तीस रुपये) मात्र
11	अरवल	10000	5000	1000	5	78	153000	918000	761940	145044	₹ 9,06,984.00 (नौ लाख छह हजार नौ सौ चौरासी रुपये) मात्र
12	सारन	10000	5000	1000	20	425	725000	4350000	3610500	687300	₹ 42,97,800.00 (ब्यालीस लाख सन्तानवे हजार आठ सौ रुपये) मात्र
13	सिवान	10000	5000	1000	16	379	619000	3714000	3082620	586812	₹ 36,69,432.00 (छत्तीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ बत्तीस रुपये) मात्र
14	गोपालगंज	10000	5000	1000	14	292	502000	3012000	2499960	475896	₹ 29,75,856.00 (उनतीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ छप्पन रुपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	10000	5000	1000	16	497	737000	4422000	3670260	698676	₹ 43,68,936.00 (तैंतालीस लाख अड़सठ हजार नौ सौ छत्तीस रुपये) मात्र
16	वैशाली	10000	5000	1000	16	363	603000	3618000	3002940	571644	₹ 35,74,584.00 (पैंतीस लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ चौरासी रुपये) मात्र
17	पुर्नो नमगंज	10000	5000	1000	27	473	878000	5268000	4372440	832344	₹ 52,04,784.00 (बावन लाख चार हजार सात सौ चौरासी रुपये) मात्र
18	पद्म नमगंज	10000	5000	1000	18	382	652000	3912000	3246960	618096	₹ 38,65,056.00 (अड़तीस लाख पैंसठ हजार छप्पन रुपये) मात्र
19	सीतामढ़ी	10000	5000	1000	17	350	605000	3630000	3012900	573540	₹ 35,86,440.00 (पैंतीस लाख छियासी हजार चार सौ चालीस रुपये) मात्र
20	शिवहर	10000	5000	1000	5	62	137000	822000	682260	129876	₹ 8,12,136.00 (आठ लाख बारह हजार एक सौ छत्तीस रुपये) मात्र
21	मधेपुरा	10000	5000	1000	16	282	522000	3132000	2599560	494856	₹ 30,94,416.00 (तीस लाख चौरानवे हजार चार सौ सोलह रुपये) मात्र
22	संकु	10000	5000	1000	11	228	393000	2358000	1957140	372564	₹ 23,29,704.00 (तैंईस लाख उनतीस हजार सात सौ चार रुपये) मात्र

क्र०	जिला	प्रमुख हेतु मासिक राशि	उप-प्रमुख हेतु मासिक राशि	सदस्य हेतु मासिक राशि	पंचायत समिति की संख्या	सदस्य की संख्या	कुल मासिक राशि	छह माह के लिए आवश्यक राशि	सामान्य घटक	अनुसूचित जाति विशेष घटक	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	मधुबनी	10000	5000	1000	21	513	828000	4968000	4123440	784944	₹ 49,08,384.00 (उन्नचास लाख आठ हजार तीन सौ चौरासी रुपये) मात्र
24	समस्तीपुर	10000	5000	1000	20	482	782000	4692000	3894360	741336	₹ 46,35,696.00 (छियालीस लाख पैतीस हजार छह सौ छियानवे रुपये) मात्र
25	दरभंगा	10000	5000	1000	18	417	687000	4122000	3421260	651276	₹ 40,72,536.00 (घालीस लाख बहतर हजार पाँच सौ छत्तीस रुपये) मात्र
26	सहरसा	10000	5000	1000	10	186	336000	2016000	1673280	318528	₹ 19,91,808.00 (उन्नीस लाख एकानवे हजार आठ सौ आठ रुपये) मात्र
27	मधेपुरा	10000	5000	1000	13	199	394000	2364000	1962120	373512	₹ 23,35,632.00 (तेईस लाख पैतीस हजार छह सौ बत्तीस रुपये) मात्र
28	सुपौल	10000	5000	1000	11	233	398000	2388000	1982040	377304	₹ 23,59,344.00 (तेईस लाख उन्नसठ हजार तीन सौ चौवालीस रुपये) मात्र
29	पूर्णिमा	10000	5000	1000	14	313	523000	3138000	2604540	533460	₹ 31,38,000.00 (इकतीस लाख अठतीस हजार रुपये) मात्र
30	अररिया	10000	5000	1000	9	285	420000	2520000	2091600	398160	₹ 24,89,760.00 (बीबीस लाख नवारी हजार सात सौ साठ रुपये) मात्र
31	किशनगंज	10000	5000	1000	7	162	267000	1602000	1329660	253116	₹ 15,82,776.00 (पन्द्रह लाख बेशसी हजार सात सौ छिहतर रुपये) मात्र
32	कटिहार	10000	5000	1000	16	296	536000	3216000	2669280	508128	₹ 31,77,408.00 (एकतीस लाख सतहतर हजार चार सौ आठ रुपये) मात्र
33	मुंगेर	10000	5000	1000	9	118	253000	1518000	1259940	239844	₹ 14,99,784.00 (चौदह लाख नित्यानवे हजार सात सौ चौरासी रुपये) मात्र
34	जमुई	10000	5000	1000	10	173	323000	1938000	1608540	306204	₹ 19,14,744.00 (उन्नीस लाख चौदह हजार सात सौ बीवालीस रुपये) मात्र
35	बेगुसराय	10000	5000	1000	18	293	563000	3378000	2803740	533724	₹ 33,37,464.00 (तीतीस लाख सीतीस हजार चार सौ बीसठ रुपये) मात्र
36	खगड़िया	10000	5000	1000	7	171	276000	1656000	1374480	261648	₹ 16,36,128.00 (सोलह लाख छतीस हजार एक सौ अड्डाईस रुपये) मात्र
37	लखीसराय	10000	5000	1000	7	99	204000	1224000	1015920	193392	₹ 12,09,312.00 (बारह लाख नौ हजार तीन सौ बारह रुपये) मात्र
38	शेखपुरा	10000	5000	1000	6	58	148000	888000	737040	140304	₹ 8,77,344.00 (आठ लाख सतहतर हजार तीन सौ बीवालीस रुपये) मात्र
कुल राशि		380000	190000	38000	531	10439	18404000	110424000	91651920	17484648	₹ 10,91,36,568.00 (दस करोड एकानवे लाख छत्तीस हजार पाँच सौ अड्डसठ रुपये) मात्र

15.3.16.

(राम प्रकाश सिंह)

अनुश्रवण पदाधिकारी

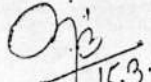
बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

विवरण III

वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया एवं सदस्यों को नियत भत्ता मद में स्वीकृत राशि के आलोक में माह अक्टूबर, 2015 से राशि की निकासी हेतु आवंटित की जा रही राशि (₹ में)

क्र०	जिला	मुखिया हेतु मासिक राशि	उप-मुखिया हेतु मासिक राशि	सदस्य हेतु मासिक राशि	ग्राम पंचायत की संख्या	सदस्य की संख्या	कुल मासिक राशि	छह माह के लिए आवश्यक राशि	सामान्य घटक	अनुसूचित जाति विशेष घटक	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बक्सर	2500	1200	500	142	1838	1444400	8666400	7193112	1169964	₹ 83.63.076.00 (तिरसी लाख तिरसठ हजार छिहत्तर रुपये) मात्र
2	रोहतास	2500	1200	500	246	2868	2344200	14065200	5837058	1898802	₹ 77,35,860.00 (सतहत्तर लाख पैतीस हजार आठ सौ साठ रुपये) मात्र
3	भोजपुर	2500	1200	500	228	3172	2429600	14577600	9208384	1967976	₹ 1,11,76,360.00 (एक करोड़ ग्यारह लाख छिहत्तर हजार तीन सौ साठ रुपये) मात्र
4	नालन्दा	2500	1200	500	249	3107	2474800	14848800	6162252	2004588	₹ 81.66.840.00 (एकाली लाख छियासठ हजार आठ सौ चालीस रुपये) मात्र
5	पटना	2500	1200	500	327	4162	3290900	19745400	8194341	2665629	₹ 1,08,59,970.00 (एक करोड़ आठ लाख उनसठ हजार नौ सौ सत्तर रुपये) मात्र
6	कैमूर	2500	1200	500	149	1528	1315300	7891800	6550194	1065393	₹ 76,15,587.00 (छिहत्तर लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ सत्तासी रुपये) मात्र
7	गया	2500	1200	500	332	4241	3348900	20093400	8338761	2511675	₹ 1,08,50,436.00 (एक करोड़ आठ लाख पचास हजार चार सौ छत्तीस रुपये) मात्र
8	नवादा	2500	1200	500	187	2340	1861900	11171400	9272262	1508139	₹ 1,07,80,401.00 (एक करोड़ सात लाख अस्सी हजार चार सौ एक रुपये) मात्र
9	औरंगाबाद	2500	1200	500	204	2633	2071300	12427800	10315074	1677753	₹ 1,19,92,827.00 (एक करोड़ उन्नीस लाख ब्यान्वे हजार आठ सौ सत्ताईस रुपये) मात्र
10	जहानाबाद	2500	1200	500	93	1181	934600	5607600	4654308	757026	₹ 54,11,334.00 (चौवन लाख ग्यारह हजार तीन सौ चौतीस रुपये) मात्र
11	अरवल	2500	1200	500	65	867	674000	4044000	3356520	545940	₹ 39,02,460.00 (उनचालीस लाख दो हजार चार सौ साठ रुपये) मात्र
12	सारण	2500	1200	500	323	4361	3375600	20253600	8405244	2734236	₹ 1,11,39,480.00 (एक करोड़ ग्यारह लाख उनचालीस हजार चार सौ अस्सी रुपये) मात्र
13	सिवान	2500	1200	500	293	3793	2980600	17883600	7421694	2414286	₹ 98,35,980.00 (अन्धानवे लाख पैतीस हजार नौ सौ अस्सी रुपये) मात्र
14	गोपालगंज	2500	1200	500	234	2943	2337300	14023800	5819877	1893213	₹ 77,13,090.00 (सतहत्तर लाख तेरह हजार नब्बे रुपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	2500	1200	500	385	4966	3907500	23445000	9729675	3165075	₹ 1,28,94,750.00 (एक करोड़ अट्ठाईस लाख चौरानवे हजार सात सौ पचास रुपये) मात्र
16	वैशाली	2500	1200	500	288	3513	2823100	16938600	7029519	2286711	₹ 93,16,230.00 (तिरानवे लाख सोलह हजार दो सौ तीस रुपये) मात्र
17	पू० चम्पारण	2500	1200	500	405	5281	4139000	24834000	10306110	3352590	₹ 1,36,58,700.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख अन्धान हजार सात सौ रुपये) मात्र
18	प० चम्पारण	2500	1200	500	315	3882	3106500	18639000	7735185	2516265	₹ 1,02,51,450.00 (एक करोड़ दो लाख एकावन हजार चार सौ पचास रुपये) मात्र
19	सीतामढ़ी	2500	1200	500	273	3563	2791600	16749600	6951084	2261196	₹ 92,12,280.00 (ब्यान्वे लाख बारह हजार दो सौ अस्सी रुपये) मात्र
20	शिवहर	2500	1200	500	52	694	543100	3258600	2704638	439911	₹ 31,44,549.00 (एकतीस लाख चौवालीस हजार पाँच सौ उनचास रुपये) मात्र
21	भागलपुर	2500	1200	500	242	2884	2337400	14024400	5820126	1893294	₹ 77,13,420.00 (सतहत्तर लाख तेरह हजार चार सौ बीस रुपये) मात्र
22	बाँका	2500	1200	500	185	2295	1832000	10992000	9123360	1483920	₹ 1,06,07,280.00 (एक करोड़ छह लाख सात हजार दो सौ अस्सी रुपये) मात्र

क्र०	ग्राम	मुखिया हेतु मासिक राशि	उप-मुखिया हेतु मासिक राशि	सदस्य हेतु मासिक राशि	ग्राम पंचायत की संख्या	सदस्य की संख्या	कुल मासिक राशि	छह माह के लिए आवश्यक राशि	सामान्य घटक	अनुसूचित जाति विशेष घटक	कुल आवंटित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	मधुबनी	2500	1200	500	399	5125	4038800	24232800	10056612	3274428	₹ 1,33,28,040.00	(एक करोड़ तीस लाख अठ्ठाईस हजार चालीस रुपये) मात्र
24	समस्तीपुर	2500	1200	500	381	4831	3825200	22951200	9524748	3098412	₹ 1,26,23,160.00	(एक करोड़ छब्बीस लाख तेईस हजार एक सौ साठ रुपये) मात्र
25	दरभंगा	2500	1200	500	324	4246	3321800	19930800	8271282	2690658	₹ 1,09,61,940.00	(एक करोड़ नौ लाख एकसठ हजार नौ सौ चालीस रुपये) मात्र
26	सहरसा	2500	1200	500	151	1749	1433200	8599200	7137336	1160892	₹ 82,98,228.00	(बेरासी लाख अन्धानवे हजार दो सौ अठ्ठाईस रुपये) मात्र
27	मधेपुरा	2500	1200	500	170	2072	1665000	9990000	8291700	1348650	₹ 96,40,350.00	(छियानवे लाख चालीस हजार तीन सौ पचास रुपये) मात्र
28	सुपौल	2500	1200	500	181	2348	1843700	11062200	9181626	1493397	₹ 1,06,75,023.00	(एक करोड़ छह लाख पधहत्तर हजार तेईस रुपये) मात्र
29	पूर्णिया	2500	1200	500	246	3180	2500200	15001200	6225498	2025162	₹ 82,50,660.00	(बेरासी लाख पचास हजार छह सौ साठ रुपये) मात्र
30	अररिया	2500	1200	500	218	2774	2193600	13161600	10924128	1776816	₹ 1,27,00,944.00	(एक करोड़ सत्ताईस लाख नौ सौ चौवालीस रुपये) मात्र
31	किशनगंज	2500	1200	500	126	1643	1287700	7726200	6412746	1043037	₹ 74,55,783.00	(चौहत्तर लाख पचपन हजार सात सौ तेरासी रुपये) मात्र
32	कटिहार	2500	1200	500	238	3038	2399600	14397600	5975004	1943676	₹ 79,18,680.00	(उनासी लाख अठारह हजार छह सौ अस्सी रुपये) मात्र
33	मुंगेर	2500	1200	500	101	1265	1006200	6037200	5010876	815022	₹ 58,25,898.00	(अन्धानव लाख पच्चीस हजार आठ सौ अन्धानवे रुपये) मात्र
34	जमुई	2500	1200	500	153	1810	1471100	8826600	7326078	1191591	₹ 85,17,669.00	(पचासी लाख सतरह हजार षष्ठ सौ उनहत्तर रुपये) मात्र
35	बेगूसराय	2500	1200	500	229	3041	2367800	14206800	5895822	1917918	₹ 78,13,740.00	(अटहत्तर लाख तेरह हजार सात सौ चालीस रुपये) मात्र
36	खगड़िया	2500	1200	500	129	1730	1342300	8053800	6684654	1087263	₹ 77,71,917.00	(सतहत्तर लाख एकहत्तर हजार नौ सौ सतरह रुपये) मात्र
37	लखीसराय	2500	1200	500	80	1035	813500	4881000	4051230	658935	₹ 47,10,165.00	(सैतालीस लाख दस हजार एक सौ पैसा रुपये) मात्र
38	शेखपुरा	2500	1200	500	54	658	528800	3172800	2633424	428328	₹ 30,61,752.00	(तीस लाख एकसठ हजार सात सौ बावन रुपये) मात्र
कुल राशि		95000	45600	19000	8398	106659	84402100	506412600	273731542	68164767	₹ 34,18,96,309.00	(चौतीस करोड़ अठारह लाख छियानवे हजार तीन सौ नौ रुपये) मात्र


 15.3.16
 (राम प्रकाश सिंह)
 अनुश्रवण पदाधिकारी

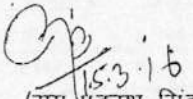
23mm

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
विवरण IV

वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच एवं सदस्यों को नियत भत्ता मद में स्वीकृत राशि के आलोक में माह अक्टूबर, 2015 से राशि की निकासी हेतु आवंटित की जा रही राशि (₹ में)

क्र०	जिला	सापंच हेतु मासिक राशि	उप-सरपंच हेतु मासिक राशि	सदस्य हेतु मासिक राशि	ग्राम कचहरी की संख्या	सदस्य की संख्या	कुल मासिक राशि	छह माह के लिए आवश्यक राशि	सामान्य घटक	अनुसूचित जाति विशेष घटक	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बक्सर	2500	1200	500	142	1838	1444400	8666400	7193112	1169964	₹ 83,63,076.00 (तिरसी लाख तिरसठ हजार छिहत्तर रुपये) मात्र
2	रोहतास	2500	1200	500	246	2868	2344200	14065200	5837058	1898802	₹ 77,35,860.00 (सतहत्तर लाख पैंतीस हजार आठ सौ साठ रुपये) मात्र
3	भोजपुर	2500	1200	500	228	3172	2429600	14577600	9208384	1967976	₹ 1,11,76,360.00 (एक करोड़ ग्यारह लाख छिहत्तर हजार तीन सौ साठ रुपये) मात्र
4	नालन्दा	2500	1200	500	249	3107	2474800	14848800	6162252	2004588	₹ 81,66,840.00 (एकाली लाख छियासठ हजार आठ सौ घालीस रुपये) मात्र
5	पटना	2500	1200	500	327	4162	3290900	19745400	8194341	2665629	₹ 1,08,59,970.00 (एक करोड़ आठ लाख उनसठ हजार नौ सौ सत्तर रुपये) मात्र
6	कैमूर	2500	1200	500	149	1528	1315300	7891800	6550194	1065393	₹ 76,15,587.00 (छिहत्तर लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ सत्तासी रुपये) मात्र
7	गया	2500	1200	500	332	4241	3348900	20093400	8338761	2511675	₹ 1,08,50,436.00 (एक करोड़ आठ लाख पचास हजार चार सौ छत्तीस रुपये) मात्र
8	नवादा	2500	1200	500	187	2340	1861900	11171400	9272262	1508139	₹ 1,07,80,401.00 (एक करोड़ सात लाख अस्सी हजार चार सौ एक रुपये) मात्र
9	औरंगाबाद	2500	1200	500	204	2633	2071300	12427800	10315074	1677753	₹ 1,19,92,827.00 (एक करोड़ उन्नीस लाख ब्यान्बे हजार आठ सौ सत्ताईस रुपये) मात्र
10	जहानाबाद	2500	1200	500	93	1181	934600	5607600	4654308	757026	₹ 54,11,334.00 (चौवन लाख ग्यारह हजार तीन सौ चौतीस रुपये) मात्र
11	अरवल	2500	1200	500	65	867	674000	4044000	3356520	545940	₹ 39,02,460.00 (उनघालीस लाख दो हजार चार सौ साठ रुपये) मात्र
12	सारण	2500	1200	500	323	4361	3375600	20253600	8405244	2734236	₹ 1,11,39,480.00 (एक करोड़ ग्यारह लाख उनघालीस हजार चार सौ अस्सी रुपये) मात्र
13	सिवान	2500	1200	500	293	3793	2980600	17883600	7421694	2414286	₹ 98,35,980.00 (अन्तानबे लाख पैंतीस हजार नौ सौ अस्सी रुपये) मात्र
14	मोधानगज	2500	1200	500	234	2943	2337300	14023800	5819877	1893213	₹ 77,13,090.00 (सतहत्तर लाख तेरह हजार नब्बे रुपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	2500	1200	500	385	4966	3907500	23445000	9729675	3165075	₹ 1,28,94,750.00 (एक करोड़ अट्ठाईस लाख चौरानबे हजार सात सौ पचास रुपये) मात्र
16	दशरथ	2500	1200	500	288	3515	2823100	16938600	7029519	2286711	₹ 93,16,230.00 (तिरानबे लाख सोलह हजार दो सौ तीस रुपये) मात्र
17	पूँठ सभारण	2500	1200	500	405	5281	4139000	24834000	10306110	3352590	₹ 1,36,58,700.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख अन्तानवन हजार सात सौ रुपये) मात्र
18	पठ सभारण	2500	1200	500	315	3882	3106500	18639000	7735185	2516265	₹ 1,02,51,450.00 (एक करोड़ दो लाख एकावन हजार चार सौ पचास रुपये) मात्र
19	सीतामढ़ी	2500	1200	500	273	3563	2791600	16749600	6951084	2261196	₹ 92,12,280.00 (ब्यान्बे लाख बारह हजार दो सौ अस्सी रुपये) मात्र
20	शिवहर	2500	1200	500	55	694	543100	3258600	2704638	439911	₹ 31,44,549.00 (एकतीस लाख चौवालीस हजार पाँच सौ उनघास रुपये) मात्र
21	भागलपुर	2500	1200	500	242	2884	2337400	14024400	5820126	1893294	₹ 77,13,420.00 (सतहत्तर लाख तेरह हजार चार सौ बीस रुपये) मात्र
22	बोकारो	2500	1200	500	185	2295	1832000	10992000	9123360	1483920	₹ 1,06,07,280.00 (एक करोड़ छह लाख सात हजार दो सौ अस्सी रुपये) मात्र

क्र.सं.	ग्राम	गर्भव हेतु मासिक राशि	उप-सरपंच हेतु मासिक राशि	सदस्य हेतु मासिक राशि	ग्राम कचहरी की संख्या	सदस्य की संख्या	कुल मासिक राशि	छह माह के लिए आवश्यक राशि	सामान्य घटक	अनुरूचित जाति विशेष घटक	कुल आवंटित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	मधुबनी	2500	1200	500	390	5125	4038800	24232800	10056612	3271428	₹ 1,33,28,040.00	(एक करोड़ तैतीस लाख अट्ठाईस हजार चालीस रुपये) मात्र
24	समस्तीपुर	2500	1200	500	381	4831	3825200	22951200	9524748	3098412	₹ 1,26,23,160.00	(एक करोड़ छब्बीस लाख तैतीस हजार एक सौ साठ रुपये) मात्र
25	दरगंगा	2500	1200	500	327	4246	3321800	19930800	8271282	2690658	₹ 1,09,61,940.00	(एक करोड़ नौ लाख एकसठ हजार नौ सौ चालीस रुपये) मात्र
26	सहरसा	2500	1200	500	151	1749	1433200	8599200	7137336	1160892	₹ 82,98,228.00	(बेरासी लाख अन्दाजबे हजार दो सौ अट्ठाईस रुपये) मात्र
27	मधेपुरा	2500	1200	500	176	2072	1665000	9990000	8291700	1348650	₹ 96,40,350.00	(छियानबे लाख चालीस हजार तीन सौ पचास रुपये) मात्र
28	सुपौल	2500	1200	500	181	2348	1843700	11062200	9181626	1493397	₹ 1,06,75,023.00	(एक करोड़ छह लाख पचास हजार तैतीस रुपये) मात्र
29	पूर्णिया	2500	1200	500	246	3180	2500200	15001200	6225498	2025162	₹ 82,50,660.00	(बेरासी लाख पचास हजार एक सौ साठ रुपये) मात्र
30	अररिया	2500	1200	500	218	2774	2193600	13161600	10924128	1776816	₹ 1,27,00,944.00	(एक करोड़ सत्ताईस लाख नौ सौ चौवालीस रुपये) मात्र
31	किशनगंज	2500	1200	500	126	1643	1287700	7726200	6412746	1043037	₹ 74,55,783.00	(चौहत्तर लाख पचास हजार सात सौ तेरासी रुपये) मात्र
32	कटिहार	2500	1200	500	233	3038	2399600	14397600	5975004	1943676	₹ 79,18,680.00	(उनसी लाख अठ्ठाईस हजार छह सौ अस्सी रुपये) मात्र
33	मुंगेर	2500	1200	500	101	1265	1006200	6037200	5010876	815022	₹ 58,25,898.00	(अन्दाजबे लाख पच्चीस हजार आठ सौ अन्दाजबे रुपये) मात्र
34	जगुई	2500	1200	500	153	1810	1471100	8826600	7326078	1191591	₹ 85,17,669.00	(पचासी लाख सत्तर हजार छह सौ उनहत्तर रुपये) मात्र
35	बेगुसराय	2500	1200	500	227	3041	2367800	14206800	5895822	1917918	₹ 78,13,740.00	(अठहत्तर लाख तेरह हजार आठ सौ चालीस रुपये) मात्र
36	खगड़िया	2500	1200	500	129	1730	1342300	8053800	6684654	1087263	₹ 77,71,917.00	(सत्तरहत्तर लाख एकहत्तर हजार नौ सौ सत्तर रुपये) मात्र
37	लखीसराय	2500	1200	500	80	1035	813500	4881000	4051230	658935	₹ 47,10,165.00	(सैतालीस लाख दस हजार एक सौ पैसठ रुपये) मात्र
38	शेखपुरा	2500	1200	500	54	658	528800	3172800	2633424	428328	₹ 30,61,752.00	(तीस लाख एकसठ हजार सात सौ बावन रुपये) मात्र
कुल राशि		95000	45600	19000	8338	106659	84402100	506412600	273731542	68164767	₹ 34,18,96,309.00	(चौतीस करोड़ अठारह लाख छियानबे हजार तीन सौ नौ रुपये) मात्र


 (राम प्रकाश सिंह)
 अनुश्रवण पदाधिकारी



अत्यावश्यक
स्पीड पोस्ट/ई-मेल

पत्रांक: 5प/राज्य स्कीम-02-12/2017/78(अ०)/ पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ओम प्रकाश यादव,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 26.03.2018

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या 05 दिनांक 31.07.2017 द्वारा स्वीकृत कुल ₹3,00,00,00,000.00 (तीन अरब रुपये) मात्र की राशि के विरुद्ध अवशेष कुल ₹71,08,89,600.00 (इकहत्तर करोड़ आठ लाख नवासी हजार छह सौ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 05 दिनांक 31.07.2017 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच को वित्तीय वर्ष 2017-18 में समेकित नियत (मासिक) भत्ता भुगतान हेतु उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न जिलावार विवरणी-1 के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को ₹4,26,12,000.00 (चार करोड़ छब्बीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र की राशि, विवरणी-2 के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख तथा सदस्यों को ₹22,08,48,000.00 (बाईस करोड़ आठ लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र की राशि, विवरणी-3 के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया तथा सदस्यों को ₹1,01,28,25,200.00 (एक अरब एक करोड़ अट्ठाईस लाख पच्चीस हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि, तथा विवरणी-4 के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच, तथा सदस्यों (पंचों) को ₹1,01,28,25,200.00 (एक अरब एक करोड़ अट्ठाईस लाख पच्चीस हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि, कुल मिलाकर ₹2,28,91,10,400.00 (दो अरब अट्ठाईस करोड़ इक्यानवे लाख दस हजार चार सौ रुपये) मात्र एवं पूर्व वर्षों के बकाया भत्ता भुगतान हेतु ₹71,08,89,600.00 (इकहत्तर करोड़ आठ लाख नवासी हजार छह सौ रुपये रुपये) मात्र की राशि अर्थात् कुल ₹3,00,00,00,000.00 (तीन अरब रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति इस आधार पर दी गई है कि योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही राशि आवंटित की जायेगी।

2. विभागीय आवंटनादेश संख्या 19(आ०) दिनांक 09.08.2017 द्वारा कुल ₹2,28,91,10,400.00 (दो अरब अट्ठाईस करोड़ इक्यानवे लाख दस हजार चार सौ रुपये) मात्र राशि पूर्व में आवंटित की गई है।

3. उक्त के आलोक में अवशेष कुल ₹71,08,89,600.00 (इकहत्तर करोड़ आठ लाख नवासी हजार छह सौ रुपये) मात्र की राशि को वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्व वर्षों के बकाया भत्ता भुगतान एवं नियत भत्ता की राशि की निकासी हेतु इस आवंटनादेश के साथ संलग्न विवरणी-1 के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु

[Signature]

[Signature]

[Signature]

जिलावार ₹1,33,88,000.00 (एक करोड़ तैतीस लाख अठ्ठासी हजार रुपये) मात्र, विवरणी-II के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹6,83,52,000.00 (छह करोड़ तिरासी लाख बावन हजार रुपये) मात्र, विवरणी-III के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹31,45,74,800.00 (इकतीस करोड़ पैंतालीस लाख चौहत्तर हजार आठ सौ रुपये) मात्र एवं विवरणी-IV के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹31,45,74,800.00 (इकतीस करोड़ पैंतालीस लाख चौहत्तर हजार आठ सौ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

4. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं ग्राम कचहरी के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग राज्यादेश संख्या-05 दिनांक 31.07.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

5. इस आवंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए तथा विगत वर्षों के बकाया भुगतान के लिए पूर्व निर्धारित दर से किया जायेगा।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 के मांग संख्या-16 के अन्तर्गत राज्य स्कीम में उपबंधित निम्नांकित बजट शीर्षों के अन्तर्गत की जायेगी:-

जिला परिषदों के लिए -

(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष-0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001960106 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष-0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890106 है।

पंचायत समितियों के लिए -

(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0103-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष-0103.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001970103 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0105-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890105 है।

86

4

लगाना - - -

ग्राम पंचायतों के लिए -

(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0105-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष-0105.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001980105 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0103-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय- शीर्ष 0103.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890103 है।

ग्राम कचहरियों के लिए -

(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001980106 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0104.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890104 है।

8. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

12. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

13. आवंटित राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

14. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

15. इस आवंटन आदेश तथा इसके साथ विवरणी के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

16. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(ओम प्रकाश यादव)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-12/2017/78(A115)/ पं०रा० पटना, दिनांक 26.03.2018...
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी-जिला
कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा 08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(ओम प्रकाश यादव)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-12/2017/78(A115)/ पं०रा० पटना, दिनांक 26.03.2018...
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(ओम प्रकाश यादव)

संयुक्त सचिव

26/3

विवरणी-I

वित्तीय वर्ष 2017-18 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जिला परिषद (जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	जिला परिषदों के लिए		कुल राशि (रूपये में)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001960106 के विषय शीर्ष-0106. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890106 के विषय शीर्ष-0106. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	(3+4)	
1	2	3	4	5	
1	बक्सर	152270.00	25387.00	177657.00	(एक लाख सतहत्तर हजार छह सौ सनतावन रूपये) मात्र
2	रोहतास	226133.00	158721.00	384854.00	(तीन लाख चौरासी हजार आठ सौ चौवन रूपये) मात्र
3	भोजपुर	214769.00	107027.00	321796.00	(तीन लाख एककीस हजार सात सौ छियानवे रूपये) मात्र
4	नलन्दा	231814.00	38649.00	270463.00	(दो लाख सत्तर हजार चार सौ तिरसठ रूपये) मात्र
5	पटना	299995.00	50016.00	350011.00	(तीन लाख पचास हजार ग्यारह रूपये) मात्र
6	कैमूर	647199.00	90230.00	737429.00	(सात लाख सैंतीस हजार चार सौ उनतीस रूपये) मात्र
7	गया	962856.00	185542.00	1148398.00	(ग्यारह लाख अड़तालीस हजार तीन सौ अठानवे रूपये) मात्र
8	नवादा	180679.00	30123.00	210802.00	(दो लाख दस हजार आठ सौ दो रूपये) मात्र
9	औरंगाबाद	197724.00	213145.00	410869.00	(चार लाख दस हजार आठ सौ उनहत्तर रूपये) मात्र
10	जहानाबाद	112498.00	18756.00	131254.00	(एक लाख एकतीस हजार दो सौ चौवन रूपये) मात्र
11	अरवल	89771.00	14967.00	104738.00	(एक लाख चार हजार सात सौ अड़तीस रूपये) मात्र
12	सारण	305677.00	50963.00	356640.00	(तीन लाख छप्पन हजार छह सौ चालीस रूपये) मात्र
13	सिवान	271586.00	45280.00	316866.00	(तीन लाख सोलह हजार आठ सौ छियासठ रूपये) मात्र
14	गोपालगंज	220451.00	36754.00	257205.00	(दो लाख सनतावन हजार दो सौ पाँच रूपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	345449.00	57594.00	403043.00	(चार लाख तीन हजार तैंतालीस रूपये) मात्र
16	वैशाली	271586.00	45280.00	316866.00	(तीन लाख सोलह हजार आठ सौ छियासठ रूपये) मात्र

क्र०	जिला	जिला परिषदों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001960106 के विषय शीर्ष-0106. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890106 के विषय शीर्ष-0106. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
17	पू० चम्पारण	362494.00	60436.00	422930.00	(चार लाख बाईस हजार नौ सौ तीस रूपये) मात्र
18	प० चम्पारण	277268.00	46227.00	323495.00	(तीन लाख तेईस हजार चार सौ पनचानवे रूपये) मात्र
19	सीतामढ़ी	254541.00	42438.00	296979.00	(दो लाख छियानवे हजार नौ सौ उनासी रूपये) मात्र
20	शिवहर	78408.00	13072.00	91480.00	(एकानवे हजार चार सौ अस्सी रूपये) मात्र
21	भागलपुर	214769.00	35807.00	250576.00	(दो लाख पचास हजार पाँच सौ छिहत्तर रूपये) मात्र
22	बाँका	180679.00	30123.00	210802.00	(दो लाख दस हजार आठ सौ दो रूपये) मात्र
23	मधुबनी	356812.00	166249.00	523061.00	(पाँच लाख तेईस हजार एकसठ रूपये) मात्र
24	समस्तीपुर	328404.00	54752.00	383156.00	(तीन लाख तेरासी हजार एक सौ छप्पन रूपये) मात्र
25	दरभंगा	305677.00	50963.00	356640.00	(तीन लाख छप्पन हजार छह सौ चालीस रूपये) मात्र
26	सहरसा	157952.00	26334.00	184286.00	(एक लाख चौरासी हजार दो सौ छियासी रूपये) मात्र
27	मधेपुरा	169315.00	28229.00	197544.00	(एक लाख सनतानवे हजार पाँच सौ चौवालीस रूपये) मात्र
28	सुपौल	180679.00	30123.00	210802.00	(दो लाख दस हजार आठ सौ दो रूपये) मात्र
29	पूर्णियाँ	231815.00	38649.00	270464.00	(दो लाख सत्तर हजार चार सौ चौसठ रूपये) मात्र
30	अररिया	1125408.00	34859.00	1160267.00	(ग्यारह लाख साठ हजार दो सौ सरसठ रूपये) मात्र
31	किशनगंज	758427.00	149972.00	908399.00	(नौ लाख आठ हजार तीन सौ निन्यानवे रूपये) मात्र
32	कटिहार	226133.00	105361.00	331494.00	(तीन लाख एकतीस हजार चार सौ चौरानवे रूपये) मात्र
33	मुंगेर	118180.00	19703.00	137883.00	(एक लाख सैंतीस हजार आठ सौ तेरासी रूपये) मात्र
34	जमुई	152270.00	25387.00	177657.00	(एक लाख सतहत्तर हजार छह सौ सनतावन रूपये) मात्र
35	बेगुसराय	237496.00	39596.00	277092.00	(दो लाख सतहत्तर हजार बेयानवे रूपये) मात्र
36	खगड़िया	469313.00	95313.00	564626.00	(पाँच लाख चौसठ हजार छह सौ छब्बीस रूपये) मात्र
37	लखीसराय	101135.00	16861.00	117996.00	(एक लाख सतरह हजार नौ सौ छियानवे रूपये) मात्र
38	रोखपुरा	78408.00	13072.00	91480.00	(एकानवे हजार चार सौ अस्सी रूपये) मात्र
	कुल राशि	11096040.00	2291960.00	13388000.00	(एक करोड़ तैंतीस लाख अट्ठासी हजार रूपये) मात्र

विवरणी-II

वित्तीय वर्ष 2017-18 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत पंचायत समिति (पंचायत समिति प्रमुख/उप-प्रमुख/पंचायत समिति सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	पंचायत समितियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001970103 के विषय शीर्ष-0103. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890105 के विषय शीर्ष-0105. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
1	बक्सर	733159.00	164539.00	897698.00	(आठ लाख सनतानवे हजार छह सौ अनठानवे रूपये) मात्र
2	रोहतास	1233331.00	276790.00	1510121.00	(पन्द्रह लाख दस हजार एक सौ एकतीस रूपये) मात्र
3	भोजपुर	1051645.00	236015.00	1287660.00	(बारह लाख सत्तासी हजार छह सौ साठ रूपये) मात्र
4	नालन्दा	1286769.00	288783.00	1575552.00	(पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ बावन रूपये) मात्र
5	पटना	1588155.00	356422.00	1944577.00	(उन्नीस लाख चौवालीस हजार पाँच सौ सत्तहत्तर रूपये) मात्र
6	कैमूर	1914034.00	181511.00	2095545.00	(बीस लाख पनचानवे हजार पाँच सौ पैंतालीस रूपये) मात्र
7	गया	7349673.00	1521852.00	8871525.00	(अठ्ठासी लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ पच्चीस रूपये) मात्र
8	नवादा	931945.00	209152.00	1141097.00	(ग्यारह लाख एकतालीस हजार सत्तानवे रूपये) मात्र
9	औरंगाबाद	914845.00	205314.00	1120159.00	(ग्यारह लाख बीस हजार एक सौ उनसठ रूपये) मात्र
10	जहानाबाद	468110.00	105056.00	573166.00	(पाँच लाख तिहत्तर हजार एक सौ छियासठ रूपये) मात्र
11	अरवल	327036.00	73395.00	400431.00	(चार लाख चार सौ एकतीस रूपये) मात्र
12	सौरण	1549680.00	347787.00	1897467.00	(अठारह लाख सनतानवे हजार चार सौ सड़सठ रूपये) मात्र
13	सिवान	1323106.00	296938.00	1620044.00	(सोलह लाख बीस हजार चौवालीस रूपये) मात्र
14	गोपालगंज	1073020.00	240813.00	1313833.00	(तेरह लाख तेरह हजार आठ सौ तैंतीस रूपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	1575330.00	353543.00	1928873.00	(उन्नीस लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ तिहत्तर रूपये) मात्र
16	वैशाली	1288906.00	289263.00	1578169.00	(पन्द्रह लाख अठहत्तर हजार एक सौ, उनहत्तर रूपये) मात्र

क्र०	जिला	पंचायत समितियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001970103 के विषय शीर्ष-0103. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890105 के विषय शीर्ष-0105. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
17	पूँछ चम्पारण	1876716.00	421182.00	2297898.00	(बाईस लाख सनतानवे हजार आठ सौ अनठानवे रूपये) मात्र
18	पूँछ चम्पारण	1393643.00	312768.00	1706411.00	(सतरह लाख छह हजार चार सौ ग्यारह रूपये) मात्र
19	शीतामढ़ी	1293181.00	290222.00	1583403.00	(पन्द्रह लाख तेरासी हजार चार सौ तीन रूपये) मात्र
20	शिवहर	292836.00	65720.00	358556.00	(तीन लाख अनठानवे हजार पाँच सौ छप्पन रूपये) मात्र
21	भागलपुर	1115769.00	250407.00	1366176.00	(तेरह लाख छियासठ हजार एक सौ छिहत्तर रूपये) मात्र
22	बाँका	840033.00	188525.00	1028558.00	(दस लाख अट्ठाईस हजार पाँच सौ अनठानवे रूपये) मात्र
23	मधुबनी	3144321.00	819477.00	3963798.00	(उनचालीस लाख तिरसठ हजार सात सौ अष्टानवे रूपये) मात्र
24	रामस्तीपुर	1671517.00	375130.00	2046647.00	(बीस लाख छियालीस हजार छह सौ सैतालीस रूपये) मात्र
25	दरभंगा	1468455.00	329558.00	1798013.00	(सतरह लाख अनठानवे हजार तेरह रूपये) मात्र
26	सहरसा	718196.00	161181.00	879377.00	(आठ लाख उनासी हजार तीन सौ सतहत्तर रूपये) मात्र
27	मधेपुरा	842171.00	189004.00	1031175.00	(दस लाख एकतीस हजार एक सौ पचहत्तर रूपये) मात्र
28	सुपौल	850721.00	190923.00	1041644.00	(दस लाख एकतालीस हजार छह सौ चौवालीस रूपये) मात्र
29	पूर्णियाँ	1117907.00	250886.00	1368793.00	(तेरह लाख अड़सठ हजार सात सौ तिरानवे रूपये) मात्र
30	अररिया	4383745.00	201477.00	4585222.00	(पैंतालीस लाख पचासी हजार दो सौ बाईस रूपये) मात्र
31	किशनगंज	3230029.00	672762.00	3902791.00	(उनचालीस लाख दो हजार सात सौ एकांगवे रूपये) मात्र
32	कटिहार	2035454.00	530483.00	2565937.00	(पच्चीस लाख पैसठ हजार नौ सौ सैंतीस रूपये) मात्र
33	मुंगेर	540785.00	121366.00	662151.00	(छह लाख बासठ हजार एक सौ एकावन रूपये) मात्र
34	जमुई	690409.00	154945.00	845354.00	(आठ लाख पैंतालीस हजार तीन सौ चौवन रूपये) मात्र
35	बेगुसराय	1203406.00	270075.00	1473481.00	(चौदह लाख तिहत्तर हजार चार सौ एकासी रूपये) मात्र
36	खगडिया	2625726.00	543720.00	3169446.00	(एकतीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ छियालीस रूपये) मात्र
37	लखीसराय	436048.00	97860.00	533908.00	(पाँच लाख तैंतीस हजार नौ सौ आठ रूपये) मात्र
38	शेखपुरा	316348.00	70996.00	387344.00	(तीन लाख सतासी हजार तीन सौ चौवालीस रूपये) मात्र
	कुल राशि	56696160.00	11655840.00	68352000.00	(छह करोड़ तेरासी लाख बावन हजार रूपये) मात्र

विवरणी-III

वित्तीय वर्ष 2017-18 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया/ग्राम पंचायत सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	ग्राम पंचायतों के लिए		कुल राशि (रूपये में)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980105 के विषय शीर्ष-0105. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890103 के विषय शीर्ष-0103. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	(3+4)	
1	2	3	4	5	
1	बक्सर	3161292.00	742239.00	3903531.00	(उनचासी लाख तीन हजार पाँच सौ एकतीस रुपये) मात्र
2	रोहतास	5108756.00	1199484.00	6308240.00	(तिरसठ लाख आठ हजार दो सौ चालीस रुपये) मात्र
3	भोजपुर	5317553.00	1248508.00	6566061.00	(पैंसठ लाख छियासठ हजार एकसठ रुपये) मात्र
4	नालन्दा	5405537.00	1269165.00	6674702.00	(छियासठ लाख चौहत्तर हजार सात सौ दो रुपये) मात्र
5	पटना	7131510.00	1674406.00	8805916.00	(अठ्ठासी लाख पाँच हजार नौ सौ सोलह रुपये) मात्र
6	कैमूर	11334389.00	1351778.00	12686167.00	(एक करोड़ छब्बीस लाख छियासी हजार एक सौ सरसठ रुपये) मात्र
7	गया	30947346.00	6637637.00	37584983.00	(तीन करोड़ पचत्तर लाख चौरासी हजार नौ सौ तिरासी रुपये) मात्र
8	नवादा	4075055.00	956781.00	5031836.00	(पचास लाख एकतीस हजार आठ सौ छत्तीस रुपये) मात्र
9	औरंगाबाद	4533359.00	1064387.00	5597746.00	(पचपन लाख सनतानवे हजार सात सौ छियालीस रुपये) मात्र
10	जहानाबाद	2045516.00	480266.00	2525782.00	(पच्चीस लाख पच्चीस हजार सात सौ बेयासी रुपये) मात्र
11	अरवल	1404021.00	329650.00	1733671.00	(सत्तरह लाख तैतीस हजार छह सौ एकहत्तर रुपये) मात्र
12	सारण	7274210.00	1707911.00	8982121.00	(नवासी लाख बेरासी हजार एक सौ इक्कीस रुपये) मात्र
13	सिवान	6523502.00	1531652.00	8055154.00	(अस्सी लाख पचपन हजार एक सौ चौवन रुपये) मात्र
14	गोपालगंज	5115541.00	1201077.00	6316618.00	(तिरसठ लाख सोलह हजार छह सौ अठारह रुपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	8486505.00	1992545.00	10479050.00	(एक करोड़ चार लाख उनासी हजार पचास रुपये) मात्र
16	वैशाली	6368107.00	1495167.00	7863274.00	(अठहत्तर लाख तिरसठ हजार दो सौ चौहत्तर रुपये) मात्र

क्र०	जिला	ग्राम पंचायतों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980105 के विषय शीर्ष-0105. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890103 के विषय शीर्ष-0103. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
17	पू० चम्पारण	9004122.00	2114076.00	11118198.00	(एक करोड़ ग्यारह लाख अठारह हजार एक सौ अठानवे रूपये) मात्र
18	प० चम्पारण	6799053.00	1596349.00	8395402.00	(तेरासी लाख पनचानवे हजार चार सौ दो रूपये) मात्र
19	सीतामढ़ी	6109846.00	1434530.00	7544376.00	(पचहत्तर लाख चौवालीस हजार तीन सौ छियहत्तर रूपये) मात्र
20	शिवहर	1188658.00	279085.00	1467743.00	(चौदह लाख सड़सठ हजार सात सौ तैंतालीस रूपये) मात्र
21	भागलपुर	5115760.00	1201128.00	6316888.00	(तिरसठ लाख सोलह हजार आठ सौ अट्ठासी रूपये) मात्र
22	बांका	4009614.00	941417.00	4951031.00	(उनचास लाख एकावन हजार एकतीस रूपये) मात्र
23	मधुबनी	8839535.00	2075433.00	10914968.00	(एक करोड़ नौ लाख चौदह हजार नौ सौ अड़सठ रूपये) मात्र
24	समस्तीपुर	8372039.00	1965670.00	10337709.00	(एक करोड़ तीन लाख सैंतीस हजार सात सौ नौ रूपये) मात्र
25	दरभंगा	7186007.00	1687202.00	8873209.00	(अट्ठासी लाख तिहत्तर हजार दो सौ नौ रूपये) मात्र
26	सहरसा	3327192.00	781191.00	4108383.00	(एकतालीस लाख आठ हजार तीन सौ तैंरासी रूपये) मात्र
27	मधेपुरा	3644109.00	855600.00	4499709.00	(चौवालीस लाख निन्यानवे हजार सात सौ नौ रूपये) मात्र
28	सुपौल	4035221.00	947429.00	4982650.00	(उनचास लाख बेयासी हजार छह सौ पचास रूपये) मात्र
29	पूणियाँ	5393281.00	1266288.00	6659569.00	(छियासठ लाख उनसठ हजार पाँच सौ उनहत्तर रूपये) मात्र
30	अररिया	26646287.00	1127233.00	27773520.00	(दो करोड़ सतहत्तर लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ बीस रूपये) मात्र
31	किशनगंज	15643822.00	3288623.00	18932445.00	(एक करोड़ नवासी लाख बत्तीस हजार चार सौ पैतालीस रूपये) मात्र
32	कटिहार	5238762.00	1230008.00	6468770.00	(चौंसठ लाख अड़सठ हजार सात सौ सत्तर रूपये) मात्र
33	मुंगेर	2202224.00	517060.00	2719284.00	(सताईस लाख उन्नीस हजार दो सौ चौरासी रूपये) मात्र
34	जमुई	3219729.00	755960.00	3975689.00	(उनचालीस लाख पचहत्तर हजार छह सौ नवासी रूपये) मात्र
35	बेगुसराय	5197615.00	1220347.00	6417962.00	(चौंसठ लाख सतरह हजार नौ सौ बासठ रूपये) मात्र
36	खगड़िया	12712179.00	2662662.00	15374841.00	(एक करोड़ तिरपन लाख चौहत्तर हजार आठ सौ एकतालीस रूपये) मात्र
37	लखीसराय	1780470.00	418036.00	2198506.00	(एक्कीस लाख अनठानवे हजार पाँच सौ छह रूपये) मात्र
38	शेखपुरा	1157360.00	271736.00	1429096.00	(चौदह लाख उनतीस हजार छियानवे रूपये) मात्र
कुल राशि		261055084.00	53519716.00	314574800.00	(एकतीस करोड़ पैतालीस लाख चौहत्तर हजार आठ सौ रूपये) मात्र

विवरणी-IV

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिले के ग्राम कचहरी (ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच/पंच) के लिए बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों के लिए		कुल राशि (रुपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980106 के विषय शीर्ष-0106. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890104 के विषय शीर्ष-0104. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
1	बक्सर	13554154.00	2170494.00	15724648.00	(एक करोड़ सनतावन लाख चौबीस हजार छह सौ अड़तालीस रुपये)
2	रोहतास	4858230.00	825665.00	5683895.00	(छप्पन लाख तिरासी हजार आठ सौ पनचानवे रुपये) मात्र
3	भोजपुर	5056788.00	859411.00	5916199.00	(उनसठ लाख सोलह हजार एक सौ निन्यानवे रुपये) मात्र
4	नालन्दा	5140457.00	873630.00	6014087.00	(साठ लाख चौदह हजार सत्तासी रुपये) मात्र
5	पटना	6781791.00	1152578.00	7934369.00	(उनासी लाख चौतीस हजार तीन सौ उनहत्तर रुपये) मात्र
6	कैमूर	2918643.00	7364229.00	10282872.00	(एक करोड़ दो लाख ब्यासी हजार आठ सौ बहत्तर रुपये) मात्र
7	गया	6970150.00	1184590.00	8154740.00	(एकासी लाख चौवन हजार सात सौ चालीस रुपये) मात्र
8	नवादा	3875220.00	658601.00	4533821.00	(पैंतालीस लाख तैंतीस हजार आठ सौ एकवीस रुपये) मात्र
9	औरंगाबाद	4311049.00	732671.00	5043720.00	(पचास लाख तैंतालीस हजार सात सौ बीस रुपये) मात्र
10	जहानाबाद	1945207.00	330592.00	2275799.00	(बाईस लाख पचहत्तर हजार सात सौ निन्यानवे रुपये) मात्र
11	अरवल	1335170.00	226915.00	1562085.00	(पन्द्रह लाख बासठ हजार पचासी रुपये) मात्र
12	सारण	6917493.00	1175641.00	8093134.00	(अस्सी लाख तिरानवे हजार एक सौ चौतीस रुपये) मात्र
13	सिवान	6203598.00	1054313.00	7257911.00	(बहत्तर लाख सनतावन हजार नौ सौ ग्यारह रुपये) मात्र
14	गोपालगंज	4864682.00	826762.00	5691444.00	(छप्पन लाख एक्यानवे हजार चार सौ चौवालीस रुपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	8070339.00	1371569.00	9441908.00	(चौरानवे लाख एकतालीस हजार नौ सौ आठ रुपये) मात्र
16	वैशाली	6055824.00	1029199.00	7085023.00	(सत्तर लाख पचासी हजार तेईस रुपये) मात्र

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों के लिए		कुल राशि (रुपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980106 के विषय शीर्ष-0106. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890104 के विषय शीर्ष-0104. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
17	पू० चम्पारण	8562573.00	1455225.00	10017798.00	(एक करोड़ सतरह हजार सात सौ अनठानवें रुपये) मात्र
18	प० चम्पारण	6465637.00	1098847.00	7564484.00	(पचहत्तर लाख चौंसठ हजार चार सौ चौंरासी रुपये) मात्र
19	सीतामढ़ी	5810228.00	987459.00	6797687.00	(सड़सठ लाख सनतानवें हजार छह सौ सतासी रुपये) मात्र
20	शिवहर	1130368.00	192108.00	1322476.00	(तेरह लाख बाईस हजार चार सौ छिहत्तर रुपये) मात्र
21	भागलपुर	4864890.00	826797.00	5691687.00	(छप्पन लाख एकानवें हजार छह सौ सतासी रुपये) मात्र
22	बांका	3812988.00	648025.00	4461013.00	(चौवालीस लाख एकसठ हजार तेरह रुपये) मात्र
23	मधुबनी	82309234.00	16565420.00	98874654.00	(नौ करोड़ अठ्ठासी लाख चौहत्तर हजार छह सौ चौवन रुपये) मात्र
24	समस्तीपुर	7961486.00	1353070.00	9314556.00	(तेरानवें लाख चौदह हजार पाँच सौ छप्पन रुपये) मात्र
25	दरभंगा	6833616.00	1161386.00	7995002.00	(उनासी लाख पनचानवें हजार दो रुपये) मात्र
26	सहरसा	3164031.00	537733.00	3701764.00	(सैंतीस लाख एक हजार सात सौ चौंसठ रुपये) मात्र
27	मधेपुरा	3465407.00	588952.00	4054359.00	(चालीस लाख चौवन हजार तीन सौ उनसठ रुपये) मात्र
28	सुपौल	3837340.00	652163.00	4489503.00	(चौवालीस लाख नवासी हजार पाँच सौ तीन रुपये) मात्र
29	पूर्णिया	5128802.00	871650.00	6000452.00	(साठ लाख चार सौ बावन रुपये) मात्र
30	अररिया	4565595.00	775932.00	5341527.00	(तिरपन लाख एकतालीस हजार पाँच सौ सताईस रुपये) मात्र
31	किशनगंज	2680122.00	455492.00	3135614.00	(एकतीस लाख पैंतीस हजार छह सौ चौदह रुपये) मात्र
32	कटिहार	4981860.00	846677.00	5828537.00	(अनठावन लाख अठ्ठाईस हजार पाँच सौ सैंतीस रुपये) मात्र
33	मुंगेर	2094229.00	355918.00	2450147.00	(चौबीस लाख पचास हजार एक सौ सैंतालीस रुपये) मात्र
34	जमुई	3997626.00	520365.00	4517991.00	(पैंतालीस लाख सतरह हजार नौ सौ एक्यानवें रुपये) मात्र
35	वेगुसराय	4942731.00	840027.00	5782758.00	(सनतावन लाख बेयासी हजार सात सौ अनठावन रुपये) मात्र
36	खगड़िया	2793763.00	474805.00	3268568.00	(बतीस लाख अड़सठ हजार पाँच सौ अड़सठ रुपये) मात्र
37	लखीसराय	1693158.00	287755.00	1980913.00	(उन्नीस लाख अस्सी हजार नौ सौ तेरह रुपये) मात्र
38	शेखपुरा	1100605.00	187050.00	1287655.00	(बारह लाख सतासी हजार छह सौ पचपन रुपये) मात्र
	कुल राशि	261055084.00	53519716.00	314574800.00	(एकतीस करोड़ पैंतालीस लाख चौहत्तर हजार आठ सौ रुपये) मात्र

अत्यावश्यक
ई-मेल/फैक्स

पत्रांक: 5प/राज्य स्कीम-02-12/2017/16(अ.10)/ पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 18/07/2019

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 31.05.2019 द्वारा स्वीकृत राशि के विरुद्ध कुल ₹1,14,45,55,200.00 (एक अरब चौदह करोड़ पैंतालीस लाख पचपन हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 31.05.2019 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच को वित्तीय वर्ष 2019-20 में समेकित नियत (मासिक) भत्ता भुगतान हेतु उक्त स्वीकृतिरादेश के साथ संलग्न जिलावार विवरणी-1 के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को ₹4,26,12,000.00 (चार करोड़ छब्बीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र की राशि, विवरणी-2 के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख तथा सदस्यों को ₹22,08,48,000.00 (बाईस करोड़ आठ लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र की राशि, विवरणी-3 के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया तथा सदस्यों को ₹1,01,28,25,200.00 (एक अरब एक करोड़ अड़तालीस लाख पच्चीस हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि, तथा विवरणी-4 के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच, तथा सदस्यों (पंचों) को ₹1,01,28,25,200.00 (एक अरब एक करोड़ अड़तालीस लाख पच्चीस हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि, कुल मिलाकर ₹2,28,91,10,400.00 (दो अरब अड़तालीस करोड़ इक्यानवे लाख दस हजार चार सौ रुपये) मात्र एवं पूर्व वर्षों के बकाया भत्ता भुगतान हेतु ₹1,21,08,89,600.00 (एक अरब इक्कीस करोड़ आठ लाख नवासी हजार छह सौ रुपये) मात्र की राशि अर्थात् कुल ₹3,50,00,00,000.00 (तीन अरब पचास करोड़ रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति इस आधार पर दी गई है कि योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही राशि आवंटित की जायेगी।

(हस्ताक्षर)

मजिस्ट्रेट - -

2. उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 256 दिनांक 26.02.2019 द्वारा "01 अप्रैल 2019 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिए बजट में प्रावधानित राशि का 33 प्रतिशत राशि को नियमानुसार व्यय किये जाने का निदेश दिया गया है।

3. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में नियत भत्ता की राशि की निकासी हेतु इस आवंटनादेश के साथ संलग्न विवरणी-I के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹2,13,06,000.00 (दो करोड़ तेरह लाख छह हजार रुपये) मात्र, विवरणी-II के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹11,04,24,000.00 (ग्यारह करोड़ चार लाख चौबीस हजार रुपये) मात्र, विवरणी-III के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹50,64,12,600.00 (पचास करोड़ चौसठ लाख बारह हजार छह सौ रुपये) मात्र एवं विवरणी-IV के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹50,64,12,600.00 (पचास करोड़ चौसठ लाख बारह हजार छह सौ रुपये) मात्र अर्थात् कुल गिलाकर ₹1,14,45,55,200.00 (एक अरब चौदह करोड़ पैंतालीस लाख पचपन हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

4. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं ग्राम कचहरी के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग राज्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 31.05.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

5. इस आवंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तथा विगत वर्षों के बकाया भुगतान के लिए पूर्व निर्धारित दर से किया जायेगा।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 के मांग संख्या-16 के अन्तर्गत राज्य स्कीम में उपबंधित निम्नांकित बजट शीर्षों के अन्तर्गत की जायेगी :-

जिला परिषदों के लिए -

(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001960106 है।

gfm

लगातार - -

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890106 है।

पंचायत समितियों के लिए -

(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0103-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0103.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001970103 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0105-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890105 है।

ग्राम पंचायतों के लिए -

(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0105-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001980105 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0103-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0103.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890103 है।

ग्राम कचहरियों के लिए -

(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001980106 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0104.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890104 है।

8. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS के Budget Module द्वारा राशि को आवंटित की जा सके।

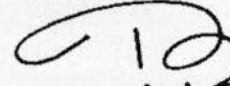
gsm

मजिद

9. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।
10. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
11. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
12. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
13. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
14. इस आवंटित राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
15. इस आवंटन आदेश तथा इसके साथ विवरणी के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
16. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
17. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त

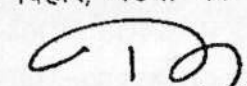
विश्वासभाजन


17/7/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-12/2017/16(आ.१)/पं०रा० पटना, दिनांक 18/07/2019.
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा 08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त


17/7/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

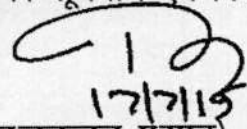
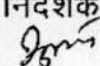


महामा -

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-12/2017/ ~~1663110~~ पं०रा० पटना, दिनांक 18.07.2019

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।


17/7/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)


विवरणी-I

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जिला परिषद (जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	जिला परिषदों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001960106 के विषय शीर्ष-0106.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890106 के विषय शीर्ष-0106.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	
1	2	3	4	5
1	बक्सर	333660.00	68340.00	402000.00
2	रोहतास	495510.00	101490.00	597000.00
3	भोजपुर	470610.00	96390.00	567000.00
4	नालन्दा	507960.00	104040.00	612000.00
5	पटना	657360.00	134640.00	792000.00
6	कैमूर	321210.00	65790.00	387000.00
7	गया	657360.00	134640.00	792000.00
8	नवादा	395910.00	81090.00	477000.00
9	औरंगाबाद	433260.00	88740.00	522000.00
10	जहानाबाद	246510.00	50490.00	297000.00
11	अरवल	196710.00	40290.00	237000.00
12	सारण	669810.00	137190.00	807000.00
13	सिवान	595110.00	121890.00	717000.00
14	गोपालगंज	483060.00	98940.00	582000.00
15	मुजफ्फरपुर	756960.00	155040.00	912000.00
16	वैशाली	595110.00	121890.00	717000.00

लगातार - -

क्र०	जिला	जिला परिषदों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001960106 के विषय शीर्ष-0106.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890106 के विषय शीर्ष-0106.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	
17	पू० चम्पारण	794310.00	162690.00	957000.00
18	प० चम्पारण	607560.00	124440.00	732000.00
19	सीतामढ़ी	557760.00	114240.00	672000.00
20	शिवहर	171810.00	35190.00	207000.00
21	भागलपुर	470610.00	96390.00	567000.00
22	बांका	395910.00	81090.00	477000.00
23	मधुबनी	781860.00	160140.00	942000.00
24	समस्तीपुर	719610.00	147390.00	867000.00
25	दरभंगा	669810.00	137190.00	807000.00
26	सहरसा	346110.00	70890.00	417000.00
27	मधेपुरा	371010.00	75990.00	447000.00
28	सुपौल	395910.00	81090.00	477000.00
29	पूर्णियाँ	507960.00	104040.00	612000.00
30	अररिया	458160.00	93840.00	552000.00
31	किशनगंज	308760.00	63240.00	372000.00
32	कटिहार	495510.00	101490.00	597000.00
33	मुंगेर	258960.00	53040.00	312000.00
34	जमुई	333660.00	68340.00	402000.00
35	बेगुसराय	520410.00	106590.00	627000.00
36	खगड़िया	308760.00	63240.00	372000.00
37	लखीसराय	221610.00	45390.00	267000.00
38	शेखपुरा	171810.00	35190.00	207000.00
	कुल राशि	17683980.00	3622020.00	21306000.00

(दो करोड़ तेरह लाख छह हजार रुपये) मात्र

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

विवरणी-II

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत पंचायत समिति (पंचायत समिति प्रमुख/उप-प्रमुख/पंचायत समिति सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	पंचायत समितियों के लिए		कुल राशि (रुपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001970103 के विषय शीर्ष-0103.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890105 के विषय शीर्ष-0105.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	
1	2	3	4	5
1	बक्सर	1708140.00	349860.00	2058000.00
2	रोहतास	2873460.00	588540.00	3462000.00
3	भोजपुर	2450160.00	501840.00	2952000.00
4	नालन्दा	2997960.00	614040.00	3612000.00
5	पटना	3700140.00	757860.00	4458000.00
6	कैमूर	1638420.00	335580.00	1974000.00
7	गया	3839580.00	786420.00	4626000.00
8	नवादा	2171280.00	444720.00	2616000.00
9	औरंगाबाद	2131440.00	436560.00	2568000.00
10	जहानाबाद	1090620.00	223380.00	1314000.00
11	अरवल	761940.00	156060.00	918000.00
12	सारण	3610500.00	739500.00	4350000.00
13	सिवान	3082620.00	631380.00	3714000.00
14	गोपालगंज	2499960.00	512040.00	3012000.00
15	मुजफ्फरपुर	3670260.00	751740.00	4422000.00
16	वैशाली	3002940.00	615060.00	3618000.00

क्र०	जिला	पंचायत समितियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001970103 के विषय शीर्ष-0103.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890105 के विषय शीर्ष-0105.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	
17	पू० चम्पारण	4372440.00	895560.00	5268000.00
18	प० चम्पारण	3246960.00	665040.00	3912000.00
19	सीतामढ़ी	3012900.00	617100.00	3630000.00
20	शिवहर	682260.00	139740.00	822000.00
21	भागलपुर	2599560.00	532440.00	3132000.00
22	बाँका	1957140.00	400860.00	2358000.00
23	मधुबनी	4123440.00	844560.00	4968000.00
24	समस्तीपुर	3894360.00	797640.00	4692000.00
25	दरभंगा	3421260.00	700740.00	4122000.00
26	सहरसा	1673280.00	342720.00	2016000.00
27	मधेपुरा	1962120.00	401880.00	2364000.00
28	सुपौल	1982040.00	405960.00	2388000.00
29	पूर्णियाँ	2604540.00	533460.00	3138000.00
30	अररिया	2091600.00	428400.00	2520000.00
31	किशनगंज	1329660.00	272340.00	1602000.00
32	कटिहार	2669280.00	546720.00	3216000.00
33	मुंगेर	1259940.00	258060.00	1518000.00
34	जमुई	1608540.00	329460.00	1938000.00
35	बेगूसराय	2803740.00	574260.00	3378000.00
36	खगड़िया	1374480.00	281520.00	1656000.00
37	लखीसराय	1015920.00	208080.00	1224000.00
38	शेखपुरा	737040.00	150960.00	888000.00
कुल राशि		91651920.00	18772080.00	110424000.00

(ग्यारह करोड़ चार लाख चौबीस हजार रुपये) मात्र

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

विवरणी-III

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया/ग्राम पंचायत सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	ग्राम पंचायतों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980105 के विषय शीर्ष-0105.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890103 के विषय शीर्ष-0103.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	
1	2	3	4	5
1	बक्सर	7193112.00	1473288.00	8666400.00
2	रोहतास	11624316.00	2380884.00	14005200.00
3	भोजपुर	12099408.00	2478192.00	14577600.00
4	नालन्दा	12299604.00	2519196.00	14818800.00
5	पटना	16226832.00	3323568.00	19550400.00
6	कैमूर	6983454.00	1430346.00	8413800.00
7	गया	16677522.00	3415878.00	20093400.00
8	नवादा	9272262.00	1899138.00	11171400.00
9	औरंगाबाद	10315074.00	2112726.00	12427800.00
10	जहानाबाद	4654308.00	953292.00	5607600.00
11	अरवल	3194670.00	654330.00	3849000.00
12	सारण	16551528.00	3390072.00	19941600.00
13	सिवान	14843388.00	3040212.00	17883600.00
14	गोपालगंज	11639754.00	2384046.00	14023800.00
15	मुजफ्फरपुर	19309950.00	3955050.00	23265000.00
16	वैशाली	14489808.00	2967792.00	17457600.00

१०

०२

२०१९/२०

क्र०	जिला	ग्राम पंचायतों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980105 के विषय शीर्ष-0105.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890103 के विषय शीर्ष-0103.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	
17	पू० चम्पारण	20487720.00	4196280.00	24684000.00
18	प० चम्पारण	15470370.00	3168630.00	18639000.00
19	सीतामढ़ी	13902168.00	2847432.00	16749600.00
20	शिवहर	2704638.00	553962.00	3258600.00
21	भागलपुर	11640252.00	2384148.00	14024400.00
22	बांका	9123360.00	1868640.00	10992000.00
23	मधुबनी	20113224.00	4119576.00	24232800.00
24	समस्तीपुर	19049496.00	3901704.00	22951200.00
25	दरभंगा	16350834.00	3348966.00	19699800.00
26	सहरसा	7570596.00	1550604.00	9121200.00
27	मधेपुरा	8291700.00	1698300.00	9990000.00
28	सुपौल	9181626.00	1880574.00	11062200.00
29	पूर्णिया	12271716.00	2513484.00	14785200.00
30	अररिया	10924128.00	2237472.00	13161600.00
31	किशनगंज	6412746.00	1313454.00	7726200.00
32	कटिहार	11920128.00	2441472.00	14361600.00
33	मुंगेर	5010876.00	1026324.00	6037200.00
34	जमुई	7326078.00	1500522.00	8826600.00
35	बेगुसराय	11826504.00	2422296.00	14248800.00
36	खगड़िया	6684654.00	1369146.00	8053800.00
37	लखीसराय	4051230.00	829770.00	4881000.00
38	शेखपुरा	2633424.00	539376.00	3172800.00
	कुल राशि	420322458.00	86090142.00	506412600.00

(पचास करोड़ चौसठ लाख बारह हजार छह सौ रुपये) मात्र

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

विवरणी-IV

वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिले के ग्राम कचहरी (ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच/पंच) के लिए बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980106 के विषय शीर्ष-0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890104 के विषय शीर्ष-0104.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	
1	2	3	4	5
1	बक्सर	7193112.00	1473288.00	8666400.00
2	रोहतास	11624316.00	2380884.00	14005200.00
3	भोजपुर	12099408.00	2478192.00	14577600.00
4	नालन्दा	12299604.00	2519196.00	14818800.00
5	पटना	16226832.00	3323568.00	19550400.00
6	कैमूर	6983454.00	1430346.00	8413800.00
7	गया	16677522.00	3415878.00	20093400.00
8	नवादा	9272262.00	1899138.00	11171400.00
9	औरंगाबाद	10315074.00	2112726.00	12427800.00
10	जहानाबाद	4654308.00	953292.00	5607600.00
11	अरवल	3194670.00	654330.00	3849000.00
12	सारण	16551528.00	3390072.00	19941600.00
13	सिवान	14843388.00	3040212.00	17883600.00
14	गोपालगंज	11639754.00	2384046.00	14023800.00
15	मुजफ्फरपुर	19309950.00	3955050.00	23265000.00
16	वैशाली	14489808.00	2967792.00	17457600.00

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों के लिए		कुल राशि (रुपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980106 के विषय शीर्ष-0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890104 के विषय शीर्ष-0104.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	
17	पू० चम्पारण	20487720.00	4196280.00	24684000.00
18	प० चम्पारण	15470370.00	3168630.00	18639000.00
19	सीतामढ़ी	13902168.00	2847432.00	16749600.00
20	शिवहर	2704638.00	553962.00	3258600.00
21	भागलपुर	11640252.00	2384148.00	14024400.00
22	बांका	9123360.00	1868640.00	10992000.00
23	मधुबनी	20113224.00	4119576.00	24232800.00
24	समस्तीपुर	19049496.00	3901704.00	22951200.00
25	दरभंगा	16350834.00	3348966.00	19699800.00
26	सहरसा	7570596.00	1550604.00	9121200.00
27	मधेपुरा	8291700.00	1698300.00	9990000.00
28	सुपौल	9181626.00	1880574.00	11062200.00
29	पूर्णिया	12271716.00	2513484.00	14785200.00
30	अररिया	10924128.00	2237472.00	13161600.00
31	किशनगंज	6412746.00	1313454.00	7726200.00
32	कटिहार	11920128.00	2441472.00	14361600.00
33	मुंगेर	5010876.00	1026324.00	6037200.00
34	जमुई	7326078.00	1500522.00	8826600.00
35	बेगुसराय	11826504.00	2422296.00	14248800.00
36	खगड़िया	6684654.00	1369146.00	8053800.00
37	लखीसराय	4051230.00	829770.00	4881000.00
38	शेखपुरा	2633424.00	539376.00	3172800.00
	कुल राशि	420322458.00	86090142.00	506412600.00

(पचास करोड़ चौसठ लाख बारह हजार छह सौ रुपये) मात्र

10/12/20
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)
9/12/20

1-06/02

अ. आवश्यक
ई-मेल/फैक्स

पत्रांक: 5प/राज्य स्कीम-02-12/2017/68(आ०)...../ पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 11/21/2020

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 31.05.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹3,50,00,00,000.00 (तीन अरब पचास करोड़ रुपये) मात्र की राशि में से अवशेष कुल ₹1,21,08,89,600.00 (एक अरब इक्कीस करोड़ आठ लाख नबासी हजार छः सौ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 31.05.2019 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच को वित्तीय वर्ष 2019-20 में समेकित नियत (मासिक) भत्ता भुगतान हेतु उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न जिलावार विवरणी-1 के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को ₹4,26,12,000.00 (चार करोड़ छब्बीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र की राशि, विवरणी-2 के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख तथा सदस्यों को ₹22,08,48,000.00 (बाईस करोड़ आठ लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र की राशि, विवरणी-3 के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया तथा सदस्यों को ₹1,01,28,25,200.00 (एक अरब एक करोड़ अठ्ठाईस लाख पच्चीस हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि, तथा विवरणी-4 के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच, तथा सदस्यों (पंचों) को ₹1,01,28,25,200.00 (एक अरब एक करोड़ अठ्ठाईस लाख पच्चीस हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि, कुल मिलाकर ₹2,28,91,10,400.00 (दो अरब अठ्ठाईस करोड़ इक्यानवे लाख दस हजार चार सौ रुपये) मात्र एवं पूर्व वर्षों के बकाया भत्ता भुगतान हेतु ₹1,21,08,89,600.00 (एक अरब इक्कीस करोड़ आठ लाख नबासी हजार छह सौ रुपये रुपये) मात्र की राशि अर्थात् कुल ₹3,50,00,00,000.00 (तीन अरब पचास करोड़ रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति इस आधार पर दी गई है कि योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही राशि आवंटित की जायेगी।

विभागीय आवंटनादेश संख्या 16(आ०) दिनांक 18.07.2019 द्वारा ₹1,14,45,55,200.00 (एक अरब चौदह करोड़ पैंतालीस लाख पचपन हजार दो सौ रुपये) मात्र एवं 38(आ०) दिनांक

10/07/20

10/07/20

10

लगातार

04.09.2019 द्वारा ₹1,14,45,55,200.00 (एक अरब चौदह करोड़ पैंतालीस लाख पचपन हजार दो सौ रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹2,28,91,10,400.00 (दो अरब अट्ठाईस करोड़ इक्क्यानबे लाख दस हजार चार सौ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की गई है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में नियत भत्ता की राशि की निकासी हेतु इस आवंटनादेश के साथ संलग्न विवरणी-I के अनुसार जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹2,27,88,000.00 (दो करोड़ सत्ताईस लाख अठासी हजार रुपये) मात्र, विवरणी-II के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹11,65,52,000.00 (ग्यारह करोड़ पैंसठ लाख बावन हजार रुपये) मात्र, विवरणी-III के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹53,57,74,800.00 (तिरपन करोड़ सत्तावन लाख चौहत्तर हजार आठ सौ रुपये) मात्र एवं विवरणी-IV के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹53,57,74,800.00 (तिरपन करोड़ सत्तावन लाख चौहत्तर हजार आठ सौ रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹1,21,08,89,600.00 (एक अरब इक्कीस करोड़ आठ लाख नबासी हजार छः सौ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं ग्राम कचहरी के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग राज्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 31.05.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तथा विगत वर्षों के बकाया भुगतान के लिए पूर्व निर्धारित दर से किया जायेगा।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 के मांग संख्या-16 के अन्तर्गत राज्य स्कीम में उपबंधित निम्नांकित बजट शीर्षों के अन्तर्गत की जायेगी :-

जिला परिषदों के लिए -

(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001960106 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक

20/10/19

प्रमाणित - -

योजना-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890106 है।

पंचायत समितियों के लिए -

(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0103-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0103.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001970103 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0105-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890105 है।

ग्राम पंचायतों के लिए -

(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0105-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001980105 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0103-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0103.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890103 है।

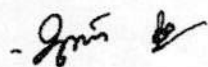
ग्राम कचहरियों के लिए -

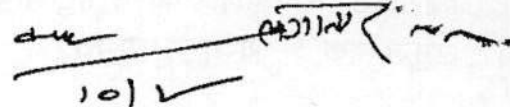
(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001980106 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0104.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890104 है।

7. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या




101 ✓

अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

11. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

12. इस आवंटित राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

13. इस आवंटन आदेश तथा इसके साथ विवरणी के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

14. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त

विश्वासभाजन
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-12/2017/68(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 11.2.2020
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा 08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-12/2017/68(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 11.2.2020
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जिला परिषद (जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	जिला परिषदों के लिए		कुल राशि (रुपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001960106 के विषय शीर्ष-0106. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890106 के विषय शीर्ष-0105.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
1.	बक्सर	3,12,774.00 ✓	69,905.00 ✓	3,82,679.00	(तीन लाख बेरासी हजार छह सौ उनासी रुपये) मात्र
2.	रोहतास	4,64,493.00 ✓	2,54,834.00 ✓	7,19,327.00	(सात लाख उनीस हजार तीन सौ सताईस रुपये) मात्र
3.	भोजपुर	4,41,152.00 ✓	98,597.00 ✓	5,39,749.00	(पाँच लाख उनचालीस हजार सात सौ उनचास रुपये) मात्र
4.	नालन्दा	4,76,164.00 ✓	1,06,422.00 ✓	5,82,586.00	(पाँच लाख बेरासी हजार पाँच सौ छियासी रुपये) मात्र
5.	पटना	6,16,212.00 ✓	1,37,722.00 ✓	7,53,934.00	(सात लाख तिरपन हजार नौ सौ चौतीस रुपये) मात्र
6.	कैमूर	3,01,104.00 ✓	67,296.00 ✓	3,68,400.00	(तीन लाख अड़सठ हजार चार सौ रुपये) मात्र
7.	गया	6,16,212.00 ✓	1,37,722.00 ✓	7,53,934.00	(सात लाख तिरपन हजार नौ सौ चौतीस रुपये) मात्र
8.	नवादा	3,71,128.00 ✓	82,946.00 ✓	4,54,074.00	(चार लाख चौवन हजार चौहत्तर रुपये) मात्र
9.	औरंगाबाद	4,06,140.00 ✓	90,772.00 ✓	4,96,912.00	(चार लाख छियानवे हजार नौ सौ बारह रुपये) मात्र
10.	जहानाबाद	2,31,080.00 ✓	51,646.00 ✓	2,82,726.00	(दो लाख बेरासी हजार सात सौ छब्बीस रुपये) मात्र
11.	अरवल	1,84,397.00 ✓	41,212.00 ✓	2,25,609.00	(दो लाख पच्चीस हजार छह सौ नौ रुपये) मात्र
12.	सारण	6,27,883.00 ✓	1,40,331.00 ✓	7,68,214.00	(सात लाख अड़सठ हजार दो सौ चौदह रुपये) मात्र
13.	सिवान	5,57,859.00 ✓	1,24,680.00 ✓	6,82,539.00	(छह लाख बेरासी हजार पाँच सौ उनचालीस रुपये) मात्र
14.	गोपालगंज	4,52,823.00 ✓	1,01,205.00 ✓	5,54,028.00	(पाँच लाख चौवन हजार अठाईस रुपये) मात्र
15.	मुजफ्फरपुर	7,09,578.00 ✓	1,58,589.00 ✓	8,68,167.00	(आठ लाख अड़सठ हजार एक सौ सड़सठ रुपये) मात्र
16.	वैशाली	5,57,859.00 ✓	1,24,680.00 ✓	6,82,539.00	(छह लाख बेरासी हजार पाँच सौ उनचालीस रुपये) मात्र
17.	पू० चम्पारण	7,44,590.00 ✓	1,66,415.00 ✓	9,11,005.00	(नौ लाख ग्याहर हजार पाँच रुपये) मात्र
18.	प० चम्पारण	5,69,529.00 ✓	1,27,289.00 ✓	6,96,818.00	(छह लाख छियानवे हजार आठ सौ अठारह रुपये) मात्र
19.	सीतामढ़ी	5,22,847.00 ✓	1,16,855.00 ✓	6,39,702.00	(छह लाख उनचालीस हजार सात सौ दो रुपये) मात्र
20.	शिवहर	1,61,055.00 ✓	35,996.00 ✓	1,97,051.00	(एक लाख सनतानवे हजार एकावन रुपये) मात्र
21.	भागलपुर	4,41,152.00 ✓	98,597.00 ✓	5,39,749.00	(पाँच लाख उनचालीस हजार सात उनचास रुपये) मात्र
22.	बांका	3,71,128.00 ✓	82,946.00 ✓	4,54,074.00	(चार लाख चौवन हजार चौहत्तर रुपये) मात्र

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप. विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जिला परिषद (जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	जिला परिषदों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001960108 के विषय शीर्ष-0108. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890108 के विषय शीर्ष-0105.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
23.	मधुबनी	30,87,917.00 ✓	1,63,806.00 ✓	32,51,723.00	(बत्तीस लाख एकावन हजार सात सौ तेईस रुपये) मात्र
24.	समस्तीपुर	6,74,566.00 ✓	1,50,764.00 ✓	8,25,330.00	(आठ लाख पचीस हजार तीन सौ तीस रुपये) मात्र
25.	दरभंगा	6,27,883.00 ✓	1,40,331.00 ✓	7,68,214.00	(सात लाख अड़सठ हजार दो सौ चौदह रुपये) मात्र
26.	सहरसा	3,24,445.00 ✓	72,513.00 ✓	3,96,958.00	(तीन लाख छियानवे हजार नौ सौ अनठावन रुपये) मात्र
27.	मधेपुरा	3,47,786.00 ✓	77,730.00 ✓	4,25,516.00	(चार लाख पचीस हजार पाँच सौ सोलह रुपये) मात्र
28.	सुपौल	3,71,128.00 ✓	82,946.00 ✓	4,54,074.00	(चार लाख चौवन हजार चौहत्तर रुपये) मात्र
29.	पूर्णिमा	4,76,164.00 ✓	1,06,422.00 ✓	5,82,586.00	(पाँच लाख बेरासी हजार पाँच सौ छियासी रुपये) मात्र
30.	अररिया	4,29,481.00 ✓	95,988.00 ✓	5,25,469.00	(पाँच लाख पचीस हजार चार सौ उनहत्तर रुपये) मात्र
31.	किशनगंज	2,89,433.00 ✓	64,688.00 ✓	3,54,121.00	(तीन लाख चौवन हजार एक सौ एककीस रुपये) मात्र
32.	कटिहार	4,64,493.00 ✓	1,03,813.00 ✓	5,68,306.00	(पाँच लाख अड़सठ हजार तीन सौ छह रुपये) मात्र
33.	मुंगेर	2,42,750.00 ✓	54,254.00 ✓	2,97,004.00	(दो लाख सनतानवे हजार चार रुपये) मात्र
34.	जमुई	3,12,774.00 ✓	69,905.00 ✓	3,82,679.00	(तीन लाख बेरासी हजार छह सौ उनासी रुपये) मात्र
35.	बेगुसराय	4,87,835.00 ✓	1,09,030.00 ✓	5,96,865.00	(पाँच लाख छियानवे हजार आठ सौ पैसठ रुपये) मात्र
36.	खगड़िया	2,89,433.00 ✓	64,688.00 ✓	3,54,121.00	(तीन लाख चौवन हजार एक सौ एककीस रुपये) मात्र
37.	लखीसराय	2,07,738.00 ✓	46,429.00 ✓	2,54,167.00	(दो लाख चौवन हजार एक सड़सठ रुपये) मात्र
38.	शेखपुरा	1,61,055.00 ✓	35,996.00 ✓	1,97,051.00	(एक लाख सनतावन हजार एकावन रुपये) मात्र
कुल राशि		1,89,32,040.00	38,55,960.00	2,27,88,000.00	(दो करोड़ सताईस लाख अठासी हजार रुपये) मात्र

विवरणी-2

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत पंचायत समिति (पंचायत समिति प्रमुख/उप-प्रमुख/पंचायत समिति सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	पंचायत समितियों के लिए		कुल राशि (रुपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001970103 के विषय शीर्ष-0103. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890105 के विषय शीर्ष-0105.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
1.	बक्सर	16,63,265.00	3,70,058.00	20,33,323.00	(बीस लाख तैतीस हजार तीन सौ तेईस रुपये) मात्र
2.	रोहतास	27,97,972.00	6,22,518.00	34,20,490.00	(चौतीस लाख बीस हजार चार सौ नब्बे रुपये) मात्र
3.	भोजपुर	23,85,792.00	5,30,813.00	29,16,605.00	(उनतीस लाख सोलह हजार छह सौ पाँच रुपये) मात्र
4.	नालन्दा	29,19,201.00	6,49,490.00	35,68,691.00	(पैंतीस लाख अड़सठ हजार छह सौ ईक्कानवें रुपये) मात्र
5.	पटना	36,02,934.00	8,01,613.00	44,04,547.00	(चौवालीस लाख चार हजार पाँच सौ सैतालीस रुपये) मात्र
6.	कैमूर	15,95,377.00	3,54,954.00	19,50,331.00	(उनीस लाख पचास हजार तीस सौ एकतीस रुपये) मात्र
7.	गया	37,38,711.00	8,31,822.00	45,70,533.00	(पैंतालीस लाख सतर हजार पाँच सौ तैतीस रुपये) मात्र
8.	नवादा	21,14,238.00	4,70,395.00	25,84,633.00	(पच्चीस लाख चौरासी हजार छह सौ तैतीस रुपये) मात्र
9.	औरंगाबाद	20,75,445.00	4,61,764.00	25,37,209.00	(पच्चीस लाख सैतीस हजार दो सौ नौ रुपये) मात्र
10.	जहानाबाद	10,61,968.00	2,36,276.00	12,98,244.00	(बारह लाख अठानवें हजार दो सौ चौवालीस रुपये) मात्र
11.	अरवल	7,41,923.00	1,65,070.00	9,06,993.00	(नौ लाख छह हजार नौ सौ तिरानवें रुपये) मात्र
12.	सारण	35,15,649.00	7,82,193.00	42,97,842.00	(बेयालीस लाख सतानवें हजार आठ सौ बेयालीस रुपये) मात्र
13.	सिवान	30,01,637.00	6,67,831.00	36,69,468.00	(छत्तीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ अड़सठ रुपये) मात्र
14.	गोपालगंज	24,34,284.00	5,41,601.00	29,75,885.00	(उनतीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ पचासी रुपये) मात्र
15.	मुजफ्फरपुर	35,73,839.00	7,95,140.00	43,68,979.00	(तैंतालीस लाख अड़सठ हजार नौ सौ उनासी रुपये) मात्र
16.	वैशाली	29,24,050.00	6,50,569.00	35,74,619.00	(पैंतीस लाख चौहत्तर हजार छह सौ उनीस रुपये) मात्र
17.	पू० चम्पारण	42,57,572.00	9,47,263.00	52,04,835.00	(बावन लाख चार हजार आठ सौ पैतीस रुपये) मात्र
18.	प० चम्पारण	31,61,660.00	7,03,434.00	38,65,094.00	(अड़तीस लाख पैसठ हजार चौरानवें रुपये) मात्र
19.	सीतामढ़ी	29,33,749.00	6,52,727.00	35,86,476.00	(पैंतीस लाख छियासी हजार चार सौ छियाहत्तर रुपये) मात्र
20.	शिवहर	6,64,336.00	1,47,808.00	8,12,144.00	(आठ लाख बारह हजार एक सौ चौवालीस रुपये) मात्र
21.	भागलपुर	25,31,267.00	5,63,179.00	30,94,446.00	(तीस लाख चौरानवें हजार चार सौ छियालीस रुपये) मात्र
22.	बांका	19,05,724.00	4,24,003.00	23,29,727.00	(तेईस लाख उनतीस हजार सात सौ सताईस रुपये) मात्र

विवरणी-2

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत पंचायत समिति (पंचायत समिति प्रमुख/उप-प्रमुख/पंचायत समिति सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	पंचायत समितियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001970103 के विषय शीर्ष-0103. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890105 के विषय शीर्ष-0105.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
23.	मधुबनी	1,14,67,134.00	8,93,319.00	1,23,60,452.00	(एक करोड़ तेईस लाख साठ हजार चार सौ बावन रुपये) मात्र
24.	समस्तीपुर	37,92,052.00	8,43,690.00	46,35,742.00	(छियालीस लाख पैतीस हजार सात सौ बेयालीस रुपये) मात्र
25.	दरभंगा	33,31,381.00	7,41,195.00	40,72,576.00	(चालीस लाख बहत्तर हजार पाँच सौ छियहत्तर रुपये) मात्र
26.	सहरसा	16,29,321.00	3,62,506.00	19,91,827.00	(उनीस लाख इक्कानवें हजार आठ सौ सताईस रुपये) मात्र
27.	मधेपुरा	19,10,573.00	4,25,082.00	23,35,655.00	(तेईस लाख पैतीस हजार छह सौ पचपन रुपये) मात्र
28.	सुपौल	19,29,970.00	4,29,397.00	23,59,367.00	(तेईस लाख उनसठ हजार तीन सौ सड़सठ रुपये) मात्र
29.	पूर्णिमा	25,36,116.00	5,64,258.00	31,00,374.00	(एकतीस लाख तीन सौ चौहत्तर रुपये) मात्र
30.	अररिया	20,36,652.00	4,53,133.00	24,89,785.00	(चौबीस लाख नवासी हजार सात सौ पचासी रुपये) मात्र
31.	किशनगंज	12,94,728.00	2,88,063.00	15,82,791.00	(पन्द्रह लाख बेरासी हजार सात सौ इक्कानवें रुपये) मात्र
32.	कटिहार	25,99,156.00	5,78,284.00	31,77,440.00	(एकतीस लाख सहत्तर हजार चार सौ चालीस रुपये) मात्र
33.	मुंगेर	12,26,840.00	2,72,958.00	14,99,798.00	(चौदह लाख निन्यानवें हजार सात सौ अनठानवें रुपये) मात्र
34.	जमुई	15,66,282.00	3,48,481.00	19,14,763.00	(उनीस लाख चौदह हजार सात सौ तिरसठ रुपये) मात्र
35.	बेगूसराय	27,30,083.00	6,07,413.00	33,37,496.00	(तैतीस लाख सैतीस हजार चार सौ छियानवें रुपये) मात्र
36.	खगड़िया	13,38,371.00	2,97,773.00	16,36,144.00	(सोलह लाख छतीस हजार एक सौ चौवालीस रुपये) मात्र
37.	लखीसराय	9,89,231.00	2,20,093.00	12,09,324.00	(बारह लाख नौ हजार तीन सौ चौबीस रुपये) मात्र
38.	शेखपुरा	7,17,677.00	1,59,675.00	8,77,352.00	(आठ लाख सत्तहत्तर हजार तीन सौ बावन रुपये) मात्र
कुल राशि		9,66,96,160.00	1,98,55,840.00	11,65,52,000.00	(ग्यारह करोड़ पैसठ लाख बावन हजार रुपये) मात्र

विवरणी-3

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया/ग्राम पंचायत सदस्य हेतु) को बकाया आर्वाटिट राशि का विवरण

क्र०	जिला	ग्राम पंचायतों के लिए		कुल राशि (रुपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980105 के विषय शीर्ष-0105. 31.08-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890103 के विषय शीर्ष-0103.31. 08-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
1.	बक्सर	6710999.00	1559361.00	8270360.00	(बेरासी लाख सतर हजार तीन सौ साठ रुपये) मात्र
2.	रोहतास	10845205.00	2519980.00	13365185.00	(एक करोड़ तैतीस लाख पैसठ हजार एक सौ पचासी रुपये) मात्र
3.	भोजपुर	11288454.00	2622973.00	13911427.00	(एक करोड़ उनचालीस लाख ग्यारह हजार चार सौ सताईस रुपये) मात्र
4.	नालन्दा	11475232.00	2666374.00	14141606.00	(एक करोड़ एकतालीस लाख एकतालीस हजार छह सौ छह रुपये) मात्र
5.	पटना	15139241.00	3517738.00	18656979.00	(एक करोड़ छियासी लाख छप्पन हजार नौ सौ उन्नायसी रुपये) मात्र
6.	कैमूर	6515393.00	1513910.00	8029303.00	(अस्सी लाख उनतीस हजार तीन सौ तीन रुपये) मात्र
7.	गया	15559724.00	3615441.00	19175165.00	(एक करोड़ इक्कायनवें लाख पचहत्तर हजार एक सौ पैसठ रुपये) मात्र
8.	नवादा	8650796.00	2010090.00	10660886.00	(एक करोड़ छह लाख छह हजार आठ सौ छियासी रुपये) मात्र
9.	औरंगाबाद	9623714.00	2236157.00	11859871.00	(एक करोड़ अठारह लाख उनसठ हजार आठ सौ एकहत्तर रुपये) मात्र
10.	जहानाबाद	4342356.00	1008985.00	5351341.00	(तिरपन लाख एकावन हजार तीन सौ एकतालीस रुपये) मात्र
11.	अरवल	2980549.00	692557.00	3673106.00	(छतीस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छह रुपये) मात्र
12.	सारण	15442175.00	3588127.00	19030302.00	(एक करोड़ नब्बे लाख तीस हजार तीन सौ दो रुपये) मात्र
13.	सिवान	13848521.00	3217828.00	17066349.00	(एक करोड़ सत्तर लाख छियासठ हजार तीन सौ उनचास रुपये) मात्र
14.	गोपालगंज	10859608.00	2523327.00	13382935.00	(एक करोड़ तैतीस लाख बेरासी हजार नौ सौ पैतीस रुपये) मात्र
15.	मुजफ्फरपुर	18015716.00	4186113.00	22201829.00	(दो करोड़ बाईस लाख एक हजार आठ सौ उनतीस रुपये) मात्र
16.	वैशाली	13518640.00	3141177.00	16659817.00	(एक करोड़ छियासठ लाख उनसठ हजार आठ सौ सत्तर रुपये) मात्र
17.	पू० चम्पारण	19114547.00	4441435.00	23555982.00	(दो करोड़ पैतीस लाख पचपन हजार नौ सौ बेरासी रुपये) मात्र
18.	प० चम्पारण	14433480.00	3353748.00	17787228.00	(एक करोड़ सत्तहत्तर लाख सतासी हजार दो सौ अठाईस रुपये) मात्र
19.	सीतामढ़ी	12970386.00	3013785.00	15984171.00	(एक करोड़ उनसठ लाख चौरासी हजार एक सौ एकहत्तर रुपये) मात्र
20.	शिवहर	2523361.00	586326.00	3109687.00	(एकतीस लाख नौ हजार छह सौ सतासी रुपये) मात्र

विवरण-3

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया/ग्राम पंचायत सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण

क्र०	जिला	ग्राम पंचायतों के लिए		कुल राशि (रुपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980105 के विषय शीर्ष-0105. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890103 के विषय शीर्ष-0103.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
21.	भागलपुर	10860073.00	2523435.00	13383508.00	(एक करोड़ तैंतीस लाख तेरासी हजार पाँच सौ आठ रुपये) मात्र
22.	बांका	8511874.00	1977810.00	10489684.00	(एक करोड़ चार लाख नवासी हजार छह सौ चौरासी रुपये) मात्र
23.	भदुबनी	71269571.00	4360251.00	75629822.00	(सात करोड़ छप्पन लाख उनतीस हजार आठ सौ बाईस रुपये) मात्र
24.	समस्तीपुर	17772718.00	4129650.00	21902368.00	(दो करोड़ उनीस लाख दो हजार तीन सौ अरसठ रुपये) मात्र
25.	दरभंगा	15254932.00	3544619.00	18799551.00	(एक करोड़ सतासी लाख निन्यानवे हजार पाँच सौ एकावन रुपये) मात्र
26.	सहरसा	7063182.00	1641194.00	8704376.00	(सतासी लाख चार हजार तीन सौ छियहत्तर रुपये) मात्र
27.	मधेपुरा	7735955.00	1797518.00	9533473.00	(ननचानवे लाख तैंतीस हजार चार सौ तिहत्तर रुपये) मात्र
28.	सुपौल	8566234.00	1990441.00	10556675.00	(एक करोड़ पाँच लाख छप्पन हजार छह सौ पचहत्तर रुपये) मात्र
29.	पूर्णिया	11449214.00	2660328.00	14109542.00	(एक करोड़ एकतालीस लाख नौ हजार पाँच सौ बेयालीस रुपये) मात्र
30.	अररिया	10191947.00	2368190.00	12560137.00	(एक करोड़ पच्चीस लाख साठ हजार एक सौ सैंतीस रुपये) मात्र
31.	किशनगंज	5982936.00	1390189.00	7373125.00	(तिहत्तर लाख तिहत्तर हजार एक सौ पच्चीस रुपये) मात्र
32.	कटिहार	11121191.00	2584108.00	13705299.00	(एक करोड़ सैंतीस लाख पाँच हजार दो सौ निन्यानवे रुपये) मात्र
33.	मुंगेर	4675026.00	1086284.00	5761310.00	(सनतावन लाख एकसठ हजार तीन सौ दस रुपये) मात्र
34.	जमुई	6835053.00	1588186.00	8423239.00	(चौरासी लाख तेईस हजार दो सौ उनचालीस रुपये) मात्र
35.	बेगूसराय	11033842.00	2563812.00	13597654.00	(एक करोड़ पैंतीस लाख सनतानवे हजार छह सौ चौवन रुपये) मात्र
36.	खगड़िया	6236620.00	1449134.00	7685754.00	(छियहत्तर लाख पचासी हजार सात सौ चौवन रुपये) मात्र
37.	लखीसराय	3779699.00	878247.00	4657946.00	(छियालीस लाख सनतावन हजार नौ सौ छियालीस रुपये) मात्र
38.	शेखपुरा	2456920.00	570888.00	3027808.00	(तीस लाख सताईस हजार आठ सौ आठ रुपये) मात्र
	कुल राशि	444655084.00	91119716.00	535774800.00	(तिरपन करोड़ सनतावन लाख चौहत्तर हजार आठ सौ रुपये) मात्र

विवरणी-4

वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिले के ग्राम कचहरी (ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच/पंच) के लिए बकाया आवंटित राशि का विवरण

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों के लिए		कुल राशि (रूपये में)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980108 के विषय शीर्ष-0108. 31.08-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890104 के विषय शीर्ष-0104.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	(3+4)	
1	2	3	4	5	
1.	बक्सर	7609523.00	1504751.00	91,14,274.00	(इक्कायनवे लाख चौदह हजार दो सौ चौहत्तर रुपये) मात्र
2.	रोहतास	12297252.00	2431729.00	1,47,28,981.00	(एक करोड़ सैतालीस लाख अठाईस हजार नौ सौ एकासी रुपये) मात्र
3.	मोजपुर	12799847.00	2531115.00	1,53,30,962.00	(एक करोड़ तिरपन लाख तीस हजार नौ सौ बासठ रुपये) मात्र
4.	नालन्दा	13011632.00	2572995.00	1,55,84,627.00	(एक करोड़ पचपन लाख चौरासी हजार छह सौ सताईस रुपये) मात्र
5.	पटना	17166230.00	4450700.00	2,16,16,930.00	(दो करोड़ सोलह लाख सोलह हजार नौ सौ तीस रुपये) मात्र
6.	कैमूर	7387728.00	3595800.00	1,09,83,528.00	(एक करोड़ नौ लाख तेरासी हजार पाँच सौ अठाईस रुपये) मात्र
7.	गया	17642990.00	3488826.00	2,11,31,816.00	(दो करोड़ ग्यारह लाख एकतीस हजार आठ सौ सोलह रुपये) मात्र
8.	नवादा	9809036.00	1939695.00	1,17,48,731.00	(एक करोड़ सतरह लाख अड़तालीस हजार सात सौ एकतीस रुपये) मात्र
9.	औरंगाबाद	10912217.00	2157845.00	1,30,70,062.00	(एक करोड़ तीस लाख सत्तर हजार बासठ रुपये) मात्र
10.	जहानाबाद	4923747.00	973650.00	58,97,397.00	(अठारन लाख सनतानवे हजार तीन सौ सनतानवे रुपये) मात्र
11.	अरवल	3379610.00	668304.00	40,47,914.00	(चालीस लाख सैतालीस हजार नौ सौ चौदह रुपये) मात्र
12.	सारण	17509702.00	3462469.00	2,09,72,171.00	(दो करोड़ नौ लाख बहत्तर हजार एक सौ एकहत्तर रुपये) मात्र
13.	सिवान	15702677.00	3105138.00	1,88,07,815.00	(एक करोड़ अठासी लाख सात हजार आठ सौ पन्द्रह रुपये) मात्र
14.	गोपालगंज	12313583.00	2434959.00	1,47,48,542.00	(एक करोड़ सैतालीस लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ बेयालीस रुपये) मात्र
15.	मुजफ्फरपुर	20427810.00	4039513.00	2,44,67,323.00	(दो करोड़ चौवालीस लाख सड़सठ हजार तीन सौ तेईस रुपये) मात्र
16.	वैशाली	15328628.00	3031171.00	1,83,59,799.00	(एक करोड़ तिरासी लाख उनसठ हजार सात सौ निनानवे रुपये) मात्र
17.	पुनर्वा	21673761.00	4285894.00	2,59,59,655.00	(दो करोड़ उनसठ लाख उनसठ हजार छह सौ पचपन रुपये) मात्र
18.	पटना	16365955.00	3236298.00	1,96,02,253.00	(एक करोड़ छियानवे लाख दो हजार दो सौ तिरपन रुपये) मात्र
19.	सीतामढ़ी	14706969.00	2908241.00	1,76,15,210.00	(एक करोड़ छियहत्तर लाख पन्द्रह हजार दो सौ दस रुपये) मात्र
20.	शिवहर	2861210.00	565792.00	34,27,002.00	(चौतीस लाख सताईस हजार दो रुपये) मात्र

विवरणी-4

वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिले के ग्राम कचहरी (ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच/पंच) के लिए बकाया आवंटित राशि का विवरण

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980106 के विषय शीर्ष-0106. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890104 के विषय शीर्ष-0104.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
21.	भागलपुर	12314110.00	2435063.00	1,47,49,173.00	(एक करोड़ सैंतालीस लाख उनचास हजार एक सौ तिहत्तर रुपये) मात्र
22.	बांका	9651514.00	1908546.00	1,15,60,060.00	(एक करोड़ पन्द्रह लाख साठ हजार साठ रुपये) मात्र
23.	मधुबनी	21277586.00	4207552.00	2,54,85,138.00	(दो करोड़ चौवन लाख पचासी हजार एक सौ अड़तीस रुपये) मात्र
24.	समस्तीपुर	20152278.00	3985028.00	2,41,37,306.00	(दो करोड़ एकतालीस लाख सैंतीस हजार तीन सौ छह रुपये) मात्र
25.	दरभंगा	17297389.00	3420485.00	2,07,17,874.00	(दो करोड़ सात लाख सतरह हजार आठ सौ चौहत्तर रुपये) मात्र
26.	सहरसा	8008860.00	1583718.00	95,92,578.00	(पनचानवें लाख बेरानवें हजार पाँच सौ अठहत्तर रुपये) मात्र
27.	मधेपुरा	8771709.00	1734568.00	1,05,06,277.00	(एक करोड़ पाँच लाख छह हजार दो सौ सतहत्तर रुपये) मात्र
28.	सुपौल	9713153.00	1920735.00	1,16,33,888.00	(एक करोड़ सोलह लाख तैंतीस हजार आठ सौ अठासी रुपये) मात्र
29.	पूर्णिमा	12982130.00	2567161.00	1,55,49,291.00	(एक करोड़ पचपन लाख उनचास हजार दो सौ एकानवें रुपये) मात्र
30.	अररिया	11556529.00	2285255.00	1,38,41,784.00	(एक करोड़ अड़तीस लाख एकतालीस हजार सात सौ चौरासी रुपये) मात्र
31.	किशनगंज	6783982.00	1341504.00	81,25,486.00	(एकासी लाख पच्चीस हजार चार सौ छियासी रुपये) मात्र
32.	कटिहार	12610188.00	2493611.00	1,51,03,799.00	(एक करोड़ एकावन लाख तीन हजार सात सौ निन्यानवें रुपये) मात्र
33.	मुंगेर	5300957.00	1048242.00	63,49,199.00	(तिरसठ लाख उनचास हजार एक सौ निन्यानवें रुपये) मात्र
34.	जमुई	7750187.00	1532567.00	92,82,754.00	(बेरानवें लाख बेरासी हजार सात सौ चौवन रुपये) मात्र
35.	बेगुसराय	12511144.00	2474026.00	1,49,85,170.00	(एक करोड़ उनचास लाख पचासी हजार एक सौ सत्तर रुपये) मात्र
36.	खगड़िया	7071631.00	1398385.00	84,70,016.00	(चौरासी लाख सत्तर हजार सोलह रुपये) मात्र
37.	लखीसराय	4285757.00	847490.00	51,33,247.00	(एकावन लाख तैंतीस हजार दो सौ सैंतालीस रुपये) मात्र
38.	शेखपुरा	2785873.00	550895.00	33,36,768.00	(तैंतीस लाख छत्तीस हजार सात सौ अड़सठ रुपये) मात्र
कुल राशि		44,46,55,084.00	91119716.00	53,57,74,800.00	(तिरपन करोड़ सनतावन लाख चौहत्तर हजार आठ सौ रुपये) मात्र

✓ ✓ ✓

पत्रांक: 5प/राज्य स्कीम-02-12/2017/58(आ०)/ पं०रा०

अत्यावश्यक
ई-मेल/फैक्स

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बिहार।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 18/12/2021..

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या 31(स्वी०) दिनांक 23.12.2020 द्वारा स्वीकृत कुल
₹1,12,00,00,000.00 (एक अरब बारह करोड़ रुपये) मात्र राशि का मात्र की
राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 31(स्वी०) दिनांक 23.12.2020 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच को वित्तीय वर्ष 2020-21 में समेकित नियत (मासिक) भत्ता भुगतान हेतु जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को ₹2,09,28,000.00 (दो करोड़ नौ लाख अठाईस हजार रुपये) मात्र, पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख तथा सदस्यों को ₹10,79,68,000.00 (दस करोड़ उनासी लाख अड़सठ हजार रुपये) मात्र, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया तथा सदस्यों का ₹49,55,52,000.00 (उन्नचास करोड़ पचपन लाख बावन हजार रुपये) मात्र, तथा ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच, तथा सदस्यों (पंचों) को ₹49,55,52,000.00 (उन्नचास करोड़ पचपन लाख बावन हजार रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹1,12,00,00,000.00 (एक अरब बारह करोड़ रुपये) मात्र का स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नियत भत्ता की राशि की निकासी हेतु इस आवंटनादेश के साथ संलग्न विवरणी-I के अनुसार जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹2,09,28,000.00 (दो करोड़ नौ लाख अठाईस हजार रुपये) मात्र, विवरणी-II के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹10,79,68,000.00 (दस करोड़ उनासी लाख अड़सठ हजार रुपये) मात्र, विवरणी-III के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹49,55,52,000.00 (उन्नचास करोड़ पचपन लाख बावन हजार रुपये) मात्र एवं विवरणी-IV के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹49,55,52,000.00 (उन्नचास करोड़ पचपन लाख

मजदूर - -
७

बावन हजार रुपये) मात्र अर्थात् कुल मिलाकर ₹1,12,00,00,000.00 (एक अरब बारह करोड़ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं ग्राम कचहरी के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग राज्यादेश संख्या 31(स्वी०) दिनांक 23.12.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा सभी स्तरों से नियत भत्ते/मानदेय का भुगतान CFMS के माध्यम से संबंधित पदधारकों के बैंक खाते में किया जायेगा।

4. इस आवंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए तथा विगत वर्षों के बकाया भुगतान के लिए पूर्व निर्धारित दर से किया जायेगा।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2020-21 के मांग संख्या-16 के अन्तर्गत राज्य स्कीम में उपबंधित निम्नांकित बजट शीर्षों के अन्तर्गत की जायेगी :-

जिला परिषदों के लिए -

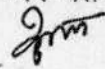
(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001960106 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890106 है।

पंचायत समितियों के लिए -

(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0103-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0103.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001970103 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0105-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890105 है।







लगातार - -

8

ग्राम पंचायतों के लिए -

(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0105-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001980105 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0103-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0103.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890103 है।

ग्राम कचहरियों के लिए -

(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001980106 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0104.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890104 है।

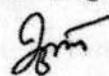
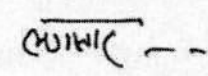
7. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

11. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

12. इस आवंटित राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
13. इस आवंटन आदेश तथा इसके साथ विवरणी के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
14. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम-02-12/2017 के पृष्ठ संख्या 96/टि० पर दिनांक 15/02/21 को प्राप्त है।
15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-12/2017/58/का०/ पं०रा० पटना, दिनांक 18/2/2021...
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-12/2017/58/का०/ पं०रा० पटना, दिनांक 18/2/2021...
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

विवरणी-1

वित्तीय वर्ष 2020-21 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जिला परिषद (जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	जिला परिषदों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001960106 के विषय शीर्ष-0106.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890106 के विषय शीर्ष-0106.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
1	बक्सर	333660.00	68340.00	402000.00	(चार लाख दो हजार रुपये) मात्र
2	रोहतास	495510.00	101490.00	597000.00	(पाँच लाख सनतानवे हजार रुपये) मात्र
3	भोजपुर	470610.00	96390.00	567000.00	(पाँच लाख सरसठ हजार रुपये) मात्र
4	नालन्दा	507960.00	104040.00	612000.00	(छ: लाख बारह हजार रुपये) मात्र
5	पटना	349380.00	64620.00	414000.00	(चार लाख चौदह हजार रुपये) मात्र
6	कैमूर	321210.00	65790.00	387000.00	(तीन लाख सतासी हजार रुपये) मात्र
7	गया	657360.00	134640.00	792000.00	(सात लाख बेरानवे हजार रुपये) मात्र
8	नवादा	395910.00	81090.00	477000.00	(चार लाख सतहतर हजार रुपये) मात्र
9	औरंगाबाद	433260.00	88740.00	522000.00	(पाँच लाख बाइस हजार रुपये) मात्र
10	जहानाबाद	246510.00	50490.00	297000.00	(दो लाख सनतानवे हजार रुपये) मात्र
11	अरवल	196710.00	40290.00	237000.00	(दो लाख सैतीस हजार रुपये) मात्र
12	सारण	669810.00	137190.00	807000.00	(आठ लाख सात हजार रुपये) मात्र
13	सिवान	595110.00	121890.00	717000.00	(सात लाख सतरह हजार रुपये) मात्र
14	गोपालगंज	483060.00	98940.00	582000.00	(पाँच लाख बेरसी हजार रुपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	756960.00	155040.00	912000.00	(नौ लाख बारह हजार रुपये) मात्र
16	वैशाली	595110.00	121890.00	717000.00	(सात लाख सतरह हजार रुपये) मात्र

[Signature]

[Signature]

[Signature]

①

समाप्त - -

क्र०	जिला	जिला परिषदों के लिए		कुल राशि (रूपये में)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001960106 के विषय शीर्ष-0106.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890106 के विषय शीर्ष-0106.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	(3+4)	
17	पू० चम्पारण	794310.00	162690.00	957000.00	(नौ लाख सनतावन हजार रुपये) मात्र
18	प० चम्पारण	607560.00	124440.00	732000.00	(सात लाख बत्तीस हजार रुपये) मात्र
19	सीतामढ़ी	557760.00	114240.00	672000.00	(छः लाख बहत्तर हजार रुपये) मात्र
20	शिवहर	171810.00	35190.00	207000.00	(दो लाख सात हजार रुपये) मात्र
21	भागलपुर	470610.00	96390.00	567000.00	(पाँच लाख सरसठ हजार रुपये) मात्र
22	बांका	395910.00	81090.00	477000.00	(चार लाख सतहतर हजार रुपये) मात्र
23	मधुबनी	781860.00	160140.00	942000.00	(नौ लाख बैआलीस हजार रुपये) मात्र
24	समस्तीपुर	719610.00	147390.00	867000.00	(आठ लाख सरसठ हजार रुपये) मात्र
25	दरभंगा	669810.00	137190.00	807000.00	(आठ लाख सात हजार रुपये) मात्र
26	सहरसा	346110.00	70890.00	417000.00	(चार लाख सतरह हजार रुपये) मात्र
27	मधेपुरा	371010.00	75990.00	447000.00	(चार लाख सैतालीस हजार रुपये) मात्र
28	सुपौल	395910.00	81090.00	477000.00	(चार लाख सतहतर हजार रुपये) मात्र
29	पूर्णियाँ	507960.00	104040.00	612000.00	(छः लाख बारह हजार रुपये) मात्र
30	अररिया	458160.00	93840.00	552000.00	(पाँच लाख बाबन हजार रुपये) मात्र
31	किशनगंज	308760.00	63240.00	372000.00	(तीन लाख बहतर हजार रुपये) मात्र
32	कटिहार	495510.00	101490.00	597000.00	(पाँच लाख सनतानवे हजार रुपये) मात्र
33	मुंगेर	258960.00	53040.00	312000.00	(तीन लाख बारह हजार रुपये) मात्र
34	जमुई	333660.00	68340.00	402000.00	(चार लाख दो हजार रुपये) मात्र
35	बेगुसराय	520410.00	106590.00	627000.00	(छः लाख सताइस हजार रुपये) मात्र
36	खगड़िया	308760.00	63240.00	372000.00	(तीन लाख बहतर हजार रुपये) मात्र
37	लखीसराय	221610.00	45390.00	267000.00	(दो लाख सरसठ हजार रुपये) मात्र
38	शेखपुरा	171810.00	35190.00	207000.00	(दो लाख सात हजार रुपये) मात्र
	कुल राशि	17376000.00	3552000.00	20928000.00	(दो करोड़ नौ लाख अठाईस हजार रुपये) मात्र

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

विवरणी-II

वित्तीय वर्ष 2020-21 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत पंचायत समिति (पंचायत समिति प्रमुख/उप-प्रमुख/पंचायत समिति सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	पंचायत समितियों के लिए		कुल राशि (रुपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001970103 के विषय शीर्ष-0103.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890105 के विषय शीर्ष-0105.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
1	बक्सर	1708140.00	349860.00	2058000.00	(बीस लाख अठावन हजार रुपये) मात्र
2	रोहतास	2873460.00	588540.00	3462000.00	(चौतीस लाख बासठ हजार रुपये) मात्र
3	भोजपुर	2450160.00	501840.00	2952000.00	(उनसठ लाख चार हजार रुपये) मात्र
4	नालन्दा	2997960.00	614040.00	3612000.00	(छत्तीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र
5	पटना	1648220.00	353780.00	2002000.00	(बीस लाख दो हजार रुपये) मात्र
6	कैमूर	1638420.00	335580.00	1974000.00	(उन्नीस लाख चौहत्तर हजार रुपये) मात्र
7	गया	3839580.00	786420.00	4626000.00	(छियालीस लाख छब्बीस हजार रुपये) मात्र
8	नवादा	2171280.00	444720.00	2616000.00	(छब्बीस लाख सोलह हजार रुपये) मात्र
9	औरंगाबाद	2131440.00	436560.00	2568000.00	(छब्बीस लाख अड़सठ हजार रुपये) मात्र
10	जहानाबाद	1090620.00	223380.00	1314000.00	(तेरह लाख चौदह हजार रुपये) मात्र
11	अरवल	761940.00	156060.00	918000.00	(नौ लाख अठारह हजार रुपये) मात्र
12	सारण	3610500.00	739500.00	4350000.00	(तीतालीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र
13	सिवान	3082620.00	631380.00	3714000.00	(सैतीस लाख चौदह हजार रुपये) मात्र
14	गोपालगंज	2499960.00	512040.00	3012000.00	(तीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	3670260.00	751740.00	4422000.00	(चौवालीस लाख बाईस हजार रुपये) मात्र
16	वैशाली	3002940.00	615060.00	3618000.00	(छत्तीस लाख अठारह हजार रुपये) मात्र

क्र०	जिला	पंचायत समितियों के लिए		कुल राशि (रुपये में)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001970103 के विषय शीर्ष-0103.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890105 के विषय शीर्ष-0105.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	(3+4)	
17	पू० चम्पारण	4372440.00	895560.00	5268000.00	(बावन लाख अड़सठ हजार रुपये) मात्र
18	प० चम्पारण	3246960.00	665040.00	3912000.00	(उन्यालीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र
19	सीतामढ़ी	3012900.00	617100.00	3630000.00	(छत्तीस लाख तीस हजार रुपये) मात्र
20	शिवहर	682260.00	139740.00	822000.00	(आठ लाख बाईस हजार रुपये) मात्र
21	भागलपुर	2599560.00	532440.00	3132000.00	(एकतीस लाख बत्तीस हजार रुपये) मात्र
22	बांका	1957140.00	400860.00	2358000.00	(तेईस लाख अठावन हजार रुपये) मात्र
23	मधुबनी	4123440.00	844560.00	4968000.00	(उनचास लाख अड़सठ हजार रुपये) मात्र
24	समस्तीपुर	3894360.00	797640.00	4692000.00	(छियालीस लाख बानवे हजार रुपये) मात्र
25	दरभंगा	3421260.00	700740.00	4122000.00	(एकतालीस लाख बाईस हजार रुपये) मात्र
26	सहरसा	1673280.00	342720.00	2016000.00	(बीस लाख सोलह हजार रुपये) मात्र
27	मधेपुरा	1962120.00	401880.00	2364000.00	(तेईस लाख सौसठ हजार रुपये) मात्र
28	सुपौल	1982040.00	405960.00	2388000.00	(तेईस लाख अठासी हजार रुपये) मात्र
29	पूर्णिया	2604540.00	533460.00	3138000.00	(एकतीस लाख अड़तीस हजार रुपये) मात्र
30	अररिया	2091600.00	428400.00	2520000.00	(पच्चीस लाख बीस हजार रुपये) मात्र
31	किशनगंज	1329660.00	272340.00	1602000.00	(सोलह लाख दो हजार रुपये) मात्र
32	कटिहार	2669280.00	546720.00	3216000.00	(बत्तीस लाख सोलह हजार रुपये) मात्र
33	मुंगेर	1259940.00	258060.00	1518000.00	(पन्द्रह लाख अठारह हजार रुपये) मात्र
34	जमुई	1608540.00	329460.00	1938000.00	(उन्नीस लाख अड़तीस हजार रुपये) मात्र
35	बेगुसराय	2803740.00	574260.00	3378000.00	(तेतीस लाख अठहत्तर हजार रुपये) मात्र
36	खगड़िया	1374480.00	281520.00	1656000.00	(सोलह लाख छप्पन हजार रुपये) मात्र
37	लखीसराय	1015920.00	208080.00	1224000.00	(बारह लाख चौबीस हजार रुपये) मात्र
38	शेखपुरा	737040.00	150960.00	888000.00	(आठ लाख अठासी हजार रुपये) मात्र
कुल राशि		89600000.00	18368000.00	107968000.00	(दस करोड़ उनसौ लाख अड़सठ हजार रुपये) मात्र

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

विवरणी-III

वित्तीय वर्ष 2020-21 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया/ग्राम पंचायत सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	ग्राम पंचायतों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980105 के विषय शीर्ष-0105.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890103 के विषय शीर्ष-0103.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
1	बक्सर	7193112.00	1473288.00	8666400.00	(छियासी लाख छियासठ हजार चार सौ रूपये) मात्र
2	रोहतास	11624316.00	2380884.00	14005200.00	(एक करोड़ चालीस लाख पाँच हजार दो सौ रूपये) मात्र
3	भोजपुर	12099408.00	2478192.00	14577600.00	(एक करोड़ पैतालीस लाख सतहत्तर हजार छः सौ रूपये) मात्र
4	नालन्दा	12299604.00	2519196.00	14818800.00	(एक करोड़ अड़तालीस लाख अठारह हजार आठ सौ रूपये) मात्र
5	पटना	7200374.00	1489426.00	8689800.00	(छियासी लाख नवासी हजार आठ सौ रूपये) मात्र
6	कैमूर	6983454.00	1430346.00	8413800.00	(बौरासी लाख तेरह हजार आठ सौ रूपये) मात्र
7	गया	16677522.00	3415878.00	20093400.00	(दो करोड़ तिरानबे हजार चार सौ रूपये) मात्र
8	नवादा	9272262.00	1899138.00	11171400.00	(एक करोड़ ग्यारह लाख एकहत्तर हजार चार सौ रूपये) मात्र
9	औरंगाबाद	10315074.00	2112726.00	12427800.00	(एक करोड़ चौबीस लाख सताईस हजार आठ सौ रूपये) मात्र
10	जहानाबाद	4654308.00	953292.00	5607600.00	(छप्पन लाख सात हजार छः सौ रूपये) मात्र
11	अरवल	3194670.00	654330.00	3849000.00	(अड़तीस लाख उन्चास हजार रूपये) मात्र
12	सारण	16551528.00	3390072.00	19941600.00	(एक करोड़ निन्यानबे लाख एकतालीस हजार छः सौ रूपये) मात्र
13	सिवान	14843388.00	3040212.00	17883600.00	(एक करोड़ अठहत्तर लाख तेरासी हजार छः सौ रूपये) मात्र
14	गोपालगंज	11639754.00	2384046.00	14023800.00	(एक करोड़ चालीस लाख तेईस हजार आठ सौ रूपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	19309950.00	3955050.00	23265000.00	(दो करोड़ बत्तीस लाख पैसठ हजार रूपये) मात्र
16	वैशाली	14489808.00	2967792.00	17457600.00	(एक करोड़ चौहत्तर लाख संतावन हजार छः सौ रूपये) मात्र

४८

५८

६८

७८

८८

क्र०	जिला	ग्राम पंचायतों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980105 के विषय शीर्ष-0105.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890103 के विषय शीर्ष-0103.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
17	पू० चम्पारण	20487720.00	4196280.00	24684000.00	(दो करोड़ छियालीस लाख चौरासी हजार रुपये) मात्र
18	प० चम्पारण	15470370.00	3168630.00	18639000.00	(एक करोड़ छियासी लाख उन्वालीस हजार रुपये) मात्र
19	सीतामढ़ी	13902168.00	2847432.00	16749600.00	(एक करोड़ सड़सठ लाख उन्वास हजार छः सौ रुपये) मात्र
20	शिवहर	2704638.00	553962.00	3258600.00	(बत्तीस लाख अठावन हजार छः सौ रुपये) मात्र
21	भागलपुर	11640252.00	2384148.00	14024400.00	(एक करोड़ बालीस लाख चौबीस हजार चार सौ रुपये) मात्र
22	बाँका	9123360.00	1868640.00	10992000.00	(एक करोड़ नौ लाख बानबे हजार रुपये) मात्र
23	मधुबनी	20113224.00	4119576.00	24232800.00	(दो करोड़ बेयालीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
24	समस्तीपुर	19049496.00	3901704.00	22951200.00	(दो करोड़ उनतीस लाख इक्यावन हजार दो सौ रुपये) मात्र
25	दरभंगा	16350834.00	3348966.00	19699800.00	(एक करोड़ छियानबे लाख निन्यानबे हजार आठ सौ रुपये) मात्र
26	सहरसा	7570596.00	1550604.00	9121200.00	(इक्यानबे लाख इक्कीस हजार दो सौ रुपये) मात्र
27	मधेपुरा	8291700.00	1698300.00	9990000.00	(निन्यानबे लाख नब्बे हजार रुपये) मात्र
28	सुपौल	9181626.00	1880574.00	11062200.00	(एक करोड़ दस लाख बासठ हजार दो सौ रुपये) मात्र
29	पूर्णियाँ	12271716.00	2513484.00	14785200.00	(एक करोड़ सैतालीस लाख पचासी हजार दो सौ रुपये) मात्र
30	अररिया	10924128.00	2237472.00	13161600.00	(एक करोड़ एकतीस लाख एकसठ हजार छः सौ रुपये) मात्र
31	किशनगंज	6412746.00	1313454.00	7726200.00	(सतहत्तर लाख छब्बीस हजार दो सौ रुपये) मात्र
32	कटिहार	11920128.00	2441472.00	14361600.00	(एक करोड़ तेतालीस लाख एकसठ हजार छः सौ रुपये) मात्र
33	मुंगेर	5010876.00	1026324.00	6037200.00	(साठ लाख सैतीस हजार दो सौ रुपये) मात्र
34	जमुई	7326078.00	1500522.00	8826600.00	(अठासी लाख छब्बीस हजार छः सौ रुपये) मात्र
35	बेगुसराय	11826504.00	2422296.00	14248800.00	(एक करोड़ बेयालीस लाख अड़तालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
36	खगड़िया	6684654.00	1369146.00	8053800.00	(अस्सी लाख तिरपन हजार आठ सौ रुपये) मात्र
37	लखीसराय	4051230.00	829770.00	4881000.00	(अड़तालीस लाख एकासी हजार रुपये) मात्र
38	शेखपुरा	2633424.00	539376.00	3172800.00	(एकतीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ रुपये) मात्र
	कुल राशि	411296000.00	84256000.00	495552000.00	(उन्वास करोड़ पचपन लाख बावन हजार रुपये) मात्र

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

विवरणी-IV

वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिले के ग्राम कचहरी (ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच/पंच) के लिए बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980106 के विषय शीर्ष-0106.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890104 के विषय शीर्ष-0104.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
1	बक्सर	7193112.00	1473288.00	8666400.00	(छियासी लाख छियासठ हजार चार सौ रुपये) मात्र
2	रोहतास	11624316.00	2380884.00	14005200.00	(एक करोड़ चालीस लाख पाँच हजार दो सौ रुपये) मात्र
3	भोजपुर	12099408.00	2478192.00	14577600.00	(एक करोड़ पैतालीस लाख सतहत्तर हजार छः सौ रुपये) मात्र
4	नालन्दा	12299604.00	2519196.00	14818800.00	(एक करोड़ अड़तालीस लाख अठारह हजार आठ सौ रुपये) मात्र
5	पटना	7200374.00	1489426.00	8689800.00	(छियासी लाख नवासी हजार आठ सौ रुपये) मात्र
6	कैमूर	6983454.00	1430346.00	8413800.00	(चौरासी लाख तेरह हजार आठ सौ रुपये) मात्र
7	गया	16677522.00	3415878.00	20093400.00	(दो करोड़ तिरानबे हजार चार सौ रुपये) मात्र
8	नवादा	9272262.00	1899138.00	11171400.00	(एक करोड़ ग्यारह लाख एकहत्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र
9	औरंगाबाद	10315074.00	2112726.00	12427800.00	(एक करोड़ चौबीस लाख सताईस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
10	जहानाबाद	4654308.00	953292.00	5607600.00	(छप्पन लाख सात हजार छः सौ रुपये) मात्र
11	अरवल	3194670.00	654330.00	3849000.00	(अड़तीस लाख उन्चास हजार रुपये) मात्र
12	सारण	16551528.00	3390072.00	19941600.00	(एक करोड़ निन्यानबे लाख एकतालीस हजार छः सौ रुपये) मात्र
13	सिवान	14843388.00	3040212.00	17883600.00	(एक करोड़ अठहत्तर लाख तेरासी हजार छः सौ रुपये) मात्र
14	गोपालगंज	11639754.00	2384046.00	14023800.00	(एक करोड़ चालीस लाख तेईस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	19309950.00	3955050.00	23265000.00	(दो करोड़ बत्तीस लाख पैसठ हजार रुपये) मात्र
16	वैशाली	14489808.00	2967792.00	17457600.00	(एक करोड़ चौहत्तर लाख सतावन हजार छः सौ रुपये) मात्र

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980106 के विषय शीर्ष-0106.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890104 के विषय शीर्ष-0104.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
17	पू० चम्पारण	20487720.00	4196280.00	24684000.00	(दो करोड़ छियालीस लाख चौरासी हजार रुपये) मात्र
18	प० चम्पारण	15470370.00	3168630.00	18639000.00	(एक करोड़ छियासी लाख उन्वालीस हजार रुपये) मात्र
19	सीतामढ़ी	13902168.00	2847432.00	16749600.00	(एक करोड़ सड़सठ लाख उन्चास हजार छः सौ रुपये) मात्र
20	शिवहर	2704638.00	553962.00	3258600.00	(बत्तीस लाख अठावन हजार छः सौ रुपये) मात्र
21	भागलपुर	11640252.00	2384148.00	14024400.00	(एक करोड़ वालीस लाख चौबीस हजार चार सौ रुपये) मात्र
22	बाँका	9123360.00	1868640.00	10992000.00	(एक करोड़ नौ लाख बानबे हजार रुपये) मात्र
23	मधुबनी	20113224.00	4119576.00	24232800.00	(दो करोड़ बेयालीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
24	समस्तीपुर	19049496.00	3901704.00	22951200.00	(दो करोड़ उनतीस लाख इक्कावन हजार दो सौ रुपये) मात्र
25	दरभंगा	16350834.00	3348966.00	19699800.00	(एक करोड़ छियानबे लाख निन्यानबे हजार आठ सौ रुपये) मात्र
26	सहरसा	7570596.00	1550604.00	9121200.00	(इक्कानबे लाख इक्कीस हजार दो सौ रुपये) मात्र
	मधेपुरा	8291700.00	1698300.00	9990000.00	(निन्यानबे लाख नब्बे हजार रुपये) मात्र
28	सुपौल	9181626.00	1880574.00	11062200.00	(एक करोड़ दस लाख बासठ हजार दो सौ रुपये) मात्र
29	पूर्णियाँ	12271716.00	2513484.00	14785200.00	(एक करोड़ सैतालीस लाख पचासी हजार दो सौ रुपये) मात्र
30	अररिया	10924128.00	2237472.00	13161600.00	(एक करोड़ एकतीस लाख एकसठ हजार छः सौ रुपये) मात्र
31	किशनगंज	6412746.00	1313454.00	7726200.00	(सतहत्तर लाख छब्बीस हजार दो सौ रुपये) मात्र
32	कटिहार	11920128.00	2441472.00	14361600.00	(एक करोड़ तेतालीस लाख एकसठ हजार छः सौ रुपये) मात्र
33	मुँगेर	5010876.00	1026324.00	6037200.00	(साठ लाख सैतीस हजार दो सौ रुपये) मात्र
34	जमुई	7326078.00	1500522.00	8826600.00	(अठारसी लाख छब्बीस हजार छः सौ रुपये) मात्र
35	बेगुसराय	11826504.00	2422296.00	14248800.00	(एक करोड़ बेयालीस लाख अड़तालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
36	खगड़िया	6684654.00	1369146.00	8053800.00	(अस्सी लाख तिरपन हजार आठ सौ रुपये) मात्र
37	लखीसराय	4051230.00	829770.00	4881000.00	(अड़तालीस लाख एकासी हजार रुपये) मात्र
38	शेखपुरा	2633424.00	539376.00	3172800.00	(एकतीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ रुपये) मात्र
	कुल राशि	411296000.00	84256000.00	495552000.00	(उन्चास करोड़ पचपन लाख बावन हजार रुपये) मात्र

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

अत्यावश्यक
ई-मेल/फैक्स

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 08/08/2019

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या 08(स्वी०) दिनांक 12.07.2019 द्वारा स्वीकृत कुल
₹1,50,00,00,000.00 (एक अरब पचास करोड़ रुपये) मात्र की राशि का
आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 08(स्वी०) दिनांक 12.07.2019 एवं इसके साथ संलग्न जिलावार विवरणी के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय की राशि ₹6,000.00 (छह हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से ₹72,94,79,640.00 (बहत्तर करोड़ चौरानवें लाख उन्चासी हजार छह सौ चालीस रुपये) मात्र एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्रों को नियत फीस की राशि ₹7,000.00 (सात हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से ₹77,05,20,360.00 (सतहत्तर करोड़ पाँच लाख बीस हजार तीन सौ साठ रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹1,50,00,00,000.00 (एक अरब पचास करोड़ रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उप मुख्यशीर्ष-00 -लघुशीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0010-ग्राम कचहरी की विभिन्न मदों हेतु" मद के विषय शीर्ष '0010.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन' इकाई से विभागीय राज्यादेश संख्या 08(स्वी०) दिनांक 12.07.2019 के साथ संलग्न जिलावार विवरणी के अनुरूप कुल ₹1,50,00,00,000.00 (एक अरब पचास करोड़ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980010 है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 08(स्वी०) दिनांक 12.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

5. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

12

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये। भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप (विवरणी सहित) में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इस आवंटन आदेश तथा इसके साथ संलग्न विवरणी के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-09/2017/24(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/08/2019
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा-08 एवं 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-09/2017/24(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/08/2019
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)